लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र
Tenth Session)

Chamber Fumigated.

सत्यमेव जयते

Conservation Unit
27-5-92
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11—]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contain Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—2 Lok Sabha/65

विषय सूची

अंक 14, गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1964/12 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
326	भूमि के विकास के लिए "रिवाल्विंग फंड"	1275–77
327	भारतीय मुद्रा की कीमत	1278–81
328	पूर्व-निर्मित मकान	1281–85
329	आवास योजनाओं का एकीकरण	1285–88
330	पश्चिमी जर्मनी की पूंजी का विनियोजन	1288–90
331	अन्तर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसन्धान सम्बन्धी गोष्ठी	1290–93
332	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	1293–95
333	ढासा बान्ध	1295–97
355	श्री नेहरू की मूर्ति वाला सिक्का	1297–1301

अल्प सूचना प्रश्न

संख्या		
1	यूकेरिस्टिक कांग्रेस की कार्यवाही का प्रसारण	1302–05

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
334	कृष्णा में बाढ़ की जांच	1306
335	सिंचाई और ग्राम्य विद्युतीकरण के लक्ष्य	1306–07
336	चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	1807
337	ईंटों तथा टाइलों के लिए संयंत्र	1307–08
338	भूमि सुधार	1308
339	जीवन बीमा निगम में स्वचालित यंत्र लगाना	1308–09
340	अमरीकी व्यापारियों का शिष्ट मंडल	1309
341	कर अपवंचकों को राज क्षमा	1309–10
342	चांदी सोने के मूल्य	1310
343	छत्रा नहर परियोजना	1310
344	सरकारी क्वार्टरों का पुनर्वर्गीकरण	1310–11

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 14, *Thursday, December* 3, 1964/*Agrahayana* 12, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Question Nos.	Subject	Pages
326	Revolving Fund for Development of Land	1275–77
327	Value of Indian Currency	1278–81
328	Prefabricated Houses	1281–85
329	Integration of Housing Schemes	1285–88
330	Investment of West German Capital	1288–90
331	Seminar of International Brain Research	1290–93
332	Foreign Exchange Violations	1293–95
333	Dhasa Bund	1295–97
355	Coins with the Effigy of Shri Nehru	1297–1301

SHORT NOTICE QUESTION

No.		
1	Broadcasting of Proceedings of Eucharistic Congress	1302–05

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
334	Inquiry into Floods in Krishna River	1306
335	Irrigation and Rural Electrification Targets	1306–07
336	Seizure of Smuggled Goods	1307
337	Plant for Bricks and Tiles	1307–08
338	Land Reforms	1308
339	Automation of Work in L.I.C.	1308–09
340	American Delegation of Business Executives	1309
341	Amnesty to Tax Evaders	1309–10
342	Bullion Prices	1310
343	Chatra Canal Project	1310
344	Re-classification of Government Quarters	1310–11

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
345	सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों में भ्रष्टाचार .	1311
347	पानी का जमा हो जाना	1311–12
348	बकाया धन-कर, सम्पदा-शुल्क और उपहार-कर की वसूली . .	1312–13
349	व्यापार गृहों की तलाशी	1313
350	राज्यों को आवास के लिए धन देना	1313–14
351	नेपाल को भारत की सहायता . . .	1314
352	सिन्धु आयोग का दौरा	1314–15
353	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	1315
354	स्टाक एक्चेंज	1315

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
872	जर्मनी के सहयोग से मुद्रणालय	1315
873	एक रुपया का कोरा नोट	1316
874	भू-दान भूमि	1316
875	केरल में प्रारम्भिक कर	1316–17
876	उड़ीसा में आवास योजनायें	1317–18
877	उड़ीसा में भारी और मध्यम उद्योग	1318–19
878	उड़ीसा में भूमिहीन कृषि श्रमिक	1319
879	केरल में मोटर गाड़ियों का बीमा	1319
880	ग्रामीण आवास योजनायें	1319–20
881	नया तापीय विद्युत् संयंत्र	1320
882	बिहार में सुनारों को पुनः काम पर लगाया जाना . . .	1320
883	जल प्रदाय के लिये यूनिसेफ से सहायता	1320–21
884	अमरीका की सहायता से चलने वाली परियोजनायें . . .	1321
885	गोविन्द सागर जलाशय	1321
887	नई दिल्ली में मच्छरों का उत्पात	1322
888	तापीय विद्युत् संयंत्र	1322–23
889	संसद् सदस्यों के होस्टल के फ्लैटों का किराया . . .	1323
890	अपर डिविजन क्लर्कों का वेतन मान	1323
891	खाने वाली संतति निरोधक दवाई	1324
982	दिल्ली विकास प्राधिकार	1324
893	विकास खण्ड	1324–25
894	नई दिल्ली के लिए पानी और नालियां	1325
895	मास्को का "पीपल्ज़ फ्रेंडशिप" विश्वविद्यालय . . .	1325–26

Starred Question Nos.	Subject	Pages
345	Corruption in Customs and Excise Deptts.	1311
347	Water logging	1311–12
348	Recovery of Arrears of Wealth Tax, Estate Duty and Gift Tax	1312–13
349	Searching of Business Houses	1313
350	Housing allocations to States	1313–14
351	India's Aid to Nepal	1314
352	Tour by Indus Commission	1314–15
353	Ministry of Irrigation and Power	1315
354	Stock Exchanges	1315

Unstarred Question Nos.		
872	Printing Press with German Collaboration	1315
873	One Rupee Blank Note	1316
874	Bhoodan Land	1316
875	Basic Tax in Kerala	1316–17
876	Housing Schemes in Orissa	1317–18
877	Heavy and Medium Industries in Orissa	1318–19
878	Landless Agricultural Labourers in Orissa	1319
879	Insurance of Motor Vehicles in Kerala	1319
880	Rural Housing Schemes	1319–20
881	New Thermal Power Plant	1320
882	Rehabilitation of Goldsmiths in Bihar	1320
883	UNICEF aid for water supply	1320-21
884	U. S. Aid Projects	1321
885	Gobind Sagar Reservoir	1321
887	Mosquito Nuisance in New Delhi	1322
888	Thermal Power Plants	1322–23
889	Rent of Flats in M.Ps. Hostel	1323
890	Scales of Pay of U.D.Cs	1323
891	Oral Contraceptive	1324
892	Delhi Development Authority	1324
893	Development Blocks	1324–25
894	Water and Sewerage for New Delhi	1325
895	Peoples' Friendship University, Moscow	1325–26

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
896	पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क	1326—27
897	पंजाब में टी०बी० के रोगी	1327—28
898	पश्चिम कोसी नहर	1328
899	पंचकुइया रोड़, नई दिल्ली के क्वार्टर	1328
900	विदेशी पुंजी विनियोजन	1329
901	आर्थिक समस्याओं सम्बन्धी गवेषणात्मक अध्ययन	1330
902	राज्यों को सहायता	1330—31
903	चतुर्थ वित्त आयोग	1331
905	जम्मू और काश्मीर के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ	1331
906	वाराणसी में छापा	1331—32
907	त्रिवेन्द्रम में संक्रामक रोग	1332
908	कनाडा से सहायता	1332—33
909	बंगलोर में आय कर आयुक्त सम्मेलन	1333
910	जीवन बीमा निगम के ऋण की वसूली	1333
911	राष्ट्रीय विकास योजनाएं	1333—34
912	पेरियार नदी	1334
913	बागान श्रमिक आवास योजना	1334
914	कैंसर	1335
915	शान्ति घाट, दिल्ली	1335
916	भारतीय अर्थ व्यवस्था में 'मौनेटाइज्ड् तथा नान-मौनेटाइज्ड्' ट्रान्जेक्शन	1335
917	सफदरजंग अस्पताल में पाई गई लाश	1336
918	ग्राम्य विद्युतिकरण	1336
919	उत्तर प्रदेश में तपेदिक के रोगी	1336—37
920	केन्द्रीय स्टेशनरी आफिस, कलकता में आग लगना	1337
921	तपेदिक हैल्थ विजिटर्स कोर्स	1337—38
922	ग्रामीण जलसम्भरण योजनाएं	1339
923	फोर्ड फाउंडेशन	1339
924	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	1339—40
925	पिछड़े हुए क्षेत्रों का आर्थिक विकास	1340
926	हरदुआगंज तापीय विद्युत स्टेशन	1340—41
927	ग्रामीण उद्योग अग्रिम परियोजना	1341
928	आसाम में ट्रकोमा	1341—42
929	नगर सामुदायिक विकास परियोजनाएं	1342
930	सोने का चोरी छिपे लाया जाना	1342
931	संसद् के भूतपूर्व सदस्यों पर किराये की बकाया राशि	1342—43

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
896	Excise Duty on Petroleum Products	1326–27
897	T.B. Patients in Punjab	1327–28
898	Western Kosi Canal	1328
899	Quarters on Panchkuin Road, New Delhi	1328
900	Foreign Investment	1329
901	Research studies on Economic Problems	1330
902	Aid to States	1330–31
903	Fourth Finance Commission	1331
905	Health experts for Jammu and Kashmir	1331
906	Raid in Varanasi	1331–32
907	Infectious Disease in Trivandrum	1332
908	Aid from Canada	1332–33
909	I.T.Cs' Conference at Bangalore	1333
910	Recovery of L.I.C. Loan	1333
911	National Development Plans	1333–34
912	Periyar River	1334
913	Plantation Labour Housing Scheme	1334
914	Cancer	1335
915	Shanti Ghat, Delhi	1335
916	Monetised and Non-monetised Transactions in Indian Economy	1335
917	Body found in Safdarjung Hospital	1336
918	Rural Electrification	1336
919	T.B. Patients in U. P.	1336–37
920	Fire Incident in Central Stationery Office, Calcutta	1337
921	T.B. Health Visitors' Course	1337–38
922	Rural Water Supply Schemes	1339
923	Ford Foundation	1339
924	Hindustan Housing Factory	1339–40
925	Economic Development of Backward Region	1340
926	Harduaganj Thermal Power Station	1340–41
927	Rural Industries Pilot Project	1341
928	Trachoma in Assam	1341–42
929	Urban Community Development Projects	1342
930	Gold Smuggling	1342
931	Rent due from Ex-Members of Parliament	1342–43

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . .	1343-44,
(1) गांधी हत्याकांड के अपराधियों की रिहाई	1369-72
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	1343
श्री नन्दा	1343-44
(2) असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की वेतन हड़ताल	
श्री स०मो० बनर्जी	1369
श्री कानूनगो	1370-71
(3) पश्चिमी बंगाल के पटसन श्रमिकों द्वारा विरोध के रूप में हड़ताल	
श्री संजीवैय्या	1371-72
सभा पटल पर रख गये पत्र	1344-45
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	1345-47
श्री बड़े	1346
श्री नम्बियार	1346
श्री नारायण दांडेकर	1346-47
श्री ब० रा० भगत	1347
खण्ड 2 से 5 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री ब० रा० भगत	1347
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	1348-49
श्री नारायण दांडेकर	1349-50
श्री ही० ना० मुकर्जी	1350-53
श्री सचीन्द्र चौधरी . . .	1353-54
श्री मुरारका	1354-57
श्री हेडा	1357-58
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	1358-59
श्री ओंकार लाल बेरवा	1359-60
श्री स० मो० बनर्जी	1360-62
श्री दी० चं० शर्मा	1362-63
खंड 2 से 24 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	1364-68
भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक	1368-69
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
श्री संजीवैय्या	1368-69
श्री रंगा	1369

Subject	Pages

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance . . . 1343–44, 1369–72

(i) Release of convicts in Gandhi murder case
- Shri Shivajirao S. Deshmukh . . . 1343
- Shri Nanda . . . 1343–44

(ii) Pay strike by employees of Civil Aviation Department
- Shri S. M. Banerjee . . . 1369
- Shri Kanungo . . . 1370–71

(iii) Protest strike by Jute Workers of West Bengal
- Shri D. Sanjivayya . . . 1371–72

Papers laid on the Table . . . 1344–45

Mineral oils (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Bill

Motion to consider
- Shri Narendra Singh Mahida . . . 1345–47
- Shri Bade . . . 1346
- Shri Nambiar . . . 1346
- Shri N. Dandeker . . . 1346–47
- Shri B. R. Bhagat . . . 1347

Clauses 2 to 5 and 1

Motion to pass
- Shri B. R. Bhagat . . . 1347

Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill

Motion to consider
- Shri T. T. Krishnamachari . . . 1348–49
- Shri N. Dandeker . . . 1349–50
- Shri H. N. Mukerjee . . . 1350–53
- Shri Sachindra Chaudhuri . . . 1353–54
- Shri Morarka . . . 1354–57
- Shri Heda . . . 1357–58
- Shrimati Tarkeshwari Sinha . . . 1358–59
- Shri Onkar Lal Berwa . . . 1359–60
- Shri S. M. Banerjee . . . 1360–62
- Shri D. C. Sharma . . . 1362–63

Clauses 2 to 24 and 1

Motion to pass
- Shri T. T. Krishnamachari . . . 1364–68

Indian Trade Unions (Amendment) Bill . . . 1368–69

Motion to consider, as passed by Rajya Sabha
- Shri D. Sanjivayya . . . 1368–69
- Shri Ranga . . . 1369

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1964/12 अग्रहायण, 1886 (शक)
Thursday, December 3, 1964/Agrahayana 12, 1886, (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : संविधान के अन्तर्गत जो सदस्य शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञात करने आये हों सचिव उनका नाम पुकारे ।

सचिव : श्री० मधु रामचन्द्र लिमये ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी) : श्रीमान में आपसे तथा आपके द्वारा सभासे श्री मधु रामचन्द्र लिमये का प्रसन्नतापूर्वक परिचय कराता हुं । वे बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिये चुनकर आये हें । यह स्थान श्री० बनारसी प्रसाद सिन्हा के देहान्त हो जाने के कारण रिक्त हुआ था ।

श्री मधु रामचन्द्र लिमये (मुंगेर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूमि के विकास के लिये 'रिवाल्विंग फंड'

*326. +
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागडी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओझा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासोन्मुख नगरों में और उनके आसपास, जहां भूमि के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं, भूमि के अर्जन और विकास के लिए एक "रिवाल्विंग फंड" बनाने का फैसला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकारों को यह सलाह दी जा चुकी है कि उनके लिए जीवन बीमा निगम और भारत सरकार दोनोंसे ऋण उपलब्ध हैं और विकासोन्मुख नगरों में तथा उनके आसपास अधिक मात्रा में भूमि के अर्जन के लिए भारत सरकार सामूहिक रूप से "रिवालविंग फंड" के रूप में कार्य करेगी। चौथी योजना में वास तथा शहरी और ग्रामीण योजना के लिए बने वर्किंग ग्रुप ने भी सिफारिश की है कि चौथी योजना में आवास के लिए निर्धारित निधि के 20 प्रतिशत को अधिक मात्रा में भूमि के अर्जन और विकास के लिए निर्धारित किया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह निश्चित कर दिया गया है कि कितना धन इस निधि में जीवन बीमा निगम देगा तथा कितना राज्य सरकारें देगी।

श्री मेहेरचन्द खन्ना : तीसरी योजना में आवास के लिए 180 करोड़ रुपयें नियत किए गए हैं। इसमे से 60 करोड़ रुपये जीवन बीमा निगम देगा तथा शेष आयोजित नियतन से केन्द्रीय सरकार के होंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : हमने नगरों के निकट भूमि के विकास के लिए जो रिवाल्विग फन्ड बनाया है क्या उसका असर ग्रामीण आवास पर नहीं पड़ेगा; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इसका ध्यान रखने के लिए कोई कदम उठाये हैं कि ग्रामीण आवास योजना पहले की तरह सफल हो तथा इस योजना का उन योजानओं पर कोई बुरा असर न पड़े ?

श्री मेहेरचंद खन्ना : मैं समझता हुं कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। हमारी ग्रामीण तथा नगरीय कई प्रकार की योजनाये हैं तथा ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए नियत किया गया धन, नगरीय आवास से बिल्कुल निम्न प्रकार का हैं।

श्री द्वा० ना तिवारी : क्या राज्य सरकारों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कटिबद्ध कर दिया है कि योजना को लागू करे ?

श्री मेहेरचंद खन्ना : मैंने हाल में ही राज्य सरकारों से बातचीत की थी। मैंने स्वयं मुख्य मंत्री को इस बारे में लिखा था। मेंने उन्हें बताया था कि आवास को एक मंत्री के आधीन रखना ठीक होगा। इस समय कुछ राज्यो में आवास का काम कई मंत्री करते हैं। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि मुख्य मंत्री अपने राज्यों के आवास बोर्ड बनायें क्योंकि हम केन्द्र में केन्द्रीय आवास बोर्ड बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार उचीत समन्वय होगा।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether State Governments were directed that the land which was purchased out of this fund, should be allotted to those persons for constructing houses, whose income was below Rs. 200 p.m.?

Shri Mehar Chand Khanna : We have requested the State Governments to purchase as much land as possible to construct their own buildings, because the prices of land are rising. We have allotted Rs. 15 crores to State Governments and I think that they have acquired about 11 or 12 thousand acres of land.

श्रीमति सावित्री निगम : तीसरी योजना में ग्रामीण आवास कितना कम रहा है ? क्या यह सच है कि ग्रामीण आवास कार्यक्रम बडी धीमी गति से चल रहा है ?

श्री मेहेरचंद खन्ना : इसका इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है।

श्री श० न० चतुर्वेदी : यह फन्ड क्लाकवाइज रिवाल्व करेगा अथवा एन्टी क्लाकवाइज रिवाल्व करेगा ?

श्री मेहेरचंद खन्ना : में क्लाकवाइज तथा एन्टी क्लाकवाइज का अर्थ नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : क्लाक दाहनी तरफ से चलती है । संभवतया वह जानना चाहते हों कि क्या वह बाई तरफ से चलेगी ।

श्री प्र० चं० बसप्पा : इस निधि की व्यवस्था किस प्रकार होगी जिससे इसका दुरुपयोग न हो ?

श्री मेहेरचंद खन्ना : में समझता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह निधि बताये जाने से पहले ही हम यह सोचेंगे कि, इसका दुरुपयोग होगा ?

Shri Bade : May I know the amount allotted to M. P. Government and how much money has been given to Improvement Trust by that Government?

Shri Mehar Chand Khanna : M. P. Government have taken Rs. 41 lakhs, 66 thousand and they have acquired about 524 acres of land.

Shri Bagri : This fund is created to check the rise in prices of the land near cities. Government and Corporation have acquired the land at Ghaziabad and at other places at cheap rates and this has affected the market price of land there. May I know whether Government propose to impose restrictions on the prices of land with a view to solve the problem?

Shri Mehar Chand Khanna : The population of cities is increasing due to high rate of birth and influx of persons into cities. We have therefore to acquire land, either at Ghaziabad, Faridabad or Gurgaon. We pay compensation at fixed rates and sell the land at fixed rates according to the rules and regulations.

Mr. Speaker : He says that the prices you charge are on the high side and you should not charge high price with a view to check prices.

Shri Bagri : I want to know whether the Government propose that the prices charged by the Government and the Corporation should be less.

Mr. Speaker : The reply is that the Government is considering this question.

Shri Yashpal Singh : The land has been acquired by the Government at the rate of Rs. 6 per yard and sold at the rate of Rs. 250 per yard through company and Society. May I know whether this socialistic type of Government propose to give some share to the farmers out of the enhanced prices obtained by auction of the land ?

Shri Mehar Chand Khanna : I have just now replied that first we acquire the land and pay the compensation. Thereafter we develop that land by marking arrangement of water, electricity and roads. It is also not possible to construct houses on all the land, which we acquire. We have to leave 30, 40 and 50 per cent of land, after considering all this, we fix the prices. Government do not want any profit.

Value of Indian Currency

*327. { + **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the value of Indian currency has been going down over the last 17 years ;

(b) whether it is also a fact that the present rise in the price level is due to depreciation in the value of currency; and

(c) if so, the steps taken by Government to stabilise the value of the currency?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c), a statement giving the information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) There is no precise or unique measure of the value of currency. Various indices of price movements, such as the wholesale price index or the working class consumer price index, are utilised to obtain a measure of the changes in the internal purchasing power of the currency. The wholesale price index, which is one such measure, has shown an increase of about 100 per cent over the last seventeen years. Nearly half of this rise came about in the post-war and post-partition inflationary phase which lasted upto 1951. Between 1951 and 1963 the increase was small. There has been a significant rise in prices this year as a result of the inadequacy of the output of foodgrains and other essential commodities in relation to the growing demand. Thus, although, the prices have shown a large rise, and hence the internal purchasing power of the currency a fall, over the last 17 years, the trend has been uneven and a large part of the change has been due to special factors. It may be added that over the last few years prices in many foreign countries have shown a larger rise than in India.

The external value of the rupee has remained unchanged since September 1949.

(b) The rise in prices is itself a measure of the change in the internal purchasing power of the currency and the present rise in prices cannot therefore be said to be due to the change in the value of the currency.

(c) A number of measures have been taken to check the rise in the price level, which, as stated above, has been the result of the output of foodgrains and other essential commodities having fallen short of the growing demand. Broadly speaking, Government are trying to (a) bring about a significant and sustained increase in output, particularly in agriculture, (b) import foodgrains and other essential commodities to the extent consistent with the difficult foreign exchange situation, (c) reduce the pressure of demand by restricting Government expenditure and regulating commercial bank credit and (d) regulate prices and distribution of essential commodities.

Shri Bagri : About 15 or 16 years back notes worth seven hundred or eight hundred crores of rupees were in circulation in our country and now it is twenty four hundred or twenty five hundred crores. May I know whether Government are considering to check unnecessary expenditure on items other than Industry and Commerce, with a view to check the increasing mumber of currency notes?

Shri B. R. Bhagat : We always have this in view.

Mr. Speaker : The steps being taken by us are given in the Statement.

Shri B. R. Bhagat : We are spending less and thinking to reduce the expenditure; a reference to this effect has been made in the statement.

Shri Bagri : The value of rupee in our country has gone down from 100 Paise to 17 Paise. In this connection I would like to ask the Hon. Minister, as to whether the income of lower groups of people in our country has increased proportionately. If it has not increased to that extent what measures are being adopted by the Government to ensure increase in the income of lower groups with a view to neutralise the effect of this depreciation in the value of rupee ?

Shri B. R. Bhagat : It is not at all correct to say that the value of rupee has gone down to 17 Paise. According to Government's calculations the value has not gone down so much. Even then, there has been an appreciable increase in the income of people during this period. This increase is there, not from the point of view of money value, but their real income has also increased. Therefore we cannot conclude that the prices have risen highly and the people of the lower income groups are put to great hardships. There might not have been any increase in the income of the poor and they might be facing some difficulty. But the Government's economic policy is framed with a view to remove this difficulty and the Government is striving earnestly for that.

Shri Bagri : My question has not been answered. I had asked about the steps being taken by the Government to remove this difficulty.

Mr. Speaker : It would be a very long statement and requires much time.

श्री अल्वारेश : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निरन्तर बढते हुये मूल्यों से योजना में लगाई जाने वाली धनराशी पर प्रभाव पड़ता हैं क्या सरकार एक ऐसा स्थायी मूल्य स्तर कायम करने की वांछनीयता का विचार कर रही है , जिस के आधार पर यह धनराशि निर्धारित की जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : गतिशील अर्थव्यवस्था में स्थायी मूल्य स्तर जैसी कोई चीज नहीं हो सकती । परन्तु वास्तविक मूल्य नीति बनाने का, जो कि देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार हो, अवश्य ध्यान रखा जाता है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : रुपये की क्रय शक्ति को सरकार किस प्रकार आंकति है ?

श्री ब० रा० भगत : रुपये की क्रय-शक्ति तो मैं ने नहीं आंकी है और न ही यह भारत के रक्षित बैंक ने आंकी है । इस प्रश्न का सम्बन्ध समाचारपत्रों में इस बारे में प्रकाशित समाचार से है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन), जो कि योजना आयोग की अर्थशास्त्री तालिका के सदस्य भी हैं, के इस आशय के वक्तव्य को ओर दिलाया गया है कि भारतीय रुपये का वास्तविक मूल्य पिछले 20 वर्षों में 100 पैसों से गिर कर 17 पैसे रह गया है । और इस ओर भी क्या सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि रुपये के लिये विदेशी मुद्रा के रक्षित भण्डार कानून द्वारा निर्धारित निम्नतम स्तर तक आ जाने के कारण रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी गिर गया है । यदि ऐसी बात है तो सरकार ने इस देशमें रुपय के मूल्य स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यतर को बढ़ाने के लिए क्या पग उठाये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : देश में रुपये का मूल्य और विदेशों में रुपये का मूल्य ये देनों प्रश्न पृथक हैं। जहां तक रुपये के विदेशी मूल्य का प्रश्न है, जो कि एक सरकारी दर है और सभी सौदे उसी आधार पर होते हैं, रुपये के मूल्य के स्तर को बढाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक रुपये के मूल्य के बारे में एक विशेष अर्थशास्त्री द्वारा दिये गये मत का सम्बन्ध है, ऐसा कोई भी मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है जिस से कि रुपये का आन्तरिक मूल्य निर्धारित किया जा सके। निश्चय ही निर्वाह व्यय देशनांक को आधार मान कर रुपये का एक मूल्य लगाया जा सकता है और उपभोक्ता मूल्य देशनांक को आधार मान कर दूसरा मूल्य लगाया जा सकता है। इन मानदण्डों को देखते हुए भी इस अवधि में रुपये का मूल्य 17 पैसे नहीं रह गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : रुपये का मूल्य कितना गिर गया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह कहीं अधिक है . . . . (**अन्तर्बाधा**)।

श्री हेम बरुआ : मैं यह निवेदन करता हूं कि जिस अर्थशास्त्री ने यह बयान दिया है कि रुपये का मुल्य 17 पैसे रह गया है वह कोई साधारण अर्थशास्त्री नहीं है। वह तो योजना आयोग की अर्थशास्त्री तालिका का सदस्य है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि उन से भी मतभेद हो सकता है।

Shri M. L. Dwivedi : The Hon. Minister observed just now that the rupee has not depreciated in the foreign countries and it can be exchanged there for its actual price. But I have recently returned from there and I know that we cannot get even the value of 100 rupees for our 280 rupees. In this respect, may I know why the value of our rupee has fallen in the foreign countries.

Shri B. R. Bhagat : The reason is that we are checking smuggling. We are stopping the illegal transaction of foreign exchange which was going on in the foreign countries. It is why that the value of rupee in the black market has gone down. But in the case of official rate and trade, all the foreign payments are made according to the same value of the rupee.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि उनके हिसाब से रुपये का मूल्य 17 पैसे नहीं रह गया है जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता ने कहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के हिसाब से रुपये का कितना मूल्य गिरा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसका हिसाब लगाना सम्भव नहीं है (**अन्तर्बाधा**)

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : सरकार के लिये यह हिसाब लगाना सम्भव नही है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत : या सरकार हिसाब लगाना नहीं चाहती ?

श्री अ० प्र० जैन : जहां तक रुपये के विदेशी मूल्य का सम्बन्ध है, यह सब को भली प्रकार ज्ञात है कि विदेशों में रुपये की एक सरकारी दर है और दूसरी गैर सरकारी दर। डालर में रुपये के सरकारी मूल्य और गैर-सरकारी मूल्य के बीच कितना अन्तर है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : हमें केवल सरकारी मूल्य की ही जानकारी है। जितना किसी वस्तु को देश मे आयात करना वांछनीय है इसके लिये हम सरकारी दर पर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं। जहां तक इसके गैर-सरकारी मूल्य का सम्बन्ध है, वह उन लोगों की मांग पर निर्भर करता है जो कि सरकारी दर पर विनिमय की व्यवस्था नहीं कर पाते। यदि वे सरकारी दर पर इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते और उनके पास ऐसे सामान हैं जिसमें वे अधिक धन देकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार कोई नियंत्रण नही कर सकती।

ऐसा हो सकता है कि बहुत से व्यक्ति भारत से बाहर जा रहे हों और वे व्यय करने के लिये धन चाहते हों। उस समय कदाचित वे लोग किसी फर्म को 13 रुपये से 25 रुपये तक की दर पर भी रुपया देने के लिये तैयार हो सकते हैं। यह एक ऐसा मामला है जो कि व्यक्ति विशेष की उस समय की आवश्यकता तथा उसकी धन की व्यवस्था करने की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिससे हम किसी देश की आर्थिक अवस्था अथवा स्थिरता का अनुमान लगा सकें।

श्री अ० प्र० जैन : गैर-सरकारी दर की ओर अपनी आँखे बन्द मत रखिये। यह भली भाँति ज्ञात है। मैं यह जानकारी लेना चाहता था कि गैर-सरकारी दर क्या है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं किसी गैर-सरकारी दर को मान्यता नहीं देता और नही उसे जानता हुं।

श्री अ० प्र० जैन : क्या मंत्री महोदय अपनी आँखें बन्द ही रखेंगे और यह नहीं देखेंगे कि क्या गैर-सरकारी दर चल रही है ?

श्री हेम बारुआ : पाकिस्तानी रुपये का भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इससे अधिक मूल्य है।

श्री श्यामलाल शर्राफ : क्या देश के अन्दर इष्टक मुद्रास्थीति के कारण ही रुपये का मूल्य गिर गया है और यदि हां, तो मूल्य को स्थिर रहने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : देश में मूल्यों में जितनी वृद्धि होती है उस सीमा तक हम कह सकते हैं कि रुपये का मूल्य गिर जाता है। इस सम्बन्ध में हम सभी प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं और विशेषतया गत कुछ महीनों में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के कारण हम सरकारी व्यय पर खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अनेक कदमों के उठाये जाने की घोषणा की है जिसमें इस सम्बन्ध मे जनसंख्या की माँग का नियंत्रण भी सम्मिलित है। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय जनसंख्या पर दोषारोपण कर रहे हैं।

पूर्व-निर्मित मकान

*328. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री किशन पटनायक :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व-निर्मित मकानों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) योजना आयोग के सदस्य प्रो० एम० एस० थाकर की अध्यक्षता में, राजकीय क्षेत्र के अंतर्गत, दिल्ली और भिलाई में "प्रफैब्रीकेटेड हाउसिंग प्लान्ट" स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच पड़ताल करने के लिए एक टैक्नीकल कमेटी नियुक्त कर दी गयी है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

समिति पूर्वगठित भवन-संयंत्र को (1) दिल्ली तथा (2) भिलाई में स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच करेगी तथा और बातों के साथ वह भारत सरकार को विशेषरूप से निम्नलिखित मुद्दों पर प्रत्येक संयंत्र के विषय में अलग से सलाह देगी :—

(1) सभी संबंधित तथ्यों—जैसे कि (क) जलवायु तथा रहने की अवस्थायें ; (ख) परंपरागत तथा पूर्वगठित भवनों के वर्तमान तथा दस-पन्द्रह वर्षों में होने वाले तुलनात्मक व्यय ; (ग) परंपरागत तथा पूर्वगठित भवनों की ज़ोरदार मांग आदि-पर विचार करते हुए यह सलाह देगी कि क्या दिल्ली तथा भिलाई में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वगठित भवन संयंत्र स्थापित करने चाहिए ?

(2) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र पूर्वगठित भवन के साथ साथ परंपरागत भवन को भी साथ लिए हो (जिसमें कन्क्रीट के फ़र्श, लिंटन, छज्जे, सीढ़ियां आदि पूर्वगठित हों और भार को संभालने के लिए परंपरागत ईंटों की चिनाई वाली दीवारें हों) अथवा पूर्ण रूप से पूर्वगठित भवन निर्माण के लिए हो, जिसमें दीवारें भी पूर्वगठित खंडों में हों ?

(3) प्रस्तावित संयंत्र "स्पेशलाइज्ड रेनफ़ोर्सड कन्क्रीट फैक्ट्री" या "कासेट" (cassette) या "कोज़लोव" प्रकार का हो या यू० एस० एस० आर० में उपलब्ध अन्य किसी और प्रकार के संयंत्र के समान हो अथवा पूर्वी यूरोपीय देशों में उपलब्ध संयंत्र के समान हो और इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए ?

(4) यदि प्रस्तावित संयंत्र चलता-फिरता नहीं हुआ तो दिल्ली में उसकी स्थापना "हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी" के समीप की जाय अथवा किसी और स्थान पर ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस बात को देखते हुए कि कोई भी देश एक ठोस औद्योगिक आधार के बिना किसी पूर्व-निर्मित आवास योजना को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता और क्यों कि हमारे पास ऐसा आधार नहीं है अतः क्या ऐसी स्थिति में इतने बड़े इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करना क्या भारत सरकार के लिये उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सरकार को एक परामर्श दिया गया है।

श्री मेहर चंद खन्ना : इसी कारन तो हमने एक समिति नियुक्त की है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या रूस ने भारत सरकार से पूर्व-निर्मित गृहों का निर्माण करने वाले एक संयंत्र को स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव किया है और यदि हाँ, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं और क्या वे भारत सरकार को स्वीकार्य हैं ?

श्री मेहर चंद खन्ना : भारतीय इंजीनियर रुस, अमेरिका और अन्य कुछ देशों में गये थे और फलतः हमें कुछ सम्बन्धित जानकारी मिली है। सारी जानकारी एक जगह एकत्रित कर ली गई है और अब

वह उस समिति के सम्मुख रखी जा रही है जो कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिये नियुक्त की गई है। आशा है कि समिति का प्रतिवेदन इस महीने के अन्त तक मिल जायेगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहिले पूर्व-निर्मित मकान बनाये गये थे और उनके बारे में कुछ गम्भीर रूप की शिकायतें थीं और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन शिकायतों के स्वरूप की जांच की है और क्या अब वे उन बातों को ध्यान में रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अब हमें आगे की बात करनी चाहिये, पाँच वर्ष पहिले की नहीं। इतने पहिले की बात करने पर श्री कामत का एकाधिकार था।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने मामला केवल इसलिये उठाया था कि हर काम गलत हुआ था।

Shri Yashpal Singh : How much amount will be provided for the purpose in the Fourth Five Year Plan and how much out of that will be meant for rural and urban areas separately ?

Shri Mehr Chand Khanna : I hope that a provision of 600 crores of rupees will be made in the Fourth Five Year Plan, in comparison to the provision of about 200 crores of rupees made in the Third Plan. But it is difficult to say at this moment that provision to this extent will surely be made.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इन पूर्व-निर्मित मकानों की योजनाओं को लागू करने की सम्भावना की जाँच करने के लिये, जिससे कि आवास समस्या से मुक्ति मिल सके, और पूर्व-निर्मित मकानों की लागत को कम करने के प्रश्न की जांच करने के लिये राज्यों के आवास मंत्रियों की एक बैठक चंडीगढ़ में हुई थी और यदि हाँ, तो यह बैठक किस सीमा तक सफल सिद्ध हुई थी ?

श्री मेहर चंद खन्ना : यह बैठक इस महीने की 29, 30 और 31 तारीखों को चन्डीगढ़ में होनी है ; यह अभी तक हुई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न पूछते समय किसी सदस्य के दृष्टिकोण का कदाचित उसके बैठने के स्थान से भी कुछ सम्बन्ध होता है। श्री पी० सी० बरुआ के सीट बदलने के पश्चात् उनके रुख में कुछ परिवर्तन हो गये है।

श्री रा० बरुआ : विवरण में यह दिया गया है कि :

"यदि प्रस्तावित संयंत्र चलता-फिरता नहीं हुआ तो दिल्ली में उसकी स्थापना 'हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी' के समीप की जाय अथवा किसी और स्थान कर ?"

इसका अर्थ यह है कि इसे 'हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी' के समीप स्थापित किया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि निम्न आय वर्ग के लोगों की मकान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने अपना क्या योगदान दिया है ?

श्री मेहर चंद खन्ना : हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी अब बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसा कि कि आपने कहा था, इसे प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां हुई थीं। अब हमारा इसका उत्पादन लगभग 60 या 70 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 140 या 150 लाख रुपये का हो गया है। इस कारखाने को अब हम थोड़े से लाभ पर चला रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने सबक सीखा है ?

श्री रा० बरुआ : निम्न आय वर्ग के लोगों की मकान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस फैक्टरी ने क्या योगदान दिया है ?

श्री मेहर चंद खन्ना : हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी केवल पैनलों का उत्पादन कर रही है जो कि पूर्व-निर्मित कार्यालय भवनों का निर्माण करने में उपयोग किये जा रहे हैं। मकान सम्बन्धी कार्य अभी तक हमने प्रारम्भ नहीं किया है। समिति को जो प्रश्न सौंपे गये हैं यह भी उनमें से एक है, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार कार्यालय भवनों के लिये तो पूर्व-निर्माण कुछ सस्ता रहेगा परन्तु यदि हम पूर्व-निर्मित पैनलों से मकान बनायेंगे तो वे परम्परागत मकानों से अधिक लागत के हो सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने उस अकीर्तिपूर्ण असफलता से जो कि पिछले चालीस वर्षों में पूर्व-निर्मित आवास योजना के समाप्त होने में मिली थी कुछ सबक सीखे हैं ? यदि हाँ, तो इस योजना की पूर्व-निर्माण करने की प्रक्रिया और इससे पहिले की योजना की इस प्रक्रिया में क्या अन्तर है ?

श्री मेहर चंद खन्ना : यदि प्रश्नकर्ता महोदय को इससे कुछ संतोष प्राप्त होता है तो मैं यह कहने के लिये तैयार हुं कि जो परिस्थितियां आज से 10 अथवा 15 वर्ष पहिले थीं उनसे हम कहीं आगे बढ़ गये हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है यह फैक्टरी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस मामले में मेरा अपना विचार यह है कि विश्व भर में इस समय पूर्व-निर्मित पद्धति से मकान बनाना बहुत प्रचलित हो चुका है और यदि हमें सामग्री, समय तथा धन की बचत करनी है तो हमें भी पूर्व-निर्मित मकान बनाने की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे खेद है कि मेरा विशिष्ट प्रश्न टाल दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : किस प्रकार ?

अध्यक्ष महोदय : यह कारखाना निर्माण के लिये केवल पैनलों का उत्पादन कर रहा था।

श्री हरि विष्णु कामत : यही तो कारण है जिससे उसे असफलता मिली।

अध्यक्ष महोदय : अब वे पूर्व-निर्मित मकानों के कार्य को प्रारम्भ करने वाले हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने पूर्व-निर्माणीकरण की एक प्रक्रिया अपनाई थी। क्या वह प्रक्रिया गलत थी ? यदि हां, तो उस प्रक्रिया में क्या सुधार अथवा संशोधन किया गया है अथवा क्या उसके स्थान पर बिलकुल दूसरी प्रक्रिया अपना ली गई है और विभिन्न मिक्सचर आदि का उपयोग करके पूर्व-निर्माणीकरण की एक नई प्रक्रिया चलाई जा रही है ? क्या वह इसकी बारीकियों को जानते हैं ?

श्री मेहर चंद खन्ना : हमने अमेरिका को एक दल भेजा था। वहाँ से वापस आने पर उन्होंने कुछ सुझाव दिये। हिन्दुस्थान हाउसिंग फैक्टरी में अप कुछ सुधार कर दिये गये हैं। विचार यह है कि आधुनिक संयंत्रों में से एक लगाया जाये जो कि इस समय बनाये जा रहे है। इस प्रश्न की जाँच करने के लिये जो विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं वे जब तक अपना प्रतिवेदन नहीं दे देते तब तक मैं सदन को कोई सलाह नहीं दे सकता अथवा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the extent of percentage required for constructing a house and the difference brought about as a result of installation of the new pre-fabricating plant ?

Shri Mehr Chand Khanna : We want to install new plants in Delhi and Bhilai. There is no reference to old plants here.

Shri Onkar Lal Berwa : My question has not been answered.

Shri Mehr Chand Khanna : So far the question of construction of office buildings is concerned we will get a benefit of 14 to 15 percent. As regards houses, we have been told that the use of pre-fabricated material will entail higher expenditure; if we go for a mixed project namely, semi pre-fabricated and semi-traditional pattern, probably it will not lead to higher expenditure. The question of loss does not at all arise.

Shri M. L. Dwivedy : May I know the names of the members of the committee appointed by the Government on this matter ? Have they got some experience or knowledge of the pre-fabricated housing and if not, on what basis they have been taken in the Committee ?

Shri Mehr Chand Khanna : If the Hon. Member listens to the names of the member of the Committee he will come to know that they are very capable persons and engineers. As already stated, Dr. Thacker is the Chairman of this Committee. Other members of the Committee are : Lieut.-General Williams, Hony. Adviser to the Council of Scientific and Industrial Research, Shri N. G. Dewan, Chief Engineer, C.P.W.D., Shri Sinha, Consulting Engineer to the Govt. of India in Transport Ministry. We have included much persons in the Committee who are well acquainted with this matter.

Shri M. L. Dwivedi : Only four names have been stated so far while the members of the Committee are seven.

Shri Mehr Chand Khanna : I will state the remaining names also.

Mr. Speaker : Next question.

आवास योजनाओं का एकीकरण

*329. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागडी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री राम हरख यादव :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री धर्मलिंगम् :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन विभिन्न योजनाओं का, जिनके अन्तर्गत निम्न-आय वर्ग तथा मध्यम-आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण अथवा राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है, एकीकरण करेगी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसा कदम उठाना किस कारण आवश्यक हुआ है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहेर चंद खन्ना): (क) और (ख) चौथी योजना में आवास तथा शहरी और ग्रामीण योजना पर योजना आयोग द्वारा स्थापित वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है कि वर्तमान शहरी योजनाओं का एकीकरण दो योजनाओं में कर दिया जाये, जैसे अनुपूर्तित किराये की आवास योजना और ऋण की आवास योजना। 29, 30, और 31 दिसम्बर को होने वाले आवास मंत्रियों के सम्मेलन में इन सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जायेगा।

(ग) इसका अभिप्राय है कि वर्तमान योजनाओं को सरल तथा युक्तिसम्मत बना दिया जाये।

श्री प्र०चं० बरुआ : यह बताया गया है कि इस नई एकीकृत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक लाभ प्रदान करना है। क्या मैं जान सकता हूं कि मध्यम आय वर्ग के लोगों की तुलना में निम्न आय वर्ग के लोगों को इस योजना द्वारा क्या अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जायेंगे ?

श्री मेहर चंद खन्ना : हमारी छः या सात योजनायें है और उन्हें दो श्रेणीयों में विभक्त करने का विचार है। इस सारे मामले की जांच कर ली गई है और इस पर योजना आयोग के साथ चर्चा भी कर ली गई है और अब मेरा विचार इसे आवास मंत्रियों के सम्मेलन में रखने का है। दिल्ली के दृष्टिकोण से तथा राज्यों के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर हमारे विचार कर लेने के पश्चात् योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्र०चं० बरुआ : सहायताप्राप्त योजना के अधीन निर्धन वर्ग के लोगों के लिये क्या सुविधायें अथवा लाभ प्रदान किये जायेंगे ?

श्री मेहर चंद खन्ना : यही बात तो मैं माननीय सदस्यों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हम योजना को नया रूप देना चाहते हैं। सम्भवतया कुछ मामलों में हमें कुछ अधिक आर्थिक सहायता देनी होगी और कुछ में तनिक कम। इन सब बातों की जांच की जायेगी।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार यह देखेगी कि उस वित्तीय सहायता से उन्हें मकान बनाने के लिये थोड़ा सा सीमेन्ट मिल जाये ?

श्री मेहर चंद खन्ना : मैने यह देखा है कि सीमेन्ट के सम्बन्ध में कठिनाई होती है और मैं उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री से इस सम्बन्ध मे कहता रहा हूं। परन्तु उनकी प्रतिक्रिया बहुत सराहनीय नहीं रही है।

Shri Yashpal Singh : May I know when the opportunity of their integration provided, how assistance is proposed to be given to those people who do not possess plots ?

Shri Mehr Chand Khanna : We have two types of schemes. One is to advance loans, so that people may be the owners of the houses and another is for giving some concession rents such as slum clearance scheme and Industrial Scheme. Schemes are being prepared to provide more facilities in rural areas as we have in urban areas of advancing loans and of giving other facilities. I want that similar loans and other facilities should also be given in the villages so that houses could be constructed there.

Shri Bagri : The problem of houses in the country is taking a serious turn and one of the main reasons for this is the shortage of land. Do Government propose to acquire surplus lands, such as Race course in Delhi, and other places

which are less necessary or big bungalows, and to give them on loan for constructing houses to those persons who do not own houses ?

Shri Mehr Chand Khanna : So far big bungalows are concerned, Finance Minister and Housing Minister are of the opinion that we should undertake construction of multi-storeyed buildings and some such work has already been done. As regards Race course and other places, I am to submit that there is a Master Plan for Delhi, according to which we can construct houses only on a specified place and other specified place has to be kept green. So far as Race course and Golf course are concerned, they do not matter as houses cannot be constructed there.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकर को इस बात का पता है कि कम आय वाले तथा बीच की आय के लोगों को मकान बनाने के लिये जो ऋण दिये जाते हैं वे बहुत अपर्याप्त हैं ? क्या इन व्यक्तियों के लिये ऋण की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मेहर चंद खन्ना : हमने हाल ही में ऋण की राशी बढ़ा दी है । निम्नतम राशि 8,000 रु० से बढ़ा कर 10,000 रु० कर दी गई है । इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी सीमा बढ़ाने की प्रार्थना मिली है । जहां तक इस योजना का संबंध है राशियां 3-4 वर्ष हुए नियत की गई थीं और उनमें परिवर्तन करने की कोई संभावना नहीं है । परन्तु जहां तक चतुर्थ योजना का संबंध है, जैसा कि मैंने सभा को कुछ समय पहले बताया था, मैं कम से कम तीन गुना आवंटन करता रहा हूं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि बहुत से सफेद पोश तथा धनी लोगों ने कम आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग योजना का दुरुपयोग किया है ?

श्री मेहर चंद खन्ना : चाहे कोई सफेद पोश है चाहे काला पोश है, यदि माननीय सदस्य मुझे किसी विशिष्ट मामले की सूचना देंगे तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं ।

श्री शिवनन्जप्पा : क्या वित्तीय सहायता केवल शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक मज़दूरों तक ही सीमित है?

श्री मेहर चंद खन्ना : मैंने अभी बताया कि हमारे पास दो प्रकार की योजनाएं हैं : एक तो वित्तीय सहायता की योजना जिसमें हम पूंजी की सहायता देते हैं और दूसरी किराये की सहायता । ये सब योजनाएं हैं; हम उन्हें युक्तिसंगत बनाना चाहते हैं और श्रेणियों में रखना चाहते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या "अपना घर बनाइये" नाम की कोई योजना है । और यह कि उन व्यक्तियों को, जो 25 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ऋण दिये जायेंगे, और क्या सेवानिवृत्त व्यक्तियों को दिल्ली में बसने के लिये अथवा उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस स्थान पर उनका काम हों वहां पर बसने के लिये कोई ऋण दिया जायेगा ।

श्री मेहर चंद खन्ना : क्या आपका अर्थ सरकारी कर्मचारियों से है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जी, हां ।

श्री मेहर चंद खन्ना : जो योजनाएं सभा के सामने हैं उनके अतिरिक्त कोई योजना नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री प्रश्न नहीं समझ पाये हैं । प्रश्न यह है कि क्या सेवानिवृत्त व्यक्तियों अथवा सरकारी कर्मचारियों ने यह मांग की है कि उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उन्हें दिल्ली जैसे शहर अथवा अन्य किसी स्थान पर अपने घर बनाने के लिये कुछ भूमि अथवा ऋण के रूप में कुछ सहायता दी जानी चाहिये ।

श्री मेहर चंद खन्ना : मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परन्तु एक बात स्पष्ट है और वह यह कि एक सरकारी कर्मचारी चाहे वह सेवामुक्त हो गया है यदि सेवा में है, हमारे पास एक योजना है जिसके अन्तर्गत उसे ऋण दिया जा सकता है, और हम अनेक सरकारी कर्मचारियों को भी उनके मकान बनाने के लिये ऋण दे रहे हैं।

Shrimati Jamuna Devi : What are the reasons for Madhya Pradesh lagging behind all the states in solving the housing problem of low income and middle income groups and whether the question that construction of houses for every employee upto the District level should be undertaken by Government with a view to solve their housing problem will be discussed in the coming conference ?

Mr. Speaker : Only first part of the question need be answered.

Shri Mehr Chand Khanna : About a month back I had been to Madhya Pradesh and remained their for 5-6 days. Great work is being done in Madhya Pradesh. State Government had demanded Rs. 35 lakhs from me and the same was given. I promised them a further grant of one crore of rupees next year.

पश्चिमी जर्मनी की पूंजी का विनियोजन

\+

*330. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ति :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादिश राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने जर्मन गणराज्य संघ के साथ एक करार किया है जिसमें उस देश के गैर-सरकारी विनियोजकों को उनके सम्पत्ति-हरण के जोखिम के लिये गारंटी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बाते क्यां है; और

(ग) यह करार कब से लागू किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) भारत में लगी जर्मनी की गैर-सरकारी पूंजी से सम्बन्ध कुछ गारंटियों के बारे में भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के बीच 15 अक्टूबर, 1964 को एक करार हुआ था।

(ख) राष्ट्रीयकरण होने पर जर्मन निवेशकों को उचित और न्यायसंगत क्षतिपूर्ति करने और लाभ की रकमों, लाभांशों और समापन कार्रवाई से प्राप्त होनेवाली रकमों आदि के प्रेषण के लिए भी करार में व्यवस्था की गयी है। आदान-प्रदान किये गये पत्रों की प्रतियां 26 नवम्बर, 1964 को सभा की मेज पर रख दी गयी थीं।

(ग) करार 15 अक्टूबर, 1964 से लागू हो गया है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या ऐसी प्रतिभूतियां हम ने भुतकाल में अन्य देशों को भी दी हैं और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और यदि नहीं तो इस नयी नीति के क्या कारण हैं ;

श्री ब० रा० भगत : इस से बहुत कुछ मिलता जुलता करार हम ने अमरीकी सरकार से किया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह प्रतिभूति सरकार के अनुमोदन से चलाये जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्योगों अथवा परियोजनाओं के विरुद्ध ही दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जी, हां ।

श्रीमति सावित्री निगम : पश्चिम जर्मनी के नियोजकों ने कितनी राशि लगाई है तथा क्या यह प्रतिभूति केवल अमरीका और पश्चिम जर्मनी को ही दी गई है अथवा कुछ अन्य देशों को भी दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने बताया कि अमरीकी सरकार ।

अध्यक्ष महोदय : पश्चिम जर्मनी तथा अमरीका के अतिरिक्त भी क्या कोई देन हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं । जहां तक नियोजन का संबंध है, 1960 में बकाया नियोजन 6.8 करोड़ रु० का था; 1961 में 2.39 करोड़ रु० के लिये बात चीत की गई थी; 1962 में 1.8 करोड़ रु० और 1963 में 1.7 करोड़ रुपये ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उचित तथा न्यायसंगत प्रतिभूतियां, जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया, पूर्णतया भारत के संविधान के अन्तर्गत नहीं दी जाती हैं और यदि हां, तो सरकार के लिये ऐसा असामान्य कदम उठाने के क्या कारण हैं कि नियोजन के लिये अलग अलग राष्ट्र को अलग अलग प्रतिभूति दी जाये ?

श्री ब० रा० भगत : यह कोई असामान्य बात नहीं है । हम ने पहले भी अमरीका और पश्चिमी जर्मनी से एक समझौता किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि क्या ऐसी प्रत्याभूति स्वयं संविधान से ध्वनित नहीं है ? वह यही पूछना चाहते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री ति०त०कृष्णमाचारी) : प्रश्न हमारी गारंटी देने का नही है। गारंटी तो सम्बधित देश द्वारा दी जाती है । उनको गारंटी देने के योग्य बनाने में उस सरकार से हमारी सूझबूझ होती है ।

डा० रानेन सेन : जो गारंटी गैर सरकारी विनियोजकों को दी जाती है उस बारे में क्या गैर-सरकारी विनियोक्ता भारत में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन करता है और यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन से उद्योग आते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जिस किसी क्षेत्र में वह पूंजी लगाना चाहें, वह सब उद्योग उस के अन्तर्गत आते हैं ।

Shri Prakashvir Shastri : May I know whether the businessmen of Germany had brought this to the notice of the Parliamentary Delegation, which visited Germany under your Chairmanship, that the Government of India have put certain particular difficulties regarding investmenting capital in the private sector in India and if so, the action taken by the Government to remove them ?

Mr. Speaker : He is putting this question to me. What can I tell him ? I had not gone there to conclude any trade agreement.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी जर्मनी के साथ जो समझौता किया गया है उस के अन्तर्गत सहकारी योजनायें आती है अथवा पश्चिमी जर्मनी के विनियोक्तों द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाई जाने वाली योजनायें आती है और यदि ऐसा है तो वह कौन से मुख्य उद्योग हैं जिन में वह सीधे पूंजी लगा सकेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : इस का सम्बन्ध उन योजनाओं में सहकारिता लाने का है जिन में पूंजी लगाई जायेगी । इस में वे सभी परियोजनायें आती हैं जिन के बारे में पश्चिमी जर्मनी की सरकार विनियोक्तों को गारंटी देगी ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या वे सहकारिता के बिना अपने आप पूंजी लगा सकेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : वे अपने आप पूंजी लगा सकते हैं । परन्तु जिस के बारे में पश्चिमी जर्मनी गारंटी नही देगी, वह इस के उन्तर्गत नहीं आयेगा ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे साख गारंटी सम्बन्धी समझौते कई बार विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संगठित चालबाज़ों को जन्म देते हैं जो इन का अनुचित लाभ उठाते हैं और विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करते हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन से बचने के लिये क्या उपलब्ध किये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जब हम गारंटी देंगे तो इस को ध्यान में रखा जायेगा । प्रत्येक ऐसे मामले की जांच की जायेगी ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : प्रश्न यह था.......

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ग्राह्य नहीं है ।

श्रीमती शारदा मुखर्जी : मंत्री जी ने अभी कुछ उचित तथा समन्याय्य प्रतिलाभ का उल्लेख किया है । क्या मैं जान सकती हूं कि पश्चिमी जर्मनी सरकार ने पूंजी पर न्यूनतम प्रतिलाभ के सम्बन्ध में कोई शर्तें लगाई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं ।

श्री अल्वारिस : इस गारंटी के आधार पर प्रतिकर का हिसाब लगाते समय क्या सरकार इन्हीं बातों को ध्यान में रखेगी ? मानो उन्हों ने गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी ही परियोजनाओं में विनियोजन किया हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह कल्पनात्मक है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संबंधी गोष्ठी

\+

*331. { **श्री रा० गि० दुबे** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हे० वी० कौजलगी : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसन्धान संगठन की हाल ही में दिल्ली में हुई विचार-गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गयी थी, और

(ख) किन देशों ने इस गोष्ठी में भाग लिया था ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री०पु०शे० नास्कर) (क) तथा (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विचार-गोष्ठी में, जिस का आयोजन मस्तिष्क अनुसन्धान पर अध्ययन सम्बन्धी ज्ञान का आदान-प्रदान करने, मस्तिष्क अनुसन्धान की उन्नति के लिये विभिन्न सारभूत प्रविधियों पर चर्चा करने और ऐसी सभी प्रविधियों का प्रदर्शन करने के लिये किया गया था, मुख्यता बहु-अनुशासनात्मक ढंग को अपनाने की आवश्यकता को व्यक्त किया गया तथा इस आवश्यकता पर जोर दिया गया कि :

(i) मस्तिष्क अनुसन्धान सम्बन्धी समस्याओं में प्रबल अभिरूचि रखने वाले सेविवर्ग को प्रशिक्षण दिया जाये;

(ii) सर्वोत्तम प्रकार के औज़ार और उपकर्णों की व्यवस्था की जाये;

(iii) एक प्रकार के ग्रीष्म कालीन विद्यालयों को स्थापित किया जाये जिन में व्यावहारिक प्रदर्शनों तथा कार्य सबंधी चर्चा के साथ साथ समस्याओं पर चर्चा की जा सके।

(ख) अमरीका, इटली, स्विजरलेण्ड, जर्मनी और स्वीडन ने इस विचार-गोष्ठी में भाग लेने के लिये विशेषज्ञ को भेजा था। नेपाल से दो प्रतिनिधियों ने भी इस विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अन्तर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसन्धान का क्या अर्थ है ? अन्तर्राष्ट्रीय मस्तिष्क पर अनुसन्धान अथवा मस्तिष्क पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर को आने दो वह जानना चाहते हैं कि क्या अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रीय है अथवा मस्तिष्क अन्तर्राष्ट्रीय है। श्री दुबे।

श्री रा० गि० दुबे : अनुसन्धान तथा इसके लिये अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत संसार के कुछ उन्नत देशों की तुलना में कैसा है।

श्री पू० शे० नास्कर : भारत में इस क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उस का ब्योरा गत 21 नवम्बर के प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उस ने पूछा है कि हम इस बारे में अन्य देशों की तुलना में कैसे हैं ?

श्री पू० शे० नास्कर : हम तुलनात्मक दृष्टि से बुरे नहीं हैं।

श्री रा० गि० दुबे : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मस्तिष्क अनुसन्धान कार्य का सही रूप में क्षेत्र क्या है ?

क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस के अन्तर्गत कौन सी समस्याएं आती हैं और क्या सरकार इस क्षेत्र के विद्वानों तथा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री पू० शे० नास्कर : मस्तिष्क अनुसन्धान एक बहुत व्यापक विषय है। परन्तु यह मुझे बताया गया है कि तथा-कथित विचार-परिवर्तन (ब्रेन-वाशिंग) इस के अन्तर्गत नहीं आता। हमारे देश में अनुसन्धान कार्य करने वाले वृत्तिछात्रों के लिये छात्रवृत्तियों की हमारे पास गुंजाइश है और हम कभी कभी अपने वृत्तिछात्रों को अग्रेतर प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजते हैं।

Shri Yashpal Singh : Before appointing such committees, do Government think that the brains of the people are not as different as Delhi and Bareilly stations are ? The brain of a man depends upon his mental health. If he is healthy his brain will also be healthy. Have Government ever enquired from those representatives as to what for these committees are being appointed on these things separately ?

Mr. Speaker : The name of Thakur Saheb should also be included in the next delegation, when constituted in respect of brain research.

Shri Yashpal Singh : The Government should reply to the question whether they had its idea or not ?

Mr. Speaker : He should put this question in that conference.

Shri Yashpal Singh : If it is so, then research will be done on each and every thing. Research will have to be carried on little finger, middle finger and index finger separately and thus public money will be wasted.

Shri Y. S. Chaudhury : Research was carried out on a number of problems relating to brain at the seminar. Has any research also been done as to how the brains of the ruling politicians work ?

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह अनुसन्धान मस्तिष्क में विकारों तथा गड़बड़ी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है अथवा इस की सामर्थ्य तथा शक्तियों को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है ?

श्री पू० शे० नास्कर : श्रीमन यह एक बड़ा प्रविधिक विषय है और मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है। जो कुछ मैं जानता हूं वह यह है कि इस विषय का सम्बन्ध मस्तिष्क के किसी रोग से ही है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में इस मूल समस्या के सम्बन्ध में क्या योगदान दिया गया है कि मस्तिष्क शल्य-चिकित्सक यदि किसी की विचार-स्वातन्त्र्य में हस्तक्षेप करता है तो वह संवैधनिक विशेषाधिकार को भंग करने का दोषी समझा जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : विचार-स्वातन्त्र्य।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : फ्रांस में जो अभी तक चिकित्सा-कानूनीं समस्यायें पैदा हुई हैं, उन से वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि कोई एक मस्तिष्क शल्य-चिकित्सक विचार-स्वातन्त्र्य को किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करेगा तो वह मानव के मूल अधिकारों का भंग करेगा यदि वह किसी विशेष व्यक्ति के विचारों में हस्तक्षेप करेगा..........

अध्यक्ष महोदय : अगली बार उन को भी शिष्टमण्डल में सम्मिलित करने पर विचार किया जाय।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether the names of the countries was also disclosed at the seminar where there are maximum brain disorders and where the standard of brain is very low ?

श्री पू० शे० नास्कर : श्रीमन, इस का सम्बन्ध आधारभूत चिकित्सा अनुसन्धान तथा मस्तिष्क के रोगों से है। ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिये 10 देशों से विशेषज्ञ आये थे। आधार

भूत चिकित्सा विज्ञान पर अनुसन्धान किया गया था। माननीय सदस्य ने जिन बातों का अभी उल्लेख किया है वह सभी कुछ हमारे देश में किया जा रहा है। सम्मेलन में विचारों का आदान-प्रदान किया गया था।

Shri Sarju Pandey : I want to know the country having maximum number of insane persons as disclosed at the seminar on brain research ?

Mr. Speaker : This conference is not concerned with mad people.

Shri Kachhavaiya : I had also asked in which country the brain disease is most precealent ?

Mr. Speaker : This concerns research in brain. If you want to ask questions about lunatics, then a separate question may be asked.

विदेशी मुद्रा संबंधी-नियमों का उल्लंघन

*332. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में अब तक विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1963 के आंकड़ा से इसकी क्या तुलना है, और

(ग) इन मामलों में अभियोजन की शीघ्रतापूर्वक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) वदेशी मुद्रा विनियमों के प्रवर्तन निदेशालय ने पहली जनवरी से 31 आक्तूबर, 1964 तक कुल 2130 मामले पंजीबद्ध किये थे, जब कि इसके विपरीत 1-1-63 से 31-10-63 तक 2403 मामले पंजीबद्ध किये गये थे।

(ग) विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अनुसार इन मामलों का न्याय निर्णय प्रवर्तन निदेशालय करेगा। जिस मामले में, प्रवर्तन निदेशालय की राय में जो दण्ड देने का उनको अधिकार है वह पर्याप्त नहीं हैं तो उसके लिये अभियोजन भी उपबन्धित है। भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन भी अभियोजन प्राधिकृत है। 1964 में 13 मामलों में अभियोजन किया गया `जिनमें से 12 मामले न्यायालयों में लम्बित है, एक मामले में जिसमें अर्थ दण्ड की प्राप्ति हो गई थी, अभियोजन वापिस ले लिआ गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सत्य है कि भारत में कुछ ऐसी व्यवसाय फ़र्में हैं जिन्होंने ब्रिटानिया और संयुक्त राज्य में अपने कार्यालय खोले हुए हैं और पटसन में कम मूल्य के बीजक बना कर उन देशों में अपनी विदेशी मुद्रा की, बचत कर लेते हैं। यदि हां, तो पटसन के कम मूल्य के बीजक बनाने को रोकने के लिये और भारत के बाहर उनके लेखे की जांच करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी : भारत के बाहर उनके लेखे को प्राप्त करना अथवा उनकी भारत के बाहरकी शाखाओं की जांच करना सम्भव नहीं हैं। यह तभी सम्भव है यदि उन क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो सके। इस देश में कम मूल्य के बीजक बनाने को रोकने के लिये हर प्रकार की कार्यवाही की जा रही है और जिन मामलों में विभिन्नता पाई जाती है उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है और यदि वह संतोषप्रद नहीं होता तो कार्यवाही की जाती है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि बिड़ला ने संयुक्त राज्य में कई कार्यालय खोले हुये हैं और उनके विरुद्ध उस देश में विदेशी विनिमय उल्लंघन के आरोप लगे हुये हैं क्योंकि उन्होंने इस सरकार को सूचना दिये बगैर विदेशी मुद्रा का संचय किया हुआ था। यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई कार्यवाही करने से पहले उनके सन्तुलन पत्र की लेखा परीक्षा कर ली है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे पास उस लेखा के बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उनके लेखा वहां हैं कि नहीं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह परामर्श दूंगा कि जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछें जो यहां उपस्थित नहीं है तो उनको इस बात का समाधान कर लेना चाहिए कि सूचना ठीक है कि नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश बिड़ला बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी बहुत सी संस्थायें है। मैंने किसी एक व्यक्ति की ओर निर्देश नहीं किया था ; मैंने कई बिरलाओं की ओर निर्देश किया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। अतः, मैंने केवल यह कहाँ था कि ऐसे प्रश्न पूछने से पहले उनके पास कुछ सूचना होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : उनके कार्यालय संयुक्त राज्य अमरीका में हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास यह सूचना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या उनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा संचय करने का कोई आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसे समाचारों में क्या सचाई है कि हमारे देश के कुछ बड़े व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के स्विट्जरलैण्ड के कुछ बैंकों में गुप्त लेखे हैं, और वह उनको पूर्ण रुप से गुप्त रखते हैं, जैसे कि जर्मनी के नाज़ियों ने रखे थे जो तब तक गुप्त रहे थे जब तक कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी परास्त नहीं हो गया। तो क्या मंत्री महोदय इस समस्या को भी सुलझा लेंगे जैसा कि कुछ दिन हुये उन्होंने कहा था कि वह चोरबाजारी के धन की समस्या को सुलझा लेंगे ?

श्री० ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे भी कुछ ऐसे समाचारों का पता चला है। और मैं ऐसी समस्या नहीं सुलझा सकता जिसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है।

श्री हरि विणु कामत : यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री हेम बरुआ : जबकि विदेशी मुद्रा उल्लंघकों की मुख्य कार्यप्रणाली कम मूल्य के बीजक बनाना है, और एक अवसर पर इस सभा में हमें यह बताया गया था कि इसको रोकने के लिये ठोस कदम उठाये जा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इन ठोस उपायों के बावजूद विदेशी मुद्रा उल्लंघनों में वृद्धि क्यों हुई है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्थिति ठीक वैसी नहीं जैसी कि माननीय सदस्य ने बताई है। कम मूल्य के और अधिक मूल्य के दोनों प्रकार के बीजक बनाये जाते हैं—अधिक मूल्य के बीजक वहां बनाये जाते हैं जहां निर्यात प्रोत्साहन मिलता है। मैंने एक अन्य माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुये बताया था कि सीमा शुल्क विभाग के लोग उनका पता लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : किसी अन्य अवसर पर हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस ओर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। उन ठोस कदमों का अभी तक कोई परिणाम क्यों नहीं निकला ? अब भी उनका यही उत्तर है कि कदम उठाये जा रहे हैं। बहुत समय पहले हमें यह बताया गया था कि कदम उठाये जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन कदमों का क्या परिणाम निकला है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : परिणाम प्राप्त करना मूल्य-निर्धारण पर निर्भर करता है। हमारे विचार में परिणाम निकल रहे हैं परन्तु सभी कदमों के परिणाम निकल रहे हैं, यह दूसरी बात है। कई दफा माननीय सदस्य जो कदम उठाते हैं वह निष्फल रहते हैं।

श्री हेम बरुआ : अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री की बात को शुद्ध कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री जसवन्त मेहता।

श्री हेम बरुआ : अभी तक मेरे कोई भी उठाये गये कदम निष्फल नहीं रहे।

श्री जसवन्त मेहता : वाणिज्य मंत्रालय के पास निर्यात संवर्धन योजनाओं द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के कई साधन हैं। क्या वित्त मंत्रालय को यह पता है कि इन निर्यात संवर्धन योजनाओं में विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया जाता है और सरकार ने इन मामलों में विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब कि मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि प्रोत्साहन योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, परन्तु निस्सन्देह प्रत्येक रियायत का कुछ न कुछ दुरुपयोग होता है। सरकार प्रत्येक चीज़ का पता रखती है और भविष्य में प्रोत्साहन देने की विधि में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे।

Shri P. L. Barupal : Question No. 355 is very important. He should be asked to reply it here.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री हेडा।

ढांसा बांध

*333. **श्री हेडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढांसा बांध के ऊपरी बहाव की ओर फार्मों को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) चालू वर्ष में इन फार्मों में कितनी अवधि तक पानी भरा रहा और वे खेती करने योग्य नही रहे; और

(ग) इससे अनुमानतः कुल कितनी क्षति हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जब से ढांसा बांध में पानी इकट्ठा हुआ, उसके निकास द्वारों से पानी निरन्तर निकाला जा रहा है।

(ख) अत्यधिक वर्षा और उसके फलस्वरूप साहिवी नदी आदि में आई बाढ़ों से अगस्त, 1964 के अन्तिम सप्ताह से कुछ निम्नवर्ती फार्म जलप्लावित हो गए। इन क्षेत्रों का एक बड़ा भाग अब जल-मुक्त है।

(ग) सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

श्री हेडा : मेरा प्रश्न यह था कि फार्मों को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं। हानि की गणना तो कर ली गई है, परन्तु फार्मों को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये और कृषि को की हानिपूर्ति के लिये क्या उपाय किये गये हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्या सरकार इन्हें बतायेगी ?

डा० कु० ल० राव : मैंने इसका उत्तर भाग (क) में दे दिया है। जो जल इन फार्मों में इकट्ठा हो गया था उसको ढांसा बांध द्वारा बाहर निकाला जा रहा है।

श्री हेडा : क्या सरकार को इसकी सूचना है कि जल निस्सारण का कार्य प्रभावी नहीं था जिसके फलस्वरूप इन फार्मों में एक मास से ऊपर पानी भरा रहा। सरकार ठीक ठिक बताये कि वह इस मामले में क्या कर रही है कि कृषकों पर ऐसी आपत्ति न आये।

श्री कु० ल० राव : सदस्यों को पता होगा कि ढांसा बांध के कारण इस वर्ष एक कठिन समस्या उपस्थित हुई थी। यदि हम बहुत अधिक जल निस्सारण करते तो यह दिल्ली पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता। अतः यह कार्य बहुत उचित और सावधानी से करना पड़ा। इसलिये ऐसा काम किया जा रहा है कि दिल्ली या पंजाब को कम से कम हानि पहुंचे।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In the area near Jhajjar Jheel in Punjab on the other side of Dhansa Bund, water is always standing causing much inconvenience to the public there. Keeping this in view, has the Government under consideration any proposal to remove the Dhansa Bund to do away with the danger for ever.

डा० कु० ल० राव : मुझे सदस्यों को यह सूचना देने में प्रसन्नता है कि झज्जर झील का 10 प्रतिशत क्षेत्र जल से मुक्त है, जबकि दिल्ली का केवल 45% क्षेत्र जल से मुक्त है। ढांसा बांध को हटाने का प्रश्न विचाराधीन है; यह वैकल्पिक निस्सारण स्थलों, जिनको हम ढूंढ रहे, पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आगामी एक या दो वर्ष में ढांसा बांध हटा दिया जाय।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : पंजाब सरकार, जो कि नहर के ऊपरी भाग के लाभों के फार्मों को बचाने के बारे में काफी चिंतित है, की गंभीर आपत्तियों के निवारण के लिये सरकार क्या स्थायी उपाय कर रही है।

डा० कु० ल० राव : इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिये कई एक कदम उठाये जा रहे हैं। पहला कदम साबी नदी पर बांध बनाना है जिससे उसमें काफी पानी समा सके; दूसरा कदम सीमा बांधों की शृंखला बनाना है जिससे कि जल निकाल कर साबी और इन्दूरी नदियों के खेतों पर जल फैलाया जा सके। तीसरा कदम, नाजफगढ़ नाले की निस्सारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये एक और नाले का निर्माण किया जा रहा है। यह आखिर का अभी विचाराधीन है। इसको करने के लिये तीन वैकल्पिक रीतियां विचाराधीन हैं। यह आशा की जाती है कि इन उपायों से बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सकेगा।

Shri Naval Prabhakar : Hon. Minister has stated that 45 per cent there is still water in area of Delhi. May I know by what time will this water be drained out...

डा० कु० ल० राव : यह कहना बहुत कठिन है। नाजफ़गढ़ नाले से पानी निकालने का हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आगामी एक या दो महीनों में काफी पानी निकाल दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : यह मांग की गई है कि प्रश्न 355 का उत्तर दिया जाय। यदि मंत्री महोदय चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री नेहरू की मूर्ति वाला सिक्का

+

*355. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 50 पैसे के स्मरणात्मक सिक्के पर पंडित नेहरू की खराब मूर्ति होने के कारण देश में समस्त जनता को बहुत शिकायतें हैं ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन सिक्कों को वापस ले कर निकट भविष्य में नये तथा अच्छे सिक्के जारी करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Shri Prakash Vir Shastri : As this coin has been embossed with the effigy of late Pandit Jawaharlal Nehru without a cap, it resembles the coin bearing the effigy of King Edward VII. This has created confusion among the people. Panditji was never seen in public without a cap. I want to know why the late Panditji has been shown without a cap in this effigy ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमने स्वर्गीय प्रधान मंत्री की स्मृति मनाने के लिये एक डाक-टिकट प्रकाशित किया। डाक-टिकट पर प्रयोग किया गया नमूना वही था जो कि सिक्के पर प्रयोग किया गया है। हो सकता है कि लोग अलग-अलग विचार करते हों। कुछ लोगों का विचार है कि टोपी होनी चाहिए थी।

(अन्तर्बाधा)

श्री शिव नारायण : सारा सदन यही समझता है।

श्री रंगा : श्रीमान मंत्री महोदय सदन में भाषण कर रहे हैं न कि एक समिति के समक्ष। हमें आपसे अनेक बार प्रार्थना करनी पड़ती है कि उन्हें ऊंचे स्वर में बोलने को कहें। मालूम होता है कि वे यह समझते हैं कि वे केवल या तो स्वयं से या अपने विभाग में अपने अधीन कर्मचारियों से बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि शान्ति रहे व अन्य बातें न हो तो सब सदस्य उनको सुन सकते हैं और यदि आवाज सुनाई नहीं देती है तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे थोड़े ज़ोर से बोलें। लेकिन इस प्रकार की शिकायत का कोई कारण नहीं है।

3—2 Lok Sabha/65

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य उस निर्योग्यता से पीड़ित हैं, जिससे कि वृद्ध व्यक्ति पीड़ित होते हैं ....

श्री रंगा : मेरी अकेले ही नहीं, बल्कि इस सदन के अधिकतर सदस्यों की ऐसी भावना है। यह मंत्री जी यह समझते हैं कि सदन का अपमान करने के लिये उनको जितना धारे चाहे बोलने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। ऐसी शिकायत तर्कसंगत नहीं है।

श्री रंगा : इस प्रकार का उत्तर देने की अपेक्षा जिससे कि सदन का अपमान हो, वे अपना स्वर ऊंचा करके सदन के प्रति शिष्टाचार क्यों नहीं व्यक्त करते ?

अध्यक्ष महोदय : जब भी किसी सदस्य ने यह शिकायत की है कि वह मंत्री महोदय को नहीं सुन पा रहा है, मैंने हमेशा मंत्री जी से जोर से बोलने के लिये कहा है। इसमें उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

श्री रंगा : यदि वे अपना स्वर ऊंचा नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि वे अपने सहकारियों से उत्तर देने के लिये कहें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं कहता हूं, यह निर्णय करने का विषय है। हमने इसी नमूने का उपयोग डाक-टिकटों पर किया है। जहां तक मूर्तियों और सिक्कों के उत्पादन का सम्बन्ध है, विशेषज्ञों ने इस नमूने को श्रेयस्कर समझा जो उन लोगों को भी प्रायः पसन्द है जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री को जानते थे।

Shri Sheo Narain : This effigy is no good at all. This should be changed.

Mr. Speaker : This is not proper. Neither the hon'ble Member has given notice of this question nor I have called him. Even then he has got up and has started speaking.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, my question is entirely different one.

Mr. Speaker : I will call you later.

Shri P. L. Barupal : I want to know whether the effigy of late Mr. Nehru embossed on the coin has been selected in consultation with the House; if not, who was the wiseman to give this advice that the effigy of Mr. Nehru should be without a cap? The whole House is of the opinion that this effigy is not good and a new effigy should be made.

अध्यक्ष महोदय : वह कौनसा विशेषज्ञ था जिसने यह राय दी कि यह सबसे उत्तम मूर्ति थी।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैंने कहा, वे लोग जो नासिक मुद्रणालय में छपाई और इस कार्य को करते है तथा सलाहकार और उन लोगों से भी इस विषय पर विचार विमर्ष किया गया था, जिनका स्वर्गीय प्रधान मंत्री से घनिष्ठ सम्बन्ध था।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री से भी सलाह ली गई थी ?

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, my question is very clear. It is highly objectionable to issue coins with effigy of late Panditji. I had asked the Finance Minister that as the late Prime Minister never appeared publicly without a cap, his effigy without it is hardly recognised and resembles very much with that of Edward VII, whether he saw the coin before issue and gave his approval to it.

Mr. Speaker : The Minister has already replied. If the hon. Member is not satisfied with it, what can be done ? He has said that the man who is incharge was consulted. He had not to do this job himself. They selected the effigy which was considered better. Do the hon. Members desire that the hon. Minister should answer whether the effigy resembles with Edward VII or not ?

Shri Prakash Vir Shastri : This is the first thing of its kind in independent India.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I raise a point of order. When my name appears first why I am being called later.

Mr. Speaker : I have said earlier also that when I have called a Member, others should sit down.

Shri Bibhuti Mishra : Panditji was the leader of the whole country. Whether the Government is considering to produce an effigy of the late Prime Minister in Gandhi cap as the present effigy is not good ?

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या एक नया सिक्का चालू करने का विचार है जिसमें स्वर्गीय पंडित नेहरू की मूर्ति में टोपी भी हो और जो देखने में उनसे अधिक मिलता जुलता हो ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह कार्यवाही का सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The name of Panditji on one-rupee and 50-paise coins has been embossed in English. What are the reasons for this ? Are the Government unable to emboss the name in Hindi or they do not want to do so ? Who advised to issue this coinage and why this matter was not discussed in the House ?

Mr. Speaker : Every matter cannot be considered in the House ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Why the name has been embossed in English ? Who understands English in villages ?

अध्यक्ष महोदय : इनका तात्पर्य यह है कि नाम हिन्दी में अंकित नहीं किया गया है। क्या नाम हिन्दी में भी न लिखने का कोई कारण है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि संभवत: यह बात उन लोगों के ध्यान में उस समय नहीं आई जिन्होंने यह कार्य किया।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I rise on a point of order. Mr. Speaker, there should be a satisfactory answer to my question. The name has been described on the coin in English whereas majority of the prople do not know English. I want that a coin with description in Hindi is issued.

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat. The hon. Minister has given the reply. Out of excitement hon. Members do not listen fully to the reply and start agitating. If the hon. Member goes through the reply he will realise that his point has been answered.

श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार के मंत्रियों को कुछ प्रश्नों पर मेरे विचार में किस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए, विशेषतया ऐसे प्रश्नों पर जिनसे सदन में पर्याप्त भावना जागृत प्रतीत हो, इस सम्बन्ध में मैं एक अति विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ ।

हुआ यह है कि मंत्री महोदय का दृष्टिकोण हम में से अधिकांश को असहनशील प्रतीत हुआ है, और इसके अतिरिक्त सिक्के के विशेष रुप में निकलने के कारणों की व्याख्या करने में जो दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है, उसने इस सदन के अधिकांश सदस्यों को स्पष्टतया सन्तुष्ट नही किया है ।

यह ऐसा विषय था जिसपर केवल प्रशासनिक कार्यवाही के दृष्टान्तस्वरूप ही ध्यान नहीं देना चाहिए था। संभवत: वित्त मंत्री व उनके सहयोगियों द्वारा सदन की भावनाओं पर कुछ कम असहनशील ढंग से विचार किया जायेगा ।

इस प्रकार की बात बारंबार हो रही है और मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि आप यह परीक्षण करें कि यह समाप्त होती है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में मैं भाषा पर जितना अधिकार जता सकता हूं, उससे बहुत अधिक हद् तक अच्छा अधिकार मेरे विरूद्ध माननीय सदस्य को प्राप्त है । लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि केवल भाषा पर अधिकार होने के कारण वे जैसा चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं ।

वास्तव में असहनशील कौन है ? कभी कभी माननीय सदस्य तथा उनकी पार्टी के सदस्यों की टिप्पणियाँ सभा में चल रहे किसी विषय से कोई संबंध नहीं रखतीं । यह अभियोग गलत है कि मैं या मंत्रि-मंच का कोई व्यक्ति इस सभा का सम्मान नहीं करता है । हमारे पास संसदीय जीवन के 30 वर्षों से अधिक का अनुभव तथा उसकी परम्पराएँ हैं । मैं दूसरी तरफ भी रहा हूँ । मैं नहीं सोचता कि मैंने कभी ऐसे विषय में सभा में असहनशीलता से बात की हो जिसके संबंध में मैंने वही कहा जो मैं जानता हूं । यदि यह पूछा जाये कि इन सिक्कों पर हिन्दी में नाम क्यों नहीं लिखा गया है तो मेरा कहना यह है कि नाम हिन्दी में लिखा जा सकता था ; यदि वहां केवल हिन्दी में ही नाम लिखा होता तो मेरे विचार से यह कोई गलत बात न होती । परन्तु शायद उन्होंने यह सोचा कि उसे ऐसा ही रखा जाए जिससे हर व्यक्ति जवाहरलाल जी की मूर्ति को पहिचान सके । मैं इसके कारणों को संक्षेप में नहीं बतला सकता ।

उसका अर्थ यह नहीं है कि यह असहनशीलता पूर्ण बात रही । मेरे विचार से यह अभियोग गलत है । मुझे मालूम है कि इन माननीय सदस्य की ही यह भावना है, और मुझे आशा है कि वह इसके लिए क्षमा याचना करेंगे।

श्री रंगा : हम तो यही चाहते हैं कि वह इस प्रकार से ही भवन में बोलें, न कि किसी और तरह से ।

मेरे माननीय मित्र ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नए सिक्कों को जारी करने का सुझाव अमल करने के लिए है जिसका अर्थ होगा कि वे इस सिक्के के अगले संस्करण जारी करेंगे । यदि वह ऐसा है तो मुझे उन्हें बताना है . . . ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री रंगा : मुझे उन्हें बताना है कि देश के अनेकों व्यक्ति इस तरीके का विरोध कर रहे थे . . . ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है । वे पूर्व धारणा क्यों बना रहे हैं तथा ऐसी बात का क्यों विरोध कर रहे हैं जबकि उसमें विरोध करने की कोई बात नहीं है ।

श्री रंगा : ... इस तरह से सिक्कों के जारी करने के विषय में ।

श्री हेम बरुआ : एक बार श्री जवाहर लाल नेहरू को, सिक्कों पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति छापने के विषय में एक सुझाव दिया गया था । श्री नेहरू ने ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिस चीज़ को श्री नेहरू स्वयं नहीं चाहते थे उसको सरकार ने क्यों किया है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अल्प सूचना प्रश्न ।

श्री रंगा : वे ऐसे चलें जैसे ब्रिटिश ... ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर रंगा अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री रंगा : मैंने कहा है कि जैसे अंग्रेज़ अपने सिक्कों के साथ चले गए उसी तरह कांग्रेस शासकों को भी नेहरु सिक्कों के साथ ही मंत्री-मंच छोड़ना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ और भी ? पूरी कार्यवाही रूकी हुई है ।

श्री रंगा : हम जरा आगे चले गए थे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आगे कार्यवाही चले ?

श्री रंगा : जी नहीं ।

श्री नाम्बियार : क्या इस पर आपने कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है ?

श्री रंगा : प्रश्नों के समय के पश्चात् भी अपने उस प्रश्न को लेना स्वीकार करके बड़ी कृपा की । अब क्यों आप हममें दोष निकाल रहे हैं ?

श्री नाम्बियार : क्या यह स्थगन प्रस्ताव इन सिक्कों को बनाने के संबंध में सरकार की निन्दा करने के लिए है ? क्या यह वही प्रस्ताव है जो आपने स्वीकार किया था ? यह उसी तरह का मालूम पड़ता है ।

श्री रंगा : आप नेहरू के नए भक्त हो गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं अब आगे कार्यवाही चलाऊँ ?

श्री हरि विष्णु कामत : जी हाँ । थोड़ा आगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

SHORT NOTICE QUESTION

अल्प सूचना प्रश्न

Broadcasting of Proceedings of Eucharistic congress

+

S. No. Q. 1.

Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Kishen Pattanayak :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri S. L. Verma :
Shri Ajit Pratap Singh :
Shri Kesar Lal :
Shri Bade :
Shri Vishram Prasad :
Shri Inder J. Malhotra :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Biren Dutt :
Shri Gauri Shanker Kakkar :
Shri Samnani :
Shri Abdul Ghani Goni :
Shri Mohan Swarup :
Shri P. H. Bheel :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Balmiki :
Shri Sadhu Ram :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proceedings of the Eucharistic Congress being held at Bombay from 28th November, 1964 were broadcast by All India Radio ;

(b) if so, the details of the programme chalked out by All India Radio in this connection ;

(c) whether such sectarian programmes have been broadcast by A.I.R. ever before ;

(d) if not, the reasons for giving this facility to Eucharistic Congress ; and

(e) whether any fresh policy has been formulated by Government in this regard?

Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The proceedings as such of the Eucharistic Congress are not being broadcast. The event is however being noticed in news bulletins, newsreels and other suitable types of broadcasts.

(c) to (e). All India Radio is treating this Congress as an event of Considerable public interest, both in India and abroad. As such the question of any 'Sectarian' approach does not arise.

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हिंदी रुपांतर सुनाई नही दे रहा है। माननीय मंत्री अंग्रेजी उत्तर को भी पढ़ दें।

(उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : श्रीमान्, पिछली बार आपने हमसे हो रही यूकैरिस्टिक कांग्रेस के विषय में अपना कोई मत सभा में व्यक्त करते समय कुछ संयम रखने के लिए कहा था। मैं आपको तथा आपके द्वारा सभा को फिर से याद दिला दूं कि इस विषय पर हमें कुछ संयम रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर से अपनी प्रार्थना तथा अपील को दोहराता हूं।

Dr. Ram Manohar Lohia : I do not understand the meaning of such requests always for exercising restraint in expressing opinion. The Question is that of restraint. If restraint is the main consideration, it should be exercised on each and everything.

Mr. Speaker : What does it mean that all people want to ask......

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Minister has just now said that the importance of this Eucharistric Congress is not only for India but also for the whole world as christians from various parts of the world are participating in it. My submission is that this Eucharistic Congress belongs to a particular sect of the Christianity and as such it is not the Congress of all Christians. Compared to that......

Mr. Speaker : She did not say that since christians are participating in it, hence it was a matter of public importance, what she said is it is an event of considerable public interest.

Shri Prakash Vir Shastri : My Contention is that this Congress belongs to a particular class of a certain sect compared to the All World Budhist Conference being convened at Sarnath near Banaras which is leading nothing towards sectarian approach. I would like to know whether the same facilities as are provided to this Congress in Bombay have also been given to that Budhist Conference being held at Sarnath ?

Shrimati Indira Gandhi : Almost the identical facilities have been provided, Since many people from abroad are......

Shri Prakash Vir Shastri : People from out side have attended that also.

Shrimati Indira Gandhi : I mean the Press Correspondents. Their number in the Bombay Conference is sufficiently large. The facilities which are provided in Bombay, have also been extended to Sarnath,

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the Convener of the Eucharistic Congress had requested the Government to give publicity to their proceedings in the form of running Commentary, news reels, news bulletins, film reels etc. or the Government, at their own instance, have made these arrangements for the purpose ?

Shrimati Indira Gandhi : I am not aware of it. But you must be knowing that the Pope is not only the leader of a Religion but he is also the leader of a State, and the warm reception accorded to him in Bombay was not by the Christians alone, it included people of all religions.

Shri Prakash Vir Shastri : My Question did not refer to what she has answered about.

Mr. Speaker : You resume your seat. She has already answered your question.

Shri Prakash Vir Shastri : Why all these things were said therein, which are unnecessary.—

Shri Bagri : It is not proper that a Minister avoids answering a question put to her simply by saying that she is not aware of. She must know about it. I do not know as to how far it is justified to plead that the Minister is not aware of a thing which is the concern of his Ministry and which is already complied with after consultation with her.

Mr. Speaker : If a Minister being in possession of an information regarding a certain thing, does not come forward with a reply to the question concerned and says that he is not aware of it, in that case it is really improper on his part and the House can raise objection thereon. I also want the Ministers to give information to the House whatever they are in possession of. At the same time there is also nothing to surprise if a Minister is, sometimes, not in possession of a requisite information. If the Minister says that he does not know about it, we must take it for granted until and unless it is proved later on that the Minister was certainly in the know of the information and he did not deliberately apprise the House of it. In that case the House can express its resentment. The House is the competent enough to take action against the Minister concerned, if it so desires.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The notice of a question is given seven days in advance and the Minister concerned has sufficient time to collect every information required in that connection. In the light of the above fact, it is not justified to say that the information is not available.

Mr. Speaker : Are you to ask any question or not?.

Shri Sheo Narain : On the basis of my personal experience, I can say that a Minister has a right to ask for a notice if he is not aware of the matter concerned. (Interruptions).

Shri Bagri : I do not understand why the full information has not been given in reply to the question. The information should have been collected by the hon. Lady Minister herself. If she has not been able to do this thing alone, how it is possible for the Government to defend the country (interruptions).

Mr. Speaker : This is unfortunate that I go on crying and nobody listens to me. I can, no longer, tolerate it and I am giving this warning that I would take action against such things as and when they come up again before me. I tolerated it with Patience to the maximum extent, but it is now beyond my control to do it.

Shrimati Indira Gandhi : I was asked a question as to whether the facilities provided to them were asked for or the Government did it of their own accord? I replied that I was not aware of it. But all these arrangements have been made with my permission and it is all within my knowledge.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the facilities provided by Government to this Eucharistic Congress, have also been given to the Sarnath Conference?

Mr. Speaker : I could not follow as to whether the question asked has been answered fully or a part ther of has been answered.

Shrimati Indira Gandhi : I Said yes.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The hon. Minister has just now said that the details of proceedings of a particular event of the world are being given. Is there no difference between giving details of proceedings of a particular event and that of giving a publicity by way of propaganda regarding particular Sect. My contention is that the hon. Minister wants to keep the House in the dark by way of defining this matter as proceedings of a particular event.

Mr. Speaker : That is no question. (Interruptions). So many voices are coming from that direction. Does the party in Majority wants to take over the charge of my duties and wants me to sit idle and do nothing?

Shri Onkar Lal Berwa : They want to win the votes from them that is why they are talking, in the House like this.

Mr. Speaker : Do you want to ask a question or I should proceed further?

Shri Sheo Narain : This is a contempt of the House. (Interruptions).

Some hon. Member : Shut up.

Mr. Speaker : What is this going on here?.

Shri Sheo Narain : He says 'shut up' and you are keeping mum. This is a direct insult hurled at the House which is a contempt of the whole House.

Shri Bagri : This is his.......

Mr. Speaker : Mr. Bagri, and Mr. Sheo Narain, both of you should withdraw from the house for the rest of the day and it will make no difference.

Shri Bade : In the light of the answer given by the hon. Minister, may I know whether running commentary is also broadcast regarding the Sarnath Conference as in the case of the Bombay conference it is being done?

Shrimati Indira Gandhi : I do not know correctly.

Shri Yashpal Singh : May I know the basic reasons as to why this Socialist Government got fascinated by the greatest symbol of the Emperialist Government and (Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नही है कि धर्ममूर्ति पोप एक प्रभुतासम्पन्न राज्य, 'वेटिकन राज्य' के, धार्मिक एवं आध्यात्मिक अध्यक्ष हैं, जिसके साथ भारत के बड़े मैत्रीपूर्ण और मधुर सम्बन्ध हैं और यदि हो, तो क्या यह सच नहीं है कि आकाशवाणी द्वारा अपनायी गयी नीति से पीछे हटना हमारी धर्मनिरपेक्षता पर एक अमिट धब्बा होगा!

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती की हमने कोई ऐसा काम किया है जिससे

श्री हरि विष्णु कामत : नीति से हटना ....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया प्रश्न समझ नही पायी हैं।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : जी, हां।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृष्णा में बाढ की जाच

*334. श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री गुलशन :
श्री द० ब० राजू :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और पश्चिम जिलों में हाल में आई बाढ के कारणों की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) (1) बूदामेरू, तम्मीलेरू और यर्राकलवा जैसी तटीय नदियों में, जलाशय बनाकर अथवा सहवर्ती घाटियों में जल प्रवाह मोडकर अथवा किन्हीं अन्य उपायों द्वारा बाढ-नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना का सुझाव देना।

(2) उप्पेतेरू निकास नाली में सुधार लाकर अथवा पंपों द्वारा पानी निकाल कर अथवा दोनों उपायों द्वारा कोल्लेरू झील के बाढ स्तर को कम करने के प्रस्तावों पर विचार कर उनके लिए सिफारिश करना।

(3) गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिलों में निकास प्रणाली में सुधार लाने के प्रस्तावों पर विचार कर उनके लिए सिफारीश करना।

(4) कोई और सिफारिश जिस को समिति बाढों और आप्लावन को रोकने के लिये करना चाहें।

सिंचाई और ग्राम्य विद्युतीकरण के लक्ष्य

*335. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमति सावित्री निगम :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्रीमति रेणुका बडकटकी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी जी की जन्म-शताब्दी मनाने के लिय अक्तूबर, 1969 तक 10 करोड़ एकड भूमि में सिंचाई क्षमता बढाने और एक लाख गांवों में बिजली लगाने के लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) तीसरी योजना के अन्त में, छोटी सिंचाई समेत, कुल सिंचाई क्षमता क्या होगी ;

(ग) क्या राज्यों ने परियोजना की क्रियान्विति के लिये स्पष्ट योजनायें बनायी हैं; और

(घ) क्या केन्द्र ने राज्यों को सूचित कर दिया है कि वह वित्त और समन्वय के मामले में उन की, आवश्यक सहायता करने के लिये तैयार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) त्रिवेण्द्रम में अक्तूबर, 1964 में हुए सिंचाई व बिजली सेमिनार ने अक्तूबर, 1969 तक एक लाख गांवों के विद्युतन् और दस करोड़ एकड़ भूमि के लिये सिंचाई सम्भाव्यता के लक्ष की प्राप्ति की सिफारिश की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्यवाही प्रस्तावित है।

(ख) लगभग 870 लाख एकड़ भूमि (कुल)।

(ग) और (घ) अभी नहीं। परन्तु, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये ठोस योजनाएं बनाएं। केन्द्रीय सहायता कितनी और किस प्रकार की हो, इस प्रश्न पर विचार तब किया जाएगा जब ठोस स्कीमें उपलब्ध होंगी।

Seizure of Smuggled Goods

*336. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggled goods from foreign countries are seized in large quantities these days ;

(b) if so, the value of the smuggled goods seized by Income-tax and Customs authorities this year so far; and

(c) the value of the goods sold so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shree Rameshwar Sahu) : (a) & (b) The value of goods seized by the Customs, Land Customs & Central Excise authorities, during the period from 1-1-64 to 31-10-64 as smuggled is Rs. 372 lakhs approximately as against Rs. 287 lakhs (approx.) during the corresponding period of 1963. No seizures of smuggled goods are made by the Income-tax authorities.

(c) The value of the goods sold during the period from 1-1-64 to 31-10-64 is approximately Rs. 10 lakhs. In addition currency and gold worth Rs. 2 lakhs have been sent to the Reserve Bank of India/Mint, during this period.

ईंटों तथा टाइलों के लिये संयंत्र

*337. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **निर्माण** और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में शीघ्र ही फेसिंग इटों, हैवी ड्यूटी इंटों और काच सदृश मिट्टी के टाइलों के बनाने के लिए एक समेकित संयंत्र स्थापित किया जायेगा।

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित क्षमता और लागत कितनी है; और

(ग) इस को कब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचंद खन्ना) : (क) और (ख) इस विषय में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय इमारत संस्था ने इस विषय पर एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार की है। राष्ट्रीय इमारत संस्था स्वयं किसी योजना को कार्यान्वित नहीं करती। यह सरकार पर निर्भर होगा कि या तो वह स्वयं सरकारी क्षेत्र में फेक्ट्री को स्थापित करे अथवा कोई निजी उद्योगपति इसे निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आगे बढ़ कर आवे।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

भूमि सुधार

श्रीमति रामदुलारी सिन्हा :
श्री अ० व० राधवन :
***338. श्री पोट्टकाट्ट :**
श्री केप्पन :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने योजना आयोग के परामर्श पर भूमि सुधार अधिनियम बनाये हैं और लागू किये हैं; और

(ख) क्या उन राज्यों द्वारा, जिन्होंने अभी तक योजना आयोग के सुझावों के अनुसार कार्य नहीं किया है, कोई और कदम उठाये जा रहे हैं और यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (ब० रा० भगत): (क) सभी राज्य सरकारों ने विभिन्न मात्रा में भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर लिया है। प्रगति का विस्तृत ब्यौरा योजना आयोग के प्रकाशन "भूमि सुधार की प्रगति" में दिया हुआ है।

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रगति का पर्यवेक्षण करने तथा शीघ्र कार्यान्वियन के लिए उपाय सुझाने के लिये, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति की पांच बैठकें हो चुकी हैं और उसने कार्यान्वियन में तेजी लाने तथा सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाने का सुझाव दिया है, जैसे काश्तकारियों के रिकार्ड जल्दी पूरा करना और चुस्त प्रबन्ध तथा काश्त के मानकों का प्रचलन करना; उसने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा कार्यक्रम के कार्यान्वियन लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

जीवन बीमा निगम मे स्वचालित यंत्र लगाना

श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :
***339. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमति रेणुका बड़कटकी :
श्रीमति लक्ष्मी बाई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम में स्वचालित यंत्र लगाने की प्रस्तावित योजना को क्रियान्वित करने से रोकने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वचालित यंत्र लगाने की प्रस्तावित योजना रोकी नहीं गयी है ।

अमरिकी व्यापारियों का शिष्टमंडल

*340. { **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री उटिया :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामपुरे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री कोया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्य समिति द्वारा आयोजित अमरीकी व्यापारियों के एक बीस-सदस्यीय शिष्टमण्डल ने अक्तूबर 1964 में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल ने किस उद्देश्य से दौरा किया था ; और

(ग) क्या शिष्टमंडल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) शिष्टमण्डल का मुख्य उद्देश्य , भारत में पूंजी लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए, भारत के पूंजी-निवेशकों और उद्योगपतियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना था ।

(ग) जी, नहीं ।

कर अपवंचकों को राज क्षमा

*341. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 सितम्बर, 1964 को बम्बई के बी० ई० एस० टी० द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में रेलवे मंत्री श्री स० का० पाटील के भाषण में दिये गये इस अप्रत्यक्ष सुझाव की ओर दिलाया गया है कि कर अपवंचकों को एक सीमित अवधि के लिये 'राज क्षमा' प्रदान की जाये जिससे वे गप्त धन को बाहर ला सकें जैसा कि बेल्जियम में प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु): (क) निर्दिष्ट भाषण की समाचार-पत्र रिपोर्टों को देख लिया गया है ।

(ख) सरकार गुप्त धन को बाहर निकालने और देश की अर्थ व्यवस्था में उसके लाभ-दायक योगदान देने के सम्बन्ध में किये गये सभी उपयुक्त सुझावों का स्वागत करती है।

चांदी-सोने के मूल्य

*342. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् द्वारा पिछला केन्द्रीय आय-व्ययक पारित किये जाने के बाद से सोने-चांदी के मूल्य स्थिर रहे हैं अथवा इसमें तेजी से घटा-बढ़ी हुई है और यदि घटा-बढ़ी हुई है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) देश में सोने के लगातार चोरी छिपे लाने से सरकार के सोने के मूल्यों को, विशेषत: एक उचित स्तर तक यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं, कम करने के प्रयत्नों को किस हद तक बेकार कर दिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) सोने-चांदी के मूल्य में कोई तेज उतार-चढ़ाव नहीं रहा है। सोने का मूल्य अप्रेल से अगस्त, 1964 तक धीरे-धीरे बढ़ा है। तबसे यह गिर गया है। चांदी का मूल्य अपेक्षाकृत अधिकतर स्थिर रहा है। मूल्य में उतार-चढ़ाव मांग और पूर्ति में घट-बढ़ के कारण हुआ हैं।

(ख) मूल्य विभिन्न कारकों, जैसे चोरी-छिपे लाने से, पकड़नेसे, आन्तरिक मांग के स्तर इत्यादि से प्रभावित होते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने अनुमान लगाया है सोना-चांदी चोरी-छिपे लाने से कीमतों में वृद्धि नहीं होगी।

छत्रा नहर परियोजना

*343. **श्री यु० सिं० चौधरी** :
श्रीराम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के साथ छत्रा नहर परियोजना के बारे में एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डॉ० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमान है कि परियोजना पर 4 करोड़ रूपये लगेंगे।

(ग) इस परियोजना में कोसी नदी के बाएं किनारे पर से एक 35 मील लंबी नहर निकालनी है। यह नहर, भारत नेपाल सीमा से 25 मील दूर, प्रति स्रोत, छत्रा मुख्य नियामक से होकर निकलेगी।

Re-Classification of Government Quarters

*344. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government quarters were reclassified from 1st April, 1963;

(b) whether it is also a fact that as a result of this reclassification thousands of employees would get accommodation in the lower class and would have to pay rent at the old rates; and

(c) if so, the reasons for such re-classification of Government residences ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Residences in the general pool were reclassified in May 1963.

(b) and (c) : Reclassification became necessary in view of the revised scales prescribed by Government for construction of residential accommodation and to remove disparity in the size of accommodation in old houses having larger plinth areas and the new ones built on austerity scales. In the process, the pay ranges for various types of residences have aslo been altered. Rent continues to be recovered in accordance with the provisions of Fundamental Rule 45-A.

सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क विभागों में भ्रष्टाचार

*345. श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में दिये गये एक हाल के भाषण में उन्होंने बताया था कि सीमा शुल्क पदाधिकारी सोने के तस्कर व्यापारियों से मिले हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जो कहा गया था वह यह था कि जनता में यह भावना है कि कुछ सीमा-शुल्क पदाधिकारी, विशेषतः बम्बई और कलकत्ता में, तस्कर व्यापारियों से मिले हुए थे।

(ख) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों में भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए जो कदम उठाये जाते हैं भारत सरकार उन पर निरंतर पुनर्विचार करती रही है और समय समय पर उसके लिए विभिन्न कदम उठाती रही है। इन दो विभागों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार रोक समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों की जांच करते समय हमने हाल ही में समस्त प्रश्न पर विशेषतः पुनर्विचार भी किया था।

पानी का जमा हो जाना

*347. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री बागडी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने प्रस्ताव भेजा है कि पंजाब राज्य में पानी जमा हो जाने की समस्या को वह सुलझा सकता है और क्या अब केन्द्रीय सरकार पंजाब के मुख्य मंत्री के निदेश पर इस मामले पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो रुसी प्रस्ताव क्या है और इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) रूस से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पंजाब के मुख्य मंत्री ने पंजाब में जल-लग्नता और निकास की समस्या का सर्वेक्षण करने और संभव समाधानों को सुझाने के लिये रूस के विशेषज्ञों को प्राप्त करने की संभाव्यता के बारे में सुझाव दिया था। हो सकता है कि इसकी आवश्यकता न पड़े, क्योंकि देश के इन्जीनियर समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बकाया धन-कर, सम्पदा-शुल्क और उपहार-कर की वसूली

*348. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमति सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन-कर, सम्पदा-शुल्क और उपहार-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ;

(ख) पिछले तीन महीनों में कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ग) 1 नवम्बर, 1964 को कितनी राशि बकाया थी ; और

(घ) इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) धन-कर, सम्पदा शुल्क और दान-कर के विषय में मांग की बकाया राशियों को संग्रहीत करने के लिये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में जो भी विधिवत तथा न्यायसिद्ध उपाय होते हैं वे सभी किये जाते हैं और किये जायेंगे।

(ख) धन-कर	57.98 लाख रु०
सम्पदा शुल्क	. 65.18 लाख रु०
दान-कर	. 15.18 लाख रु०

(ग)	धन-कर	579.1 लाख रु०
	सम्पदा शुल्क	600.9 लाख रु०
	दान-कर	72.7 लाख रु०

(घ) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है।

व्यापार गृहों की तलाशी

*349. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० वि० दूबे :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने समस्त देश में व्यापार गृहों की तलाशी लेने का आन्दोलन आरम्भ किया है जिससे इन गृहों के पास जो विदेशी मद्रा हो उसका पता लग सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, सितम्बर, तथा अक्तूबर 1964 में बम्बई, कलकत्ता, कानपुर तथा अन्य स्थानों पर छापे मारे गये थे ; और

(ग) इन छापों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) :(क) और (ख) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1964 के महिनों में प्रवर्तन निदेशालय ने बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर, लेकिन कानपुर में नहीं, तलाशियां ली और विदेशी मुद्रा पकड़ी।

(ग) दो मामलों के बारे में विधि-न्यायालयों में शियकायतें दायर कर दी गई हैं। अन्य मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है और जांच-पड़ताल समाप्त होने पर समुचित कार्यवाही पर विचार किया जायगा।

राज्यों को आवास के लिये धन देना

*350. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि राज्यों को आवास के लिये दिये गये धन का पूर्ण उपयोग हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि आवास योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाना चाहिये और इसका 'केन्द्रीय सहायता प्राप्त' के बजाय 'केन्द्र द्वारा क्रियान्वित' रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ; और

(ग) क्या राज्य आवास मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यसूची अन्तिम रूप से बना ली गई है।

4—2 Lok Sabha/64

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचंद खन्ना) : (क) राज्य सरकारों पर निरंतर यह प्रभाव डाला जा रहा है कि अपनी वार्षिक आवास योजनाओं में निधि की समुचित व्यवस्था की जाये ताकि उनकी तृतीय पंच वर्षीय योजना में आवास के लिए की गयी व्यवस्था का पूर्ण रूप से उपयोग हो सके।

(ख) जी हां। कुछ राज्यों ने यह सुझाव दिया था।

(ग) अभी तक तो नहीं। हमें आशा है कि इसे जलदी पूरा कर लेंगे।

India's Aid to Nepal

*351. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Gulshan:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Naval Prabhakar:
Shri Bishwanth Roy:
Shri Brajeshwar Prasad:

Will the Mnister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that an agreement for advancing a loan of one crore of rupees to Nepal has been concluded between India and Nepal ; and

(b) if so, the terms of the agreement and the manner in which it shall be repaid ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the Agreement Government of India have agreed to make available to His Majesty's Government of Nepal a loan upto Rs. 1 crore in Indian rupees to assist in the establishment of industrial enterprises in Nepal. The loan is to be repaid in 15 annual instalments and will carry interest at the rate of 3% per annum.

सिंधु आयोग का दौरा

*352. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री गोकुलानंद महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्धु जल सन्धि के अधीन स्थायी सिन्धु आयोग ने पाकिस्तान में झेलम, चिनाब तथा रावी नदियों का निरीक्षण दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने निर्माण कार्यों की जांच की गई थी ;

(ग) क्या संघ सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन किस प्रकार का है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। अन्तिम दौरा 16 अक्तूबर से 25 अक्तूबर, 1964 तक किया गया था।

(ख) प्रस्तावित बांधों और जल विद्युत् संयंत्रों के सात निर्माण कार्य और पांच स्थल।

(ग) निरीक्षण दौरे के पश्चात् कमीशन ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी ; केवल दौरे के विवरण की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

*353. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को दो विभागों में, एक बड़े तथा मध्यम सिंचाई कार्यों के लिये तथा दूसरा छोटे तथा जलोत्सारण कार्यों के लिये विभक्त करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो मामले में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्रालय के द्विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा सुझाव है कि जिन राज्यों में इस समय लघु सिंचाई कार्यों की देखभाल के लिए अलग मुख्य इन्जीनियर नहीं है, वहां केवल लघु सिंचाई व निकास कार्यों के लिये अलग मुख्य इन्जीनियर नियुक्त किये जायें, ताकि बढ़ते हुए सिंचाई और निकास कार्यों के कार्यान्वन में तेजी लाई जा सके। विविध राज्यों के साथ इस मामले में विचार विमर्श किया जा रहा है।

स्टाक एक्सचेंज

*354. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों ने संयुक्त अभ्यावेदन संघ सरकार को भेजा है और उसमें कहा है कि अनाम हस्तांतरण के चलन पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव को रद्द कर दें ;

(ख) यदि हां, तो अपनी बात के समर्थन में उन्होंने क्या तर्क पेश किए है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ;

(ख) मुख्य तर्कों का संक्षेप विवरण सभा-पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी-3532/64]** ; और

(ग) समय समय पर ये तर्क स्टाकदलालों की ओर से उठाए गए थे और समवाय (संशोधन) विधेयक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व इन पर सरकार ने विचार कर लिया था। अब विधेयक संसद में विचाराधीन है।

जर्मनी के सहयोग से मुद्रणालय

872. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य मे जर्मन संघ गणराज्य की सरकार के सहयोग से मुद्रणालय स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : मैसूर सरकार ने भूमि दे दी है। नक्शों और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

एक रुपये का कोरा नोट

873. { **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मणियंगाडन : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तुबर, 1964 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', नई दिल्ली में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि चेम्बूर में शहर के एक बैंक द्वारा जारी की गयी एक एक रुपये की 100 नोटों की गड्डी में से एक रुपये का एक नोट एक ओर से कोरा मिला है जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिस्थितियों की कोई जांच की गई है कि रिज़र्व बैंक ने एक ओर छपा करेंसी नोट कैसे जारी कर दिया और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार ने ऐसे नोट के चलन के बारे में 30 अक्तुबर, 1964 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली में प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ख) इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस और भारत के रिज़र्व बैंक से पूछताछ की गयी है। इस प्रकार का नोट कागज के दूसरी ओर छपाई करते समय कागज का कोना मुड जाने के कारण रह सकता है। नोटों की जांच करते समय इस प्रकार के त्रुटिपुर्त नोट को अलग कर देना चाहिये था। लेकिन बडी संख्या में नोटों के छापे जाने और जारी किये जाने के कारण न तो इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस और न रिज़र्व बैंक ही नोटों की शत-प्रतिशत जांच करते हैं। अत: ऐसे नोट का जारी हो जाना असम्भव बात नही है। लेकिन इस प्रकार का नोट करोड़ों में एक ही हो सकता है। भारत के रिज़र्व बैंक ने उस व्यक्ति से, जिसके पास यह नोट है, अनुरोध किया है कि वह इसे पेश करदे ताकि इसकी असलियत के बारे में पता लगाया जा सके। भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा नोट देख लिये जाने के बाद ही ठीक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।

भूदान भूमि

874. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **योजना** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें इस बारे में राज्यवार जानकारी दी गई हो कि :

(क) वर्ष 1963 तक भूदान में कितनी भूमि दान की गयी है;

(ख) कितनी भूमि भूमिहीन श्रमिकों में बांटी गयी है; और

(ग) इस भूमिपर कितने परिवार बसाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अखिल भारत सर्व सेवा संघ से प्राप्त जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3533/64।]**

केरल में प्रारम्भिक कर

875. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने केरल पंचायत अधिनियम, 1960 के लागू किये जाने के बाद से प्रारंभिक कर के रूप में कितनी राशि एकत्र की;

(ख) इस मद में अभी कितनी राशि एकत्र करना बकाया है;

(ग) 1960 के केरल अधिनियम 32 की धारा 67 के अन्तर्गत अनुदान के रूप में प्रत्येक पंचायत को कितनी राशि देय है;

(घ) क्या हर पंचायत को अनुदान देने के लिये कोई कदम उठाये गई हैं; और

(ङ) यह धनराशि कब दी जाएगी।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) लगभग 2.98 करोड रुपये।

(ख) लगभग 2.10 करोड रुपये।

(ग) से (ङ) पंचायतों को देय राशि का निर्धारण और भुगतान केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 67 के लागू होने के बाद किया जायेगा।

उड़ीसा में आवास योजनायें

876. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 और 1964-65 में अब तक उड़ीसा सरकार को निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ख) इसी अवधि में उक्त योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) और (ख) स्थिति निम्न प्रकार है :

1963-64 और 1964-65 में उड़ीसा सरकार को निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित और दी गयी राशि और इन दो वर्षों में राज्य में इन योजनाओं की प्रगति का ब्योरा निम्न प्रकार है :

1. 1963-64.

(क) निधि का आवंटन

(रुपये लाखों मे)

योजना का नाम	आवंटित राशि	दी गयी राशि
(1) निम्न आय वर्ग आवास योजना . . .	9.00	7.08
(2) मध्यम आय वर्ग आवास योजना . . .	10.00	10.00
(3) राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना . .	12.00	14.00

(2) में उल्लिखीत योजना जीवन बीमा निगम के धन से और (1) और (3) की योजनाओं को योजना संसाधनों से धन दिया जाना है।

(ख) **निर्माण में प्रगति**

राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन और जानकारी के अनुसार बनाये गये मकानों की संख्या निम्न प्रकार है ।

योजना का नाम	बनाये गये मकानों की संख्या
निम्न आय वर्ग आवास योजना	132
मध्यम आय वर्ग आवास योजना	83
राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	540

2. 1964-65

(क) **निधि का आवंटन**

योजना का नाम	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)
(1) निम्न आय वर्ग आवास योजना	16.00
(2) मध्यम आय वर्ग आवास योजना	वर्ष 1964-65 में विभिन्न आवास योजनाओं पर (जिसमें मध्यम आय वर्ग आवास योजना भी सम्मिलित है) व्यय के लिये जीवन बीमा निगम की धनराशि में से उड़ीसा सरकार को 100 लाख रुपये का आवंटन किया गया है ।
(3) राज-सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना	13.00

(ख) **निर्माण में प्रगति**

30 जून, 1964 तक निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 17 मकान और मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 16 मकान बनाये गये । इस अवधि के लिये राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के बारे में अभी तक कोई प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

उड़ीसा में भारी और मध्यम उद्योग

877. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तृतीय पंचवार्षिक योजना में उड़ीसा राज्य में भारी और मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक धनराशि अवंटित करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। यह उड़ीसा सरकार द्वारा मई, 1963 में 160 करोड़ रुपये के मूल योजना परिव्यय के स्थान पर 218.7 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित योजना परिव्यय की प्रार्थना का एक अंग है।

(ख) यद्यपि योजना आयोग ने उड़ीसा सरकार की इस प्रार्थना को नहीं माना है, स्थिति को देखते हुए वार्षिक योजनाओं के जरीये भारी और मध्यम उद्योगों के लिये अतिरिक्त धन दिया जायेगा।

उड़ीसा में भूमिहीन कृषि श्रमिक

878. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीसरी योजना के अन्तर्गत गृह-निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूरों को सहायता देने के लिये कोई राशि अलग रखी है ;

(ख) यदि हां, तो राशि कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) भूमिहीन कृषि मज़दूरों के मकानों के लिये राज्य सरकारों को कोई पृथक् राशि नहीं दी जाती। परन्तु यदि वे चाहें तो ग्राम्य आवास परियोजनाएं योजना के अन्तर्गत दी गई वार्षिक राशि का लगभग एक-तिहाई धन इस प्रयोजन के लिये व्यय कर सकती हैं। इस योजना के लिये उड़ीसा राज्य को तीसरी योजना में 50 लाख रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने योजना के पहले तीन वर्षों में केवल 11.03 लाख रुपये ही लिये हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष में 7.67 लाख रुपये का उपबन्ध रखा है।

केरल में मोटर गाड़ियों का बीमा

879. { **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने पिछले पांच वर्षों में केरल में चलने वाली मोटरगाड़ियों के तृतीय पक्ष बीमा से कितनी राशि वसूल की ;

(ख) उपरोक्त अवधि में दावेदारों को कितनी राशि दी गई ;

(ग) उसी अवधि में कितने दावे आये तथा कितनों को मंजूर किया गया ;

(घ) दावों की तसदीक करने के लिये कितने निरीक्षक नियुक्त किये गये ; और

(ङ) दावों को निबटाने में अत्यधिक देरी को ध्यान में रखते हुए क्या निरीक्षों को दावे तसदीक करने के लिये अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण आवास योजनाएं

880. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री चुनी लाल :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह-निर्माण योजना के लिये पंजाब राज्य को वर्ष 1964-65 में अब तक कितना धन दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना) : पंजाब सरकार ने अपनी वार्षिक योजना में ग्रामीण गृह-निर्माण परियोजनायें योजना के अन्तर्गत वर्ष 1964-65 के लिये कोई धन नहीं रखा है। इस लिये चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अधीन राज्य सरकार को कोई राशि नियत नहीं की गई है।

नया तापीय-विद्युत् संयंत्र

881. **श्री मुत्तु गौंडर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागपटिनम (मद्रास राज्य) में जिस तापीय-विद्युत् संयंत्र के लगाये जाने का प्रस्ताव था वह अब किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : इनूर में 300 मेगा वाट तापीय-विद्युत् स्टेशन की स्थापना के कारण नागपट्टिनम में तापीय-विद्युत् संयंत्र के लगाये जाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। इनूर में 300 मेगावाट तापीय-विद्युत् स्टेशन की स्थापना के बारे में स्वीकृति दे दी गई है।

बिहार में सुनारों को पुनः काम पर लगाया जाना

882. **श्रीमति रामदुलारि सिंहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सुनारों को बसाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) सुनारों की कितने परिवार हैं तथा उन्हें अब तक किस प्रकार से बसाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) भारत सरकार ने सुनारों को बसाने की योजना की रूपरेखा बिहार सरकार को भेज दी है। इस योजना में, शिक्षा सम्बन्धी सहायता, प्रशिक्षण सुविधायें, उद्योग अथवा अन्य उत्पादी कार्यों में स्थिरीकरण के लिये ऋण की सहायता, सहकारी समितियों का संगठन, भूव्यवस्था तथा नौकरी में प्राथमिकता देना, सम्मिलित हैं। इस योजना को चलाने के लिये बिहार सरकार को 23 लाख रुपये की राशि अब तक ऋण के रूप में दी गई है।

(ख) बिहार सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जल प्रदाय के लिये यूनीसेफ से सहायता

883. **श्री उइके** :
श्री दलजीत सिंह :
श्री साधू राम :
श्री रा० स० तिवारी
श्री ब० ना० सिंह :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 17 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनीसेफ ने छह राज्यों में अग्रिम ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से राज्यों को ; और

(ग) इन राज्यों को किस आधार पर चुना गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात, राजस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मद्रास। इन का चयन राज्यों के रूप में किया गया है जहां वे कार्य करेंगे :—

(एक) विशेष समस्यायों वाले क्षेत्र जो ग्रामीण जल प्रदाय के प्रदर्शन एकक के रूप में कार्य करेंगे जिस से स्वास्थ्य की दिशाओं में सुधार हो सके। तथा जो लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में प्रशिक्षण संस्थाओं के सहायक होंगे। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश और मद्रास की परियोजनायें आती हैं।

(दो) ऐसे राज्य जहां विशेष स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायों वाले क्षेत्र हैं तथा जहां निर्दोष जल प्रदाय से सीधा हल हो सकता है। बिहार में हैजे वाले कुछ विशेष क्षेत्र तथा राजस्तान में चिल्लड़ से पीड़ित-क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं।

(तीन) ऐसे राज्य जिन में वातावरण को शुद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है। आर० सी० ए० परियोजना तथा फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्गत आरम्भ किये गये शौचालय परियोजनाओं के विस्तार के लिये चुने गये गुजरात और पंजाब राज्य के कुछ क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं।

अमरीका की सहायता से चलने वाली परियोजनाएं

884. **श्री राम हरख यादव :**
श्री बसवन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी विधायकों का एक दल भारत में अमरीकी सहायता परियोजनायों का अध्ययन करने के लिये शीघ्र ही भारत आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन की यात्रा-सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विधायकों के नाम क्या हैं ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के पास इस प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गोविंद सागर जलाशय

885. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधू राम :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 17 सितम्बर, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 736 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द सागर जलाशय की गहराई को ऊंचा करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : बाखड़ा बान्ध के गोबिन्द सागर जलाशय का प्रतिस्रोत 1660 के लक्ष्य के स्थान पर अक्तूबर 1964 में 1661.60 की ऊंचाई तक भरा गया था।

Mosquito Nuisance in New Delhi

887. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that from 1952 to 1962, there were no mosquitoes in North Avenue, New Delhi but from 1962 to October, 1964, a serious type of mosquito menace has sprung up ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Whether any scheme is being formulated to eradicate this mosquito nuisance ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The New Delhi Municipal Committee have reported that complaints of mosquito nuisance have been occasionally reported every year in the past. There was, however, some increased mosquito breeding in the current year in the water of the recent floods.

(b) The reasons for the increased mosquito nuisance are mainly as follows :

(i) Unprecedented heavy rainfall which washed away the larvicidal oil poured in the collections of water.

(ii) The water from the sub-soil water pumps installed by the C.P.W.D. to pump out the sub-soil water is being discharged into the storm water drains which were meant only for carrying the rain water, resulting in stagnation and mosquito breeding.

(iii) A number of unauthorised dairies resulting in insanitation and mosquito breeding.

(c) (i) The C.P.W.D. have been asked to take action for discharging the sub-soil water pumped from these wells through ground barrels.

(ii) The removal of the dairies outside the city limits when executed will also go a long way to control the mosquito nuisance.

(iii) New Delhi Municipal Committee and Delhi Municipal Corporation are expected to improve the sanitary conditions.

तापीय विद्युत् संयंत्र

888. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दो ऐसी संस्थायें स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है जो बड़े बड़े तापीय विद्युत् संयंत्र चलाने का विशेष प्रशिक्षण देंगी ;

(ख) यति हां, तो ये संस्थाये कब और किन किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ;

(ग) क्या इस के लिये किसी विदेशी सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी ; और

(घ) यदि हां, तो सहयोग किन देशों से लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के अधीन दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया गया है जिन में अग्नि से उत्पन्न शक्ति संस्थानों के लिये कर्मचारी वर्ग को उनको चलाने और उसके रख रखाव का प्रशिक्षण मिलेगा ।

(ख) इन में से एक केन्द्र दक्षिण में नवैली में और दूसरा उत्तर में उस स्थान पर जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ स्थापित किया जायेगा। सब तय्यारी पूरी होने पर इन केन्द्रों के 1965-66 के आरंभ में स्थापित होने की आशा है।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता लेने की संभावना पर खोज हो रही है।

Rent of Flats in M.P.s Hostel

889. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed rent for the various types of flats in M.P.s Hostel, under construction;

(b) if so, the rents fixed for the various types of flats separately;

(c) whether any arrangement has been made regarding boarding for M.P.s; and

(d) other facilities which would be provided there ?

Minister of Works and Housing (Shri Meharchand Khanna) : (a) and (b) : The matter is under consideration.

(c) All the 144 suites in the M.P.s' Hostel are being provided with Kitchenettes. The question of appointing a caterer in the club portion will be considered in due course.

(d) The suites will be furnished and will have attached bath-rooms and lavatories. There will also be an auditorium and a club with lounges, dining halls, bank, library, post office etc.

अपर डिविजन क्लर्कों का वेतन मान

890. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों में अपर डिवीज़न क्लर्कों के वेतन-मान का संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक अन्तिम रूप में हो जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) ये वेतन क्रम दूसरे वेतन आयोग द्वारा संशोधित किये गये थे जिसने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार के सचिवालय के लिये एक वेतन-क्रम और सचिवालय से बाहर के दफ्तरों के लिये दूसरा वेतन क्रम रखा जाये। इन में किसी परिवर्तन की सम्भावना नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाने वाली संतति-निरोधक दवाई

891. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक अमरीकी दवाई विशेषज्ञ डा० राबर्ट ए० हार्ड के कथित विचार की ओर दिलाया गया है कि उत्पत्ति (Birth Control) नियंत्रण का सब से अच्छा तरीका खाने वाली दवा का है।

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस विचार से सहमत है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकार

892. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार में निर्माण और आवास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि रखने की मांग की गयी है ;

(ख) यदि हां तो इस मांग के पक्ष में क्या कारण पेश किये गये हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) मांग के पक्ष के कारण इस प्रकार है :—

(i) निर्माण और आवास मंत्रालय का संबंध दिल्ली के मास्टर प्लान के उपबंधों के बड़े भाग को कार्यान्वित करने का है और वह दिल्ली का सबसे बड़ा निर्माणकर्ता है।

(ii) निर्माण और आवास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व उस मंत्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्यक्रमों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने का ठेका लेगा !

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के संशोधन होने या प्राधिकार के पुनर्गठन तक, भारत सरकार के लिये अतिरिक्त प्रतिनिधि रखने के लिये प्राधिकार को उसकी बैठकों में भाग लेने के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का सुझाव दिया गया है।

विकास खण्ड

893. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमति सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या :

(क) **योजना** आयोग देश भर के उन खण्डों का व्यापक अध्ययन कर रहा है जिनको दस वर्ष तक सामूहिक विकास का लाभ हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1952–54 के वर्षों में आरम्भ, दूसरे चरण के बाद के खण्डों में हुय सामुहिक विकास का मूल्यांकन, उसके विविध पहेलु, उनके लिये अपनाये गय तरीकों संस्थाओं का निर्माण, लोकतंत्री एजेंसीयों, विभिन्न चरणों में और विभिन्न क्षेत्रों में हुये विकास की मात्रा, गति और स्वरुप आदि के मूल्यांकन और उस क्षेत्र और लोगों पर प्रभाव के अध्ययन का काम हाथ में ले लिया गया है। यह अध्ययन प्रदेशों के आधार पर चुने गये दूसरे चरण के बादके 39 खण्डों में की गयी नमूने की क्षेत्री जांच के आधार पर होगा।

(ख) क्योंकि अध्ययन अभी तय्यारी स्तर पर है इसलिये इसके परिणाम बताना असम्भव होगा।

Water and Sewerage for New Delhi

894. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Naval Prabhakar :
Shri Balmiki :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the New Delhi Municipal Committee is going to make separate arrangements for water and sewerage purpose for New Delhi;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon ;

(c) the amount of financial assistance which the Central Government would give for the purpose and how it will be provided ; and

(d) the source from where the water will be obtained for New Delhi ;

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The New Delhi Municipal Committee have been thinking of separate arrangements for water and sewerage purposes for the area under their Jurisdiction, but no detailed scheme has yet been drawn.

(b) to (d) Even the preliminary scheme has not yet been drawn. The likely expenditure to be incurred, the financial assistance and the source from where the water will be obtained cannot be indicated at this stage.

मास्को का पीपल्स फ्रेंडशिप विश्वविद्यालय

895. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपल्स फ्रेंडशिप विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी डिग्रीयों को मान्यता देने के प्रश्न पर भारत की चिकित्सा परिषद ने अंतिम विचार कर लिया है; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 1962 और 1963 में कोई चिकित्सा विद्यार्थी इसलिये वहा नहीं भेजा क्योंकि इस परिषद ने उस विश्व विद्यालय की डिग्री को मान्यता नही दी थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन भारत की चकित्सा परिषद ने पीपुलज फ्रेंडशिप विश्वविद्यालय की, जिसे अब पैट्रिस लुमुम्बा

फ्रेंडशिप विश्वविद्यालय कहा जाता है, डिग्री को मान्यता देना मान लिया है। एक भारतीय नागरिक को प्राप्त ऐसी डिग्री को मान्यता दी जायगी। जब कोई भारतीय नागरिक इस योग्यताके पंजीयन के लिये राज्य चिकित्सा परिषद को आवेदन देगा तो इसकी मान्यता की आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।

(ख) 1962-63 और 1963-64 के दौरान, पैट्रिस लुमुम्बा विश्वविद्यालय, मास्को की ओर से चिकित्सा शास्त्र के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी 1962-63 में दो विद्यार्थी सीधे ही विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुये। दो विद्यार्थी, जिनको पहले "रूसी भाषा और साहित्य" और "भूविज्ञान और लाभदायक खनिज भंडारों की खोज" के लिये चुना गया था, उनको 'मैडिसिन' की पढाई के लिये विश्वविद्यालय में दाखला मिला।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क

896. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पादन शुल्क अभी अभी बढ़ाया गया है ;

(ख) यदि हां तो हर राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों पर इस शुल्क के वर्तमान दर क्या है ;

(ग) क्या आसाम में भिन्न भिन्न पेट्रोलियम पदार्थों के दर दूसरे राज्यों से अधिक है ; और

(घ) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) जी हां। खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) के अधीन अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की दरें पहले 6 अक्टूबर 1964 से और फिर 18 नवंबर 1964 से बढ़ाई गई थीं।

(ख) ऊपर लिखे शुल्क की वर्तमान दरें भारत भर में समान हैं और वे इस प्रकार हैं :

वस्तु	प्रशुल्क दर	चालू दर
1	2	3
1. मोटर तेल	15°C पर 165 रु० प्रति किलोग्राम	15°C पर 93 रु० प्रति किलोग्राम
2. मट्टी का तेल	15°C पर 80 रु० प्रति किलोग्राम	15°C पर 43 रु० प्रति किलोग्राम
3. शुद्ध डीज़ल तेल और बाष्पशील तेल	15°C पर 100* रु० प्रति किलोग्राम	15°C पर 55 रु० प्रति किलोग्राम
4. किसी अन्य प्रकार से उल्लिखित न किया गया डीज़ल तेल	60 रु० प्रति मेट्रिक टन	31 रु० प्रति मेट्रिक टन

*खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन और सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक, 1964 (1964 का 77) में जैसा सुझाव दिया गया है।

1	2	3
5. 'फर्नेस' तेल	60 रु० प्रति मेट्रिक टन	31 रु० प्रति मेट्रिक टन
6. "एस्फाल्ट" और "बिटूमन" जैसा कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची में मद संख्या 11(1) में वर्णन किया गया है	50 रु० प्रति मेट्रिक टन	
7. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 11(1) में वर्णन किये गये सभी पदार्थ	300 रु० प्रति मेट्रिक टन	

(ग) जी नहीं। भारत भर में पेट्रोलियम पदार्थों पर लगे उत्पादन शुल्क की दरें एक रुप हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

T. B. Patients in Punjab

897. Shri Daljit Singh : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether any National Sample Survey of Tuberculosis in Punjab has been conducted;

(b) if so, the nature and the exent of assistance given by the Central Government for the treatment of T. B. patients; and

(c) the extent of assistance given to the Punjab Government in 1964-65 ?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Punjab was included in the National Sample Survey of Tuberculosis conducted in 1955-57.

(b) Under the National T. B. Control Programme, the Government of India assists the State Governments in respect of the following schemes;

(i) BCG Vaccination Campaign;
(ii) Establishment of T. B. Clinics;
(iii) Establishment of T. B. Demonstration and Training Centres;
(iv) Establishment of Mobile X-Ray Units;
(v) Establishment of T. B. Isolation beds; and
(vi) Supply of anti-T. B. Drugs.

Central assistance is given at the rate of 75% of the non-recurring expenditure and 50% of the recurring expenditure in respect of the above-mentioned schemes. The Central share on buildings is limited to 75% of the following ceilings :

(i) T.B. Clinics . . . . . . Rs. 95,000 per clinic;
(ii) T.B. Demonstration & Training Centres . . Rs. 2,25,000 per centre.

(c) In accordance with the existing procedure, as Central assistance for the Centrally-aided schemes is released through 'Ways and Means Advances' for a group of schemes, the assistance released to Punjab so for during 1964-65 for T.B. schemes alone is not known. The quantum of Central assistance admissible to the State Government for 1964-65 will be known only at the end of the financial year on receipt of expenditure figures from the State Government. However, anti-TB drugs worth Rs. 70,666·50 have so far been supplied in the current year to T.B. Clinics in Punjab. The State Govt. have provided a sum of Rs. 3·03 lakhs for the current financial year for T.B. schemes.

पश्चिम कोसी नहर

898. **श्री श्री नारायण दास :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री 24 सितंबर को अतारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 1196 को पूछे गये उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर के मार्ग रेखा निर्धारण का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले का अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पश्चिम कोसी नहर के तट-बंधन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ ।

(ख) अभी तक नेपाल सरकार से इस मामले पर पत्र व्यवहार हो रहा है ।

(ग) यह नेपाल सरकार पर निर्भर है कि वह कितनी जल्दी अपनी सहमति देगी ।

Quarters on Panchkuin Road, New Delhi

899. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that type I quarters built on Panchkuin Road, New Delhi for Class IV employees have no connecting doors ;

(b) whether underground pipe lines are not provided in the verandahs of these quarters on both the sides;

(c) whether the sweepers have no facilities to go to the first floor for scavenging purposes ; and

(d) if so, whether some steps are being taken to remove these difficulties ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehar Chand Khanna) : (a) The two rooms of these quarters are connected by an opening without shutters.

(b) The drain pipes from the roof are not connected to underground drains.

(c) There is no separate entrance for sweepers.

(d) The drain pipes from the roof are now being connected to drains under the verandah floor. It is also proposed to provide one ladder for each block of quarters to enable sweepers to reach the W. Cs. without going through the rooms of the quarters.

विदेशी पुंजी-विनियोजन

900. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** }

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षित बैंक ने विदेशी पूंजी लगाये जाने का कोई सर्वेक्षण किया है जिससे पिछले पांच वर्षों में भारतीय उद्योगों में विदेशी भाग में हुई वृद्धि का पता चल सके;

(ख) यदि हां तो इस सर्वेक्षण से कौन कौन सी मुख्य बातें प्रकाश में आई हैं;

(ग) संयुक्त उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या प्रेरणा और रियायतें दी गई हैं; और

(घ) अन्य उद्योगों की अपेक्षा खान उद्योग में विदेशी धन के कम लगाये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भारत के रक्षित बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार "विदेशी विनियोजन" संबंधी प्रकाशित जानकारी से वर्ष 1960 के अन्त में जो स्थिति थी उसका पता लगता है।

(ख) भारत के रक्षित बैंक ने अक्तूबर 1962 में अपने बुलेटिन में सर्वेक्षण की उपपत्तियां प्रकाशित की थीं।

(ग) विदेशी पूंजीपतियों को जो रियायतें तथा प्रोत्साहन दिये जाते है वे मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं :—

(1) उन के द्वारा कमाये गये स्वामित्व तथा टेक्नीकल शुल्क पर 50 प्रतिशत कम दर से कर लगाया जाना।

(2) तकनीकी जानकारी दिये जाने पर कमाये गये धन पर करों में छूट।

(3) उन के द्वारा प्राप्त किये गये लाभांशों में दस प्रतिशत की आयकर में छूट जो कि वे मुख्यतः भारत की औद्योगिक प्राथमिता के निकायों से प्राप्त करेंगे।

(4) अनिवासियों द्वारा उस ऋण पर लिये गये ब्याज पर कर में छूट, जिस का भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया हो, जो भारत के औद्योगिक उपक्रमों को पूंजीगत सामान, मशीनें या कच्चा माल मंगाने के लिये दिया गया हो।

(5) विदेशी तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों पर, कुछ शर्तों पर कर में छूट।

(घ) साधारणतः खान उद्योग में, जिस में कि खनिज निक्षेपों की खोज तथा व्यापारिक उपयोग के लिए खोज संबंधी अधिक खनन काम होता है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। अन्य उद्योगों की अपेक्षा खानउद्योग में पूंजी पर आय कम होती है और पर्याप्त समय के पश्चात होती है। इस के अतिरिक्त, हमारे औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में, खान उद्योग के अनेक क्षेत्रों का विकास-कार्य सरकारी क्षेत्र के लिए रक्षित कर दिया गया है।

5—2 Lok Sabha/65.

आर्थिक समस्याओं संबंधी गवेषणात्मक अध्ययन

901. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे::

(क) क्या कुछ चुनी हुई संस्थाओं द्वारा किये गये आर्थिक समस्याओं के गवेषणात्मक अध्ययन का उस समितिने पुनिरीक्षण कर लिया है जो आयोजन तथा विकास-कार्य में गवेषणा करने के लिए नियुक्त की गयी हें ;

(ख) इन गवेषणा संस्थाओं को निधि उपलब्ध करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) चौथी योजना बनाने में इन अध्ययनों के निष्कर्षों का कहां तक उपयोग किया गया है ; तथा

(घ) गवेषणा संस्थाओं ने किन किन कठिनाईयों का अनुभव किया था तथा सरकार द्वारा उनको दूर करने के लिये क्या सहायता की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) नहीं ।

(ख) इन गवेषणा संस्थाओं को फोर्ड फ़ाउंडेशन द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए दिये गये 1,047,000 डालर के अनुदान में से सहायता दी जाती है ।

(ग) अध्ययन जारी है परन्तु निष्कर्षों का अभी पता नहीं चला ।

(घ) इन गवेषणा संस्थाओं में दो मुख्य कठिनाईयाँ निम्न प्रकार की हें : (1) भारत में उच्च योग्यता के गवेषणाकर्ताओं की कमी, और (2) विख्यात विदेशी विशेषज्ञों या सलाहकारों की सेवा प्राप्त करना। उपरोक्त संख्या 2 के बारे में योजना आयोग ने फ़ोर्ड फाऊंडेशन से सम्बन्धित क्षेत्रों में विदेशी विद्वानों को सहायता करने के लिये कहा है ।

राज्यों को सहायता

902. **श्री हेडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिये केन्द्र पर बढ़ रही निर्भरता का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या इस बढ़ रही इस प्रवृति का अनुमान धनके अधिक बटवारे, कर्जों तथा खुले बाजार से उधार लेने से लगाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दस सालों में यह बढौत्री कहां तक हुई ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार ने राज्यों की बढ़ रही निर्भरता का विशेष अनुमान नहीं लगाया । परन्तु उन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वार्षिक बढ रही निर्भरता जो कि कर्जो तथा अनुदानों के रूप में की जाती है, की पूरी जानकारी है । केन्द्र द्वारा उपलब्ध किये गये संसाधनों का ब्यौरा केन्द्र के बजटों में दिया हुआ है ।

(ख) बढ़ौत्री का अनुमान केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये कर्जों तथा अनुदानों से लगाया जा सकता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकारें स्वयं कर्जे प्राप्त करती है, राज्यों की निर्भरता की अनुमान लगाना कठिन है ।

(ग) केन्द्र द्वारा 1955–56 में 424.02 करोड़ रु० के संसाधन हस्तांतरित हुए तथा 1964–65 में 1,173.57 रु० की आशा है ।

चतुर्थ वित्त आयोग

903. **श्री हेडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ वित्त आयोग के विचारार्थ विषय पहले के वित्त आयोगों से अधिक व्यापक हैं;

(ख) क्या उन में राष्ट्रीय संसाधनों का निर्धारण करना भी शामिल है; तथा

(ग) यदि हां, तो यह योजना आयोग के कार्यों की कहां तक अति व्याप्ति करते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, वित्त आयोग के विचारार्थ विषय वही है जो संविधान के अन्तर्गत सौंपे गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Health Experts for Jammu and Kashmir

905. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team of health experts is being deputed to Jammu and Kashmir State to study the Venereal diseases and T.B. problems in some areas in that State with a view to organising control programmes;

(b) if so, the composition thereof; and

(c) when the team is likely to complete its study ?

Dr. Sushila Nayar (Minister for Health) : (a) & (b) It is proposed to send expert officers of the D.G.H.S. in Tuberculosis and Venereal Diseases to Ladakh to assist in organising control programmes in these diseases. They will be assisted by the local personnel.

(c) It is likely to be done in the summer season next year.

Raid in Varanasi

906. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that high officials of the Income-tax Department raided the premises of a certain firm of Varanasi on the 5th October, 1964 and recovered gold and diamonds;

(b) if so, the estimated value thereof ;

(c) whether a locker belonging to the same firm was also searched; and

(d) if so, the outcome of the investigations ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes Sir, During the search some gold ornaments were found.

(b) The estimated value of gold ornaments is Rs. 45,000.

(c) & (d) Two lockers were searched and were found to contain cash amounting to Rs. 5,000, ornaments belonging to the family weighing 80 tolas, and other ornaments of the value of Rs. 16,000 received from other parties in pawning business. The investigations are in progress.

Infectious Disease in Trivandrum

907. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an infectious disease broke out in the Attingal area near Trivandrum in early October last as a result of which about 130 school children suddenly became unconscious and the condition of some of them became serious ; and

(b) whether any investigation has been made into this incident and if so with what result ?

Dr. Sushila Nayar (Minister for Health) : (a) An infectious disease broke out in Attingal in Trivandrum in September-October, 1964. It affected 260 children.

(b) Yes. The laboratory investigation revealed that in five cases Typhoid organisms were cultured from blood and in eight cases agglutination test was positive for Typhoid. 681 TAB inoculations have been performed in the locality and 31 wells have been chlorinated. Efforts were made to improve hygienic conditions in the locality. The out-break has subsided.

Out of 260 cases affected 252 were discharged cured and 8 are under treatment. There has been no death so far.

कनडा से सहायता

908. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री धर्मलिंगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कनाडा से 20 लाख डालर के ऋण की भारत को सहायता दिये जाने के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; तथा

(ग) उन परियोजनाओं के क्या नाम है जो इस धन से बनायी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) हां श्रीमान्, यह राशि 10 लाख 96 हजार कनाडा-डालर की है।

(ख) ऋण का भुगतान 33 अर्द्धवार्षिक किस्तों में होगा। पहली किस्त 1 नवम्बर, 1968 से देनी आरंभ होगी। सूद की दर 6 प्रतिशत वार्षिक है। प्रतिवर्ष पहली मई तथा पहली नवम्बर को सूद दिया जाना है। मूल तथा ब्याज कनाडा के डालरों में होगा।

(ग) ऋण का उपयोग कनाडा से औद्योगिक भट्टियाँ आयात करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा के लिये होगा। यह भट्टियाँ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात परियोजना की इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये हैं।

बंगलोर में आयकर आयुक्त सम्मेलन

909. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर उगाही के प्रबंधकों को कटिबद्ध करने के लिये बंगलौर में हुए आय कर आयुक्त सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए हैं, और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) आय कर आयुक्त सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं किया गया। परन्तु हाल में ही बंगलौर में हुए सम्मेलन में सुझाव दिए गए जो कि देश में कर वसूली व्यवस्था को कटिबद्ध किया जाये। इन सुझावों पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा सरकार, आयुक्तों द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदनों के आधार पर विचार होगा।

जीवन बीमा निगम के ऋण की वसूली

910. { **श्री दाजी :**
श्रीमति विमला देवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कपूर सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मनोहरन : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने कानपुर के मिल मालिक श्री राम रतन गुप्त से ऋण वसूल कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एम्पायर आफ इण्डिया लाइफ एन्श्योरेंस कंपनी नामक एक यूनिट ने श्री राम रतन गुप्त तथा चार अन्य व्यक्तियों को कानपुर तथा नैनीताल की उनकी सम्पत्ति को गिरवी रखकर जो ऋण 18,30,000 रुपये दिया था उसको उन्होंने दिसम्बर 1961 में लौटा दिया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय विकास योजनायें

911. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास योजनाओं की पांच वर्ष की अवधि बढ़ाकर इनको अधिक वर्षों की करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(ग) ऐसा परिवर्तन करने का क्या कारण है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना लम्बी अवधि की होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का विकास का पहला क्रम पन्द्रह वर्षों में अर्थात् 1961–62 से 1975–76 पूरा होना है। तद्नुसार चौथी योजना 1965–66 से 1975–76 तक के लिये हैं। इससे योजना में क्रमबद्धता आयेगी तथा पांच वर्ष की अवधि के लिये योजनायें तैयार की जायेगी ।

पेरियार नदी

912. **श्री पोट्टेकाट्ट :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इडिली परियोजना के निर्माण के कारण पेरियार नदी का बहाव बदलने से गर्मी के महीनों में पेरियार नदी के जल में कितना असर हो जायेगा ;

(ख) क्या इस समस्या के परिणामस्वरूप आल्वाइ-कोचीन औद्योगिक बैल्ट में केमिकल यूनिटों के ग्रीष्मकाल में बन्द हो जाने की संभावना है ; और

(ग) इसी समस्या को सुलझाने के लिये सरकार का क्या क़दम उठाने का विचार है ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) केरल सरकार मामले का विचार कर रही है।

(ग) अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद आवश्यक बचाव उपायों पर विचार किया जायेगा ।

बाग़ान श्रमिक आवास योजना

913. **श्री प० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यो में बाग़ान श्रमिक आवास योजना के अधीन कितने मकान बनाने का विचार हैं; और

(ख) अबतक कितने मकान बने हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचंद खन्ना) : (क) इस योजना के अधीन मकानों के निर्माण के तीसरी योजना के लक्ष्य आसाम, केरल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपूरा जहां जहां बाग़ान है, 3,700 हैं।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कैंसर

914. { श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि संघ स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार अन्य भारतीय नगरों की तुलना में कलकत्ता के नागरिकों को कैंसर होने की अधिक संभावना हैं ;

(ख) यदि हां, तो मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है अथवा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

शांति घाट, दिल्ली

915. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की : शांति घाट को मनोरम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचंद खन्ना) : जो उपाय किया गए है उनमें क्षेत्र को एक समान बनाना, समाधी के चारों ओर रोलिंग लगाना, रिंग रोड से समाधि तक सड़क बनाना तथा गाड़ियों के लिये पार्किंग एरिया बनाना, प्रवेश द्वार, फूल लगाना तथा लान बनाना आदि हैं। दीर्घकालीन उपायों की योजनायें अभी नहीं बनाई गई हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मौनेटाइज्ड़' तथा 'नान मौनेटाइज्ड़' ट्रान्जैक्शन

916. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओंमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 'मौनेटाइज्ड' तथा 'नान मौनेटाइज्ड' ट्रांजेक्शन के अनुपात का तथा आर्थिक विकास की जाति पर उसका प्रभाव का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियाँ क्या है;

(ग) इस बारे में उनका तीसरी योजना का क्या निर्धारण हैं ; और

(घ) चौथी योजना बनाने में इस बात पर किस सीमा तक विचार किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी नहीं। परंतु 1951 के लिये उपभोक्ता व्यय के 'मौनेटाइज्ड़' तथा 'नॉन मौनटाइज्ड' मांग के बारे में जानकारी 'टेबल्स विद नोट्स आन दि थर्ड राउन्ड, अगस्त-नवम्बर, 1961' नामक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रतिवेदन संख्या 3 में दी हुई है। इस प्रतिवेदन के अनुसार अगस्त-नवम्बर, 1951 में देश में कुल उपभोग व्यय अनुमानत: 40 प्रतिशत उत्पादन, वस्तु विनिमय आदि का है।

(ग) अर्थ व्यवस्था में मौनेटाइज्ड़ ट्रांजैक्शन का अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है यद्यपि वृद्धि दर बताना संभव नहीं है।

(घ) यह समझा गया है कि चौथी योजनावधि में अर्थ व्यवस्था में 'मौनेटाइजैशन' बढ़ेगा।

Body Found in Safdarjung Hospital

917. { **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :**
Shrimati Laxmi Bai :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the body of a lady of Vinay Nagar, New Delhi named Sarla Devi who was admitted to Safdarjung Hospital on the 6th October, 1964 was found lying on the floor outside on the night between the 8th and 9th October, and

(b) if so, whether any investigation has been made into the matter and if so, the outcome thereof ?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b) : The facts of the case are that Smt. Sarla Devi, who had been admitted to the hospital with a history of Amenorrhoea and pain in the lower abdomen, was under apprehension that she was pregnant. However, an examination revealed no pregnancy. The patient was overwrought about the possibility of pregnancy and jumped from the second floor through the bath room window. Steps are being taken to fit iron bars in the windows.

ग्राम विद्युतीकरण

918. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी योजना की शेष अवधि में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को लागू करने तथा उसकी क्रियान्विति में गतिशीलता लाने के लिए अतिरिक्त धन मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की अपेक्षित राशि स्वीकार करली है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम को लागू करने तथा उसमे गतिशीलता लाने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता नही मांगी है । परंतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 12.15 करोड़ रुपया व्यय करके 3000 गांवों में बिजली लगाने का योजना प्रतिवेदन पेश किया है। योजना प्रतिवेदन पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में विचार किया गया है जिससे उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकें। राज्य विद्युत बोर्ड से उत्तर मिल जाने के बाद और आगे कार्यवाही की जायेगी। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में तपेदिक के रोगी

919. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सर्वेक्षण परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय तपेदिक के कितने रोगी है;

(ख) तपेदिक के उन रोगियों के उपचार के लिये केन्द्र ने राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता दी है ; और

(ग) उन रोगियों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) कुल रोगियों का पता नहीं है तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण नहीं किया था। परन्तु पंजाब, पेप्सु, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, तथा मथुरा जिलो वाले दिल्ली ज़ोन का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने सर्वेक्षण किया था जिससे पता लगा कि एक्सरे से मालूम हुआ है कि जनसंख्या का लगभग 1.4 से 1.7 प्रतिशत तपेदिक रोगग्रस्त हैं तथा, इसका 25 प्रतिशत अथवा 4 हजार के 2.5 प्रतिशत को छूत से रोग हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार निम्न योजनाओं के लिये राज्य सरकारों की सहायता करती हैं :

(1) बी० सी० जी० टीका आन्दोलन।

(2) तपेदिक क्लिनिकों की स्थापना।

(3) तपेदिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

(4) चलती फिरती एक्सरे यूनिटों की स्थापना।

(5) तपेदिक आइसोलेशन पलंगों की व्यवस्था।

(6) तपेदिक विरोधी औषधियों की सप्लाई।

अनावर्तक व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र की सहायता होती है तथा आवर्त्तक व्यय का 50 प्रतिशत उपरोक्त योजनाओं के लिये केन्द्र सहायता होती है। निम्नलिखित अधिकतम सीमा का 75 प्रतिशत भवन निर्माण का केन्द्रीय अंश होता है :—

(1) तपेदिक क्लीनिक—95,000 रुपये प्रतिक्लीनिक।

(2) तपेदिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र—2,25,000 रुपये प्रति केन्द्र।

केन्द्रीय स्टेशनरी ऑफिस कलकता में आग लगना

920. **(श्री ही० ना० मुखर्जी)** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के केन्द्रीय स्टेशनरी आफिस द्वारा हावड़ा में किराये पर लिये गये गोदाम में आग लगने के कारण बहुत नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) क्या नुकसान के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि हावड़ा का उक्त गोदाम अनुपयुक्त हैं; और

(ङ) अच्छे भाण्डार की व्यवस्था करने के लिये क्या क़दम उठाये गये ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचंद खन्ना) : (क) से (ग) इस गोदाम में कोई आग नहीं लगी है।

(घ) और (ङ) क्योंकि यह गोदाम कागज़ रखने के काबिल नहीं है इसलिये इसको यथा संभव शीघ्र छोड़ देने की प्रस्ताव है।

तपेदिक हेल्थ विजिटर्स कोर्स

921. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी की :

(क) क्या भारत की तपेदिक संस्था ने नई दिल्ली में तपेदिक हल्थ विजिटर्स कोर्स संगठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कोर्स का विवरण क्या है ; और

(ग) किन स्थानों पर प्रशिक्षण कोर्स चालू करने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) भारत की तपेदिक संस्था 1939 से तपेदिक के लिये हैल्थ विजिटर्स का प्रशिक्षण कोर्स पढ़ा रही है। 1959 में सिलेबस का पुनरीक्षण उस समय किया गया था जब दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता का पुनरीक्षण किया गया था। उस समय अर्हता मैट्रिक से इन्टरमीडिएट कर दी गई थी। पाठ्यक्रम की अवधि नौ महिने से एक वर्ष कर दी गई थी।

कोर्स की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :

(1) एक वर्ष की कुल अवधि में से 9 महीने सैद्धान्तिक प्रशिक्षण होता है तथा शेष तीन महीने नई दिल्ली के तपेदिक के अस्पताल में व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षार्थियों को एनाटोमी फिजियोलाजी, फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, हाइजीन, छूत के रोग, अर्थशास्त्र, सामाजिक कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, न्यूट्रीशन, गृह-प्रबन्ध, लोक स्वास्थ्य प्रशासन आदि का सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) कोर्स में दाखिले के लिये विज्ञान में इंटरमीडिएट तथा/अथवा मैट्रिक हाइजीन-फिजियोलाजी से न्यूनतम अर्हता रखी हुई है। हिंदी की कार्यकरण जानकारी आवश्यक रखी गई है। उन लोगों के मामले में अर्हता में छूट दे दी गई है जो नर्सिंग, कम्पाउन्डिग, मैटरनिटी तथा चाइल्ड वेल्फेयर, हैल्थ विजिटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त हों परन्तु इन मामलों में भी न्यूनतम शिक्षा अर्हता मैट्रिक अथवा उसके बराबर ही होनी चाहिए।

(3) पुरुष तथा महिलाओं को एक जैसा ही प्रशिक्षण दिया जाता है परन्तु महिलाओं को मान्यता दी जाती है।

(4) उन अभ्यार्थियोंको मान्यता दी जाती है जो तपेदिक संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं, औद्योगिक संगठनों, रेलवे तथा राज्य सरकारों से संबद्ध हों तथा जिनको प्रशिक्षण मिलने पर नौकरी मिल जाने का आश्वासन मिल गया हो।

(5) प्रशिक्षण निःशुल्क मिलता है परन्तु अभ्यार्थियों अथवा उनको भेजने वाले अधिकारियों को दिल्ली तथा कसौली में उनके निवास का खर्च देना होता है।

(6) जो लोग नियुक्त है उनको अपने नियुक्तकों के द्वारा अपने आवेदनपत्र भेजने चाहिए तथा उनको इस बात का प्रमाणपत्र भी मिलना चाहिए कि अभ्यार्थियों को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी मिल जायेगी तथा उनको इस अवधि का वेतन मिल जायेगा।

(ग) अध्यापन अवधि तथा जिन स्यानों पर अध्ययन होगा उनका विवरण नीचे दिया जाता है :—

(1) एक महीना	नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली
(2) सात महीने	नई दिल्ली तपेदिक केन्द्र
(3) एक महीना	लेडी लिनलिथगो सैनेटोरियम, कसौली
(4) तीन महीने	व्यावहारिक कार्य, नई दिल्ली तपेदिक केन्द्र।

ग्रामीण जल संभरण योजनायें

922. श्री उइके :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री वाडीवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये क्रियान्विति से पहले केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि मध्य प्रदेश में योग्य लोक स्वास्थ्य इंजिनिअर उपलब्ध हैं, क्या सरकार इस प्रक्रिया को समाप्त करने की सुकरता के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल-सम्भरण तथा सफा कार्यक्रम और स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नलों द्वारा जल-सम्भरण योजनाओं काम करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है। यह नियम सभी राज्यों पर लागू होता है अतः मध्य प्रदेश को अपवाद स्वरुप नहीं माना जा सकता है।

फोर्ड फाउन्डेशन

923. **श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फोर्ड फाउन्डेशन ने अब तक कितनी धन-राशि व्यय की है ; और

(ख) सरकार इस संस्था के कार्यकलापों पर नियंत्रण कैसे रख रही है ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) फोर्ड फाउन्डेशन ने भारत में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिये 1951 से जनवरी, 1964 तक की अवधि में 6 करोड़ 80 लाख डौलर (32.3 करोड़ रुपये) अनुदान के रुप में स्वीकृत किये हैं। इन अनुदानों पर वास्तव में जो व्यय हुआ उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) फोर्ड फाउन्डेशन विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान मंजूर करने से पूर्व भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करता है। सहायता से चलने वाले कार्यक्रमों की क्रियान्विति का उत्तरदायित्व फाउन्डेशन पर नहीं अपितु सहायताप्राप्त संस्थाओं पर है।

Hindustan Housing Factory

924. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya** : will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Housing Factory purchased defective timber and thereby Government had to suffer a loss amounting to Rs. 4,40,930; and (b) if so, the reasons therefor and the action taken or proposed to be taken against the persons responsible for this deal ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehar Chand Khanna) : (a) No, Sir. The Hindustan Housing Factory Limited had received timber worth Rs. 4,40,930 during the period December 1959 to February 1960, against an order placed on its behalf by the Director General of Supplies & Disposals with the Chief Conservator of Forests, Jammu & Kashmir. On the basis of actual utilisation of timber, the Factory incurred a loss of Rs. 11,440.

(b) The loss was mainly due to the supply of inferior limber. Disciplinary action was taken against the officer of the factory concerned and his services were terminated by the management.

पिछड़े हुए क्षेत्रों का आर्थिक विकास

925. **श्रीमति ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुए विशेष एवं विचित्र समस्यायें जो कचार, जिला मिजो, उत्तरी कचार की पहाड़ियों और आसाम के जोवाई उप-खण्ड तथा मनीपुर व त्रिपुरा के पार्श्ववर्ती राज्य-क्षेत्रों में हैं, क्या सरकार इन से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सैनिक महत्व के पिछड़े हुए क्षेत्र का शीघ्र व समेकित आर्थिक विकास के लिये विशेष उपाय काम में लाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रेरणा पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहाड़ी तथा सीमा-क्षेत्रों के छोटे छोटे नगरों की समस्याओं व आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने अपनी सिफारिशों पर अन्तिम रुप से विचार कर लिया है और वे शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देंगे। समुचित कार्यवाही हेतु समिति की सिफारिशें सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी जायेंगी।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त केन्द्रीय पहाड़ी विकास मंत्रणा समिति भी पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

हरदुआगंज तापीय विद्युत् स्टेशन

926. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज में रुसी सहायता प्राप्त एक 100 मेगा वाट तापीय स्टेशन स्थापित करने के लिये रुसी व्यापार संघटन और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने रुस के मेसर्स मैकिनोक्सपोर्ट के साथ हरदुआगंज में 'बी' स्टेशन स्थापित करने के लिये दिनांक 5-11-64 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस रुसी व्यापार समझौता व्यवस्था के अनुसार पूरी संयत्र व अपेक्षित उपकरण, जिनमें बोइलर,

स्विचगियर इत्यादि भी सम्मिलित हैं, 50 मेगावाट क्षमता के दो एककों में सप्लाई किये जायेंगे जिसके लिये 5.56 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। मुख्य उपकरण 1965 के अन्त तक पहुच जायेगा। इसके अतिरिक्त, हरदुआगंज बिजली स्टेशन में वर्किंग ड्राविंगज् (Working Drawings) की सप्लाई के लिये भी समझौता पर हस्ताक्षर किये गये है। इसके लिये 15.75 लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और इस उपकरण की स्थापना में रुसी विशेषज्ञों की तकनिकी सहायता की जो आवश्यकता होगी उसके लिये 7.4 लाख रुपये विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी। इन दोनों समझौतों पर रुसो व्यापार-समझौता-व्यवस्था के अधीन हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अनुसार भुगतान भारतीय अपरिवर्तनीय मुद्रा में किया जायेगा और रुसी अधिकारी इस धनराशि का उपयोग भारतीय सामान खरीदने के लिये करते हैं।

ग्रामीण उद्योग अग्रिम परियोजना

927. **श्री हेमराज** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधिमें कितने ग्रामीण उद्योग अग्रिम परियोजनायें चालू की गयी और यें परियोजनायें किन-किन राज्यों और जिलों में किस किस वर्ष खोली गयी ;

(ख) उनमें काम की क्या प्रगति हैं ;

(ग) क्या पंजाब सरकार से कोई आभ्यावेदन, कागड़ा जिले में पालमपुर परियोजना के अनुदान में विशेष वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) योजना आयोग ने तृतीय योजना अवधि 1962-63 में कुल 45 ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं को प्रायोजित किया। ये परियोजनायें 15 राज्यों तथा 4 केन्द्रीय राज्य-क्षेत्रों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मनीपूर, त्रिपुरा और गोआ में हैं। इन परियोजनाओं के नाम राज्यों व जिलों सहित सूची में दिये गये हैं जो सदन-पटल पर रखी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गई है। देखिये संख्या एल टी—3534(I)/64]** ।

परियोजना सम्बन्धित क्षेत्रों में विकाश कार्यक्रम बनाने से पूर्व हर क्षेत्र में विकास के उपलब्ध संसाधन एवं सम्भाव्य संसाधनों का निर्धारण करने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया जिसके आधार पर कार्यक्रम बनाये गये। ये सर्वेक्षण जून–जुलाय, 1963 में पूरे हुए। इन सर्वेक्षणों के आधार पर बनाये गये कार्यक्रमों में दो-तीन महिने और लग गये और विभिन्न परियोजनाक्षेत्रों में ये विभिन्न योजनाओं का कार्य केवल वित्तीय वर्ष 1963-64 के अन्तिम चौथाई भाग से वास्तविक रुप में क्रियान्वित हुआ। अधिकांश परियोजना क्षेत्रों में लगभग छः महिने से कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है अत: उनकी प्रगति को अभी नहीं आंका जा सकता है। तथापि, सितम्बर, 1964 हुई ग्रामीण उद्योग परियोजना सम्बन्धी तृतीय सम्मेलन के विचारार्थ अधिकांश परियोजनाओं की स्थिति का मार्च 1964 तक पुर्नविलोकन करने के उद्देश्य से संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार की गयी थी जिनकी एक प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है। **[देखिये एलटी 3534(II)/64]** ।

पंजाब सरकार से पालमपुर परियोजना के लिये अनुदान में विशेष वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन नही मिला है।

आसाम में ट्रकोमा

928. **श्रीमति रेणुका बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में 1963-64 की अवधि में ट्रकोमा (रोहे, कुकरे) का उन्मूलन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) आसाम में 1963-64 की अवधि में राष्ट्रीय ट्रकोमा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत काम नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

नगर सामुदायिक विकास परियोजनायें

929. **श्री वी० च० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना की शेष अवधि में 40 नगर सामुदायिक विकास परियोजनाओं को अग्रिम आधार पर चालू करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

Gold Smuggling

930. **Shri Ram Harakh Yadav :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the customs authorities at Santa Cruz airport seized gold worth Rs. 1,00,000 from a Hyderabad bound passenger by an I.A.C. flight on the 8th November, 1964; and (b) whether an investigation has been made into this matter and if so, the outcome thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Approximately 8·4 Kgms. of gold valued at the international rate at about Rs. 45,000 were seized on 8-11-64, by the Customs authorities at Santa Cruz airport, from a Hyderabad bound passenger by an I.A.C. flight. The market value of the seized gold is approximately Rs. 93,000.

(b) Investigations made so far reveal that three other persons were also involved in this case. All the four persons are being prosecuted and further investigations are in progress.

संसद के भूतपूर्व सदस्यों पर किराये की बकाया धनराशि

931. **श्री हेम बारुआ** : क्या निर्माण तथा आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भूतपूर्व संसद-सदस्यों नें 98,877 रुपये की धनराशि गृह-भाटक के रुप में देनी है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सदस्य हैं जिनकी तरफ़ यह धनराशि बकाया है; और

(ग) सरकार ने अबतक इस धनराशि को वसूल करने के लिये कौन से विशिष्ट कदम उठाये है और उनके परिणाम क्या हैं?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) और (ख) यह एक लम्बी सूची है, उनकी संख्या लगभग 400 है ।

(ग) सम्बन्धित भूतपूर्व सदस्यों के अन्तिम प्राप्य धनराशि से भाड़े की बकाया रकम की वसूली के लिये लोकसभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को सूचित किया गया है । अन्तिम प्राप्य धनराशि से यदि वसूली सम्भव न हो, तो भूतपूर्व सदस्यों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान के सम्बन्ध में पत्र लिख दिये गये हैं, जो भूतपूर्व सदस्य किसी राज्य विधान-मण्डल में सदस्य हो गये हैं, उनके विधान-मण्डल के सचिवालय से निवेदन किया गया है कि वे उनके वेतन तथा भत्ते से वसूली करें । यदि ये प्रयास सफल न हुये, तो वसूली के लिये यथा सम्भव कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

अविलंम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) गांधि हत्याकांड के अपराधियों की रिहाई

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मैं गृहकार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

गांधीजी के हत्यारों की तिहाड़ जेल से रिहाई से सबंधित तथा रिहाई के कारणों के तथ्य

गृहकार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महोदय, मेरा ध्यान एक समाचार की ओर जो समाचार पत्रों में कुछ दिन हुए प्रकाशित हुआ था और जो उस वक्तव्य के बारे में है जिसे, ऐसा बताया जाता है, कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने राज्य कांग्रेस विधानमंडल की एक बैठक में गोपाल विनायक गोडसे और विष्णु करकरे की रिहाई के बारे में दिया है, आकर्षित किया गया है । हमने महाराष्ट्र सरकार को लिखा है कि वे हमें उस वक्तव्य की, जो उनके मुख्यमंत्री ने ऐसा बताया जाता है, दिया है, एक प्रतिलिपि भेजें और इसकी प्रतीक्षा है ।

जेल मैनुअल में एक सांविधिक नियम के अनुसार, एक आजन्म कारावास के अपराधी को साधारणतया जेल से उस समय रिहा किया जाना चाहिये जब वह दण्ड में दी गई छूटों सहित 20 वर्ष के कारावास की अवधि पूरी कर चुके । 31-1-1963 तक गोडसे ने 8 वर्ष, 10 महिने और 26 दिन की कुल छूट अर्जित कर ली थी और करकरे ने 8 वर्ष, 9 महिने और 6 दिन की कुल छूट अर्जित कर ली थी । उनकी रिहाई की तारिख, अर्थात् 13-10-1964 तक उनकी दण्ड में छूटों को शामिल करते हुए गोडसे और करकरे क्रमशः 24 वर्ष, 7 महिने और 24 वर्ष, 5 महिने से अधिक की दण्ड की अवधि भुगत चुके थे । उस 20 वर्ष के नियम के अनुसार उनकी रिहाई का आदेश देने में भारत सरकार ने उन रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया था जो महाराष्ट्र सरकार से समय समय पर प्राप्त होती रही थी ।

रिहाई की तारिख से 5 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार तथा दूसरे राज्यों को एक तार भेजा गया था जिसमें उन्हें इन बंदियों को रिहा करने के हमारे निर्णय की सूचना दी गई थी । महाराष्ट्र सरकार के गृह सचिव को भी हमारा यह निर्णय टेलीफोन पर बता दिया गया था ।

इस सम्बन्ध में मैं उस चिन्ता का भी जिक्र कर दूं जिसे बहुत से माननीय सदस्यों ने केतकर के वक्तव्य पर कि उसे गोडसे के गांधीजी की हत्या करने के इरादे के बारे में पहले से जानकारी थी और उसने यह सूचना तत्कालीन मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र को दे दी थी, स्वभावतः व्यक्त की है । मैंने सदन को बताया था कि मामले के इस और इससे सम्बंधित पहलुओं में पूंछ ताछ की जायेगी । सरकार ने निर्णय किया है कि कानूनी मामलों के भली प्रकार जानकर किसी प्रख्यात व्यक्ति को इस पूंछ-ताछ करने को कहा जाये ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। गृह-कार्य मंत्री एक ओर तो कहते है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के तथ्यों के बारे में वह मुख्य मंत्री से सम्पर्क बनाये हुए हैं और दूसरी ओर वह कहते है कि पांच दिन पहले इन अपराधियों की रिहाई के बारे में उनकी बातचीत महाराष्ट्र के गृह सचिव से हुई थी। उन्होंने सभा को यह नहीं बताया कि मुख्य मंत्री ने सरकार को क्या सलाह दी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : यह सराहनीय बात है कि गृहकार्य मंत्री ने मामले की विस्तारपूर्वक जांच करने का आश्वासन दिया है किन्तु क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि जेल मेनुअल में संविहित नियम का जिसका उल्लेख मंत्री महोदय में किया है, निर्वचन करके उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आजन्म कारावास का अर्थ 18 वर्ष अथवा 20 वर्ष नहीं होता है ?

श्री नन्दा : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि सरकार चाहे तो वह अपराधी को और अधिक समय तक कारावास में रख सकती है। किन्तु वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य विहित अधियम वही है जो मैंने वक्तव्य में बताया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : गोडसे द्वारा उच्चतम न्यायालय में दी गई याचिका का सरकार ने कुछ विशेष कारणों विरोध किया था और न्यायालय संविहित नियम का निर्वचन करने को कहा था। न्यायालय ने निर्णय में कहा कि आजन्म कारावास का अर्थ जीवन भर कारावास का दंड होता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : क्या यह सच है कि गोडसे ने गृहकार्य मंत्री से पत्र व्यवहार किया था कि वह रिहा होने के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे ?

श्री नन्दा : जी, नहीं।

श्रीमती भद्रा जोशी (बलरामपुर) : चूंकि गांधी हल्ला के मामले के अधिकांश अपराधियों का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसवक संघ तथा हिन्दू महा सभा से था, अतः क्या सरकार इन संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रख रही है और महाराष्ट्र सरकार से उनकी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट मांग रही हैं ?

श्री नन्दा : मैं इस मामले में संस्थाओं को बीच में नहीं लाना चाहता हूं। संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिगत जांच की जा रही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**) : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत 30 जून, 1964 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के औद्योगिक वित्त निगम के डायरेक्टरों के बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन की, निगम आस्तियों और दायित्वों तथा लाभ-हानि लेख के विवरण सहित, एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3529/64]

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1964 का संशोधन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री हाथी की ओर से अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 14 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1611 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3530/64)।**

केन्द्रीय बिक्री-कर नियमों आदि मे संशोधन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित अधिसूनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन तथा बिक्री) नियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाली, दिनांक 14 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1619 द्वारा शुद्ध की गई, दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1356।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत दिनांक 14 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1616 में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1964।

(तीन) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत दिनांक 21 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1641।

(पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3531/64)

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक—जारी

MINERAL OILS (ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE AND CUSTOMS AMENDMENT BILL)—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा खनिज तेल (उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : अध्यक्ष महोदय कल मे अपने भाषण मे कह रहा था कि पेट्रोल पर भारी कर लगे हुए हैं। बिना कर लगाये पेट्रोल की लागत 84 पैसे प्रति गैलन पड़ती है किन्तु बिक्री-कर तथा अन्य शुल्क लगाये जाने पर यह लागत 2.14 रुपये प्रति गैलन हो जाती है। इसके परिणाम स्वरुप भारत में मोटर गाड़ियों के पेट्रोल इंजनों का निर्माण प्रायः बन्द हो गया है। पेट्रोल पर शुल्क की दर तो बहुत अधिक है किन्तु मोटर गाड़ियों आदि के मालिकों को उसके अनुरूप लाभ नहीं होता है।

सड़क परिवहन के मामले में गुजरात राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। 19 दिसम्बर 1964 के 'आर्गनाइजर' में प्रकाशित लेख को पढ़ने से राज्य के सड़क परिवहन में पिछड़े पन का चित्र स्पष्ट हो जाता है। नागपुर योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सड़क परिवहन के मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि गुजरात राज्य को सड़क परिवहन विकास के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिए।

6—2 Lok Sabha/65

[श्री नरेन्द्र सिंह महीडा]

रेल परिवहन से केन्द्रीय राजकोष को 31 करोड़ रुपये की आय होती है जब कि सड़क परिवहन से 260 करोड़ रुपया प्राप्त होता है जो सड़क निर्माण पर होने वाले कुल व्यय का दुगुना है। इससे यह साबित होता है कि सड़क परिवहन पर आवश्यकता से अधिक कर लगाये गये हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि सड़कों के विकास कार्य पर अधिक धन व्यय किया जाना चाहिए।

Shri Bade (Khargone) : Mr. Speaker, the Bill under discussion appears to be very simple and non-controversial. It would have been better if the duty on kerosene oil had been reduced. Diesel oil is used in tractors and for other purposes in rural areas. But unfortunately it is very costly and sometimes sold in the black market.

The Bill seeks to enhance the existing ceiling rates adequately in respect of the mineral oil products already covered by the Act, at the same time, provision is also made for levy of additional duties on certain other petroleum products. It clearly shows that Government want to bring some other new products under the purview of the Bill.

In spite of the assurance given by the Government for a certain percentage of profit, the foreign oil companies have adopted very objectionable attitude in the country. They are retrenching their employees on the plea that they are not earning any profit. These oil companies should be asked not to retrench the Indian staff working under them if they really want any guarantee from the Government.

I conclude with the words that revenue collected by way of excise on kerosene oil, diesel oil, petrol etc. should be used for the purposes of development of roads in the country.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह ठीक है कि सरकार को करों द्वारा धन वसूल करना चाहिये किन्तु अन्याधिक कर लगाना अनुचित है। मैं विशेषरुप से यह कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल, मोटर स्प्रिट तथा डीजल तेल पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगाने से इनके मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। जिससे जन साधारण को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इन वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिये कदम उठाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता को लाभ हो सके। प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का प्रयोग खाना पकाने तथा प्रकाश के लिये निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकी है तथा जलाने की लकड़ी की कमी है। अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मिट्टी के तेल के मूल्य में कमी की जाये।

शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच परिवहन का एक मात्र साधन बसें ही हैं। यद्यपि शहरों में और भी अन्य कई परिवहन के साधन हैं किन्तु भारत जैसे विशाल देश को देखते हुए उनकी संख्या बहुत कम है और इनका प्रयोग करना बहुत महंगा पड़ता है, अत: देश की अधिकांश जनता बसों का ही प्रयोग करती है। चूंकि बसों मे डीजल तेल का प्रयोग होता है, अत: इस पर शुल्क में कमी करना जनता के लिये काफी सीमातक सहायक सिद्ध होगा।

श्री० नारायण दांडेकर (गोंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। प्रस्तुत विधेयक विवादरहित है क्यों कि यह मूल अधिनियम के सिद्धान्तों के अनुरुप है। देश की वर्तमान वित्त संबंधी आवश्यकताओ को देखते हुए यह सर्वथा उचित है कि मूल्य कम करने से प्राप्त लाभ उपभोक्ताओं अथवा विक्रेताओं को मिलने के बजाय सरकारी राजस्व में जानी चाहिए।

देश में सड़क परिवहन व्यवस्था देश की विशालता को देखते हुए अपर्याप्त है। सड़क परिवहन से राजस्व तो पर्याप्त मात्रा में एकत्र होता है किन्तु सड़कों के विकास की ओर कम ध्यान दिया जाता है। विशेष रूप से गुजरात में सड़क परिवहन का बहुत कम विकास किया गया है। अत: मेरा अनुरोध है कि सड़क निधि में जमा धन का उपयोग मुख्यत: सड़कों के विकास के लिये ही किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लागू हो जाने पर सरकार को काफ़ी राजस्व प्राप्त होगा। सरकार को इस आय से सड़कों का विकास करना चाहिए।

Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : I am very happy that all the honourable members have accepted this Bill. I will deal with one or two things put forward by the honourable members.

It has been stated that the income received by way of additional duties may be spent on the development roads. This may be in the whole of the country or in the State of Gujarat alone. There is a Roads' Fund, and out of the income a portion goes into it also. Though good amount of money is needed for the development of roads, still it is not proper to spend the whole amount of this fund on road development, the whole amount goes to the Consolidated Fund of India and it may be utilized in any way.

It has been stated that taxes have been increased. It is true that taxes have been increased due to the Budget Policy. The increase rates are fractional and it is not possible to give much to the Consumers. It is just possible that the situation may change, but at present, there is scope in this matter.

अध्यक्ष महोदय : जो तर्क अब किये जा रहे यह बजट के समय प्रस्तुत की जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या प्राकृतिक गैस को भी इस में शामिल किया गया है।

श्री ब० रा० भगत : नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं परन्तु कच्चे पट्रोल के सभी उत्पाद इसमें शामिल कर लिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 5 तक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1 से 5 तक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 to 5, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Motion is adopted.

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक

FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL, 1964

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 में अग्रेतर संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

विधेयक के उपबन्ध इस लिए अवश्य है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति उसी प्रकार कठिन है जिस तरह कि पहिले थी। 1957 को भी मैं इस दिशा में हो रही कमी हो पूरा करने के उद्देश्य से सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। उस समय इस विधेयक को स्थायी रूप से बनाया गया, क्योंकि विचार यह था कि मामला काफी देर चलेगा। हम काफी देर कमी की स्थिति में हो रहे और शायद हमें अभी कुछ देर और भी इसी स्थिति में रहना पड़े। जो संशोधन किये जा रहे है उनका उद्देश्य यह है कि जो कमियां हमें दिखाई दी है उनको दूर किया जाय और विधि को कार्यान्वित करने के लिए मशीनरी तेज की जाय।

भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति खराब हो रही है। भारत मूल के जो लोग देश से बाहर रहते थे वे इस दिशा में काफी सहायक थे, परन्तु अब यह साधन भी हाथ से जाता दिखाई देता है। मलाया से हमने 1956-57 में 18.9 करोड़ रुपया और 1957-58 में 17.4 करोड़ रुपया प्राप्त किया। 1958-59 में मलाया से आने वाली राशि 12 करोड़ थी और 1959-60 में यह 10.6 करोड़ थी। 1960-61 में 4.7 करोड़ थी और 1961-62 में यह 3.1 करोड़ हो गयी। इस तरह से स्पष्ट है कि राशि निरन्तर कम हो रही है और यह साधन प्रायः समाप्त हो रहा है। विभिन्न साधनों के कम हो जाने के विभिन्न कारण है। वैसे अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के सौदे करने अवैध है और इसे अपराध के रूप में लिया जाता है।

आज जो व्यवस्था है उसके अनुसार कोई भी भारतीय निवासी रक्षित बैंक की अनुमति प्राप्त किये बिना गैर निवासी को अपनी सम्पत्ति नहीं बेच सकता। परन्तु यह उपबन्ध 'वसीयत' अथवा उपहार के रूप में दी गयी सम्पत्ति पर लागू नहीं होता। यह सब कुछ होते हुए भी अब ऐसा समय आ गया है जबकि गैर-निवासियों की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सभी मामलों का विनियमन किया जाये तथा 'वसीयतों' तथा उपहारों के संबंध में किये जाने वाले अन्तर को समाप्त किया जाये।

हम अपने औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक विदेशी विनियोजन का स्वागत करते हैं। जब भारत में निगमित समवाय को किसी गैर निवासी को शेयर जारी करना चाहे, तो उसको विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है। इस व्यवस्था के द्वारा विदेशी पूंजी का विनियोजन उन क्षेत्रों के उद्योगों के लिये किया जाता है, जिनको इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है परन्तु यदि कोई समवाय भारतीय कानूनों के अधीन कम्पनी निगमित न करके व्यापार तथा विपणन कार्य करना आरम्भ करता है तो उसको हमारे कानूनों के अन्तर्गत अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विनियमों में यह एक स्पष्ट त्रुटि है, और इस कमी को पूरा करने के लिये यह उपबन्ध करने का विचार किया गया है कि भारत में निगमित वह समवाय, जिस पर भारत में न रहने वाले लोगों का नियन्त्रण हो, वह रिजर्व बैंक की अनुमति लेकर ही व्यापारिक तथा वाणिज्यिक कार्य करने के लिय अभिकर्ता अथवा सलाहकार के रूप में काम कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी के प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य हमारी व्यवस्था को मजबूत बनाने का है। उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले मामलों की संख्या, जो प्रवर्तन निदेशालय में 1960 में 1700 दर्ज हुए थे बढ़कर 1963 में अनुमानतः 3500 हो गये हैं। इनकी आशा से अधिक केवल संख्या ही आशातीत नहीं बढ़ी, अपितु मामले भी बहुत अधिक गम्भीर हो गये हैं। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय को सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पुलिस तथा अन्य सरकारी विभागों की पूरी सहायता मिलनी चाहिये।

प्रवर्तन निदेशालय कानून के किसी उल्लंघन की प्रभावकारी ढंग से जांच कर सके, इसके लिये यह प्रस्ताव किया गया है कि इन अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिकारियों के समान शक्तियां दी जायें, अर्थात् गिरफ्तार करने, लोगों से पूछ ताछ करने उन्हें बुलाने और उनके साक्ष्य आदि को रिकार्ड करने की शक्ति दी जाये।

प्रवर्तन निदेशक के फैसलों के विरूद्ध की गई अपीलों की सुनवाई अपीलीय बोर्ड करता है, जिस में एक अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य होता है। अपीलीय बोर्ड के गठन में परिवर्तन किया जा रहा है। अब इस बोर्ड में कुल तीन व्यक्ति होंगे, ताकि ऐसी स्थिति का समाधान हो सके जिसमें बोर्ड के सदस्य एक दूसरे से सहमत न होते हों।

बोर्ड के फैसलों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का भी उपबन्ध किया जा रहा है। परन्तु अपील केवल कानूनी बातों के आधार पर ही की जा सकेगी। कानून के अन्तर्गत उपबन्धित दण्ड तब तक प्रभावकारी नहीं होंगे जब तक समाज में ऐसी धारणा नहीं बनायी जाती कि अपराधी कलंक के पात्र हैं। इसलिये यह उपबन्ध किया गया है कि निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए कानून का उल्लंघन करने वाले दोषी लोगों के नाम तथा अन्य संबंधित बातें प्रकाशित की जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मुझे इस बात का हर्ष है कि यह विधेयक लाया गया है। उद्योगों के लिए भी यह जरूरी है और साथ ही इस लिए भी कि कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजना चाहते हैं इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकतायें भी है। विधेयक में जो प्रस्ताव किया गया है वह समूचे रूप में हितकारी है। तथापि सरकार की अपनी कुछ गतिविधियां भी ऐसी है जिनकी जांच वित्त मंत्रालय द्वारा, विशेषकर रक्षित बैंक द्वारा की जानी चाहिए, वाणिज्य मंत्रालय की गतिविधियों के दो पहलूओं का, जिनमें विवेक की अपेक्षा जोश का अधिक संकेत मिलता है किसी दूसरे प्राधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए अथवा उसके द्वारा मंत्रणा दी जानी चाहिए और वह ब्राह्य प्राधिकार वित्त मंत्रालय अथवा रक्षित बैंक हो सकता है।

पहली बात निर्यात संवर्धन संबंधी प्रोत्साहनों की है निर्यातकों को अपने निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये निर्यात से होने वाली आय का एक भाग आयात करने के लिये दिया जाता है और उसके लिये बड़ी छीना झपटी होती रहती है तथा इन निर्यातों से वे बड़ी मात्रा में लाभ कमाते हैं। अतः इन प्रोत्साहनों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा बाजार में रूपये का मूल्य कम हो जाता है, और यह एक प्रकार से रूपये का अवमूल्यन है।

दूसरा प्रश्न राज्य व्यापार के संबंध में है। अब समय आ गया है जब कि रिजर्व बैंक तथा आर्थिक मामलों सम्बन्धों विभाग को, इन पैदा होने वाली प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देना चाहिए, अर्थात जब कभी भी निर्यात अथवा आयात की कुछ गुंजाइश होती है, तो राज्य व्यापार बीच में आकर एक प्रकार का सापेक्ष एकाधिपत्य सा बना लेता है और रूपयों में भूगतान करने वाले देशों के साथ रूपये में व्यापार करने के बहाने से सारा मामला समझ से बाहर हो जाता है। रूपये में व्यापार आकर्षक व्यापार प्रतीत होता है परन्तु रूपयों में भूगतान करने वाले देशों में भारतीय माल में बड़ी कमियां निकाली जाती है और खुले विदेशी एक्सचेंज बाजार में वह माल कम मूल्य में बेचना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप गैर-साम्यवादी यूरोपीय देशों में भारतीय माल को घाटे से बेचा जाता है और हमें विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ती है। राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले निर्यात का, चाहे यह रूपये की शर्तों पर हो, विदेशों में भारतीय माल के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशों के साथ होने वाले व्यापार के संबंध में राज्य व्यापार की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप हमारे देश को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

[**Mr. Deputy Speaker** in the chair]

[श्री नारायण दांडेकर]

भारत में जो नियंत्रित अभिकरण हैं, अर्थात जिनका वास्तव में विदेशों से नियंत्रण होता है, चाहे भारत में एक शाखा के रूप में अथवा भारत में सहायक सार्थ के रूप में, अथवा ऐसी नियंत्रित फर्म के रूप में, जिसके निदेशक विदेशी सार्थ द्वारा नियुक्त किये जाते हैं अथवा भारत में एक कम्पनी के रूप में, जिसके निदेशकों पर विदेशी कम्पनी का नियंत्रण है, उनको नियंत्रण के अधीन लाने का विचार किया गया है।

हो सकता है कि किसी विदेशी समवाय का भारत में सहायक समवाय अथवा अभिकरण स्थापित हो, जो अपने उत्पादन के अतिरिक्त, भारत में अपनी मूल कम्पनी का विक्रेता अभिकरण भी हो सकता है। वह भारत में, विभिन्न भारतीय सार्थों का प्रबन्ध संबंधी अथवा तकनीकी मंत्रणा देने के लिये मूल समवाय के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसके लिए यह आश्वासन देने की आवश्यकता है कि वर्तमान व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्यमान व्यवस्था में उथल पुथल होने से विदेशों के लोगों का विश्वास मिट जाएगा और परिणामतः लोगों के लिए नवीन व्यवस्था आरम्भ करना कठिन हो जाएगा।

निस्सन्देह विदेशी मुद्रा विनियमों का बहुत अधिक उल्लंघन हो रहा है। परन्तु जांच पड़ताल के दौरान तथा दण्डों के उन मामलों में बरती जाने वाली कठोरता को रोकना होगा, जिन मामलों में दोष केवल तकनीकी ढंग के हैं। इस प्रकार सरकार को उद्योग एवं व्यापार दोनों से ही बड़ा सहयोग प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सुझाओं को दोहराता हूं। मैं पूर्णतः इस विधेयक के पक्ष में हूं और इसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–केन्द्रीय) : मैं इस प्रकार के विधेयक पर प्रायः बोला नहीं करता, परन्तु कुछ ऐसे हालात है कि मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने पड़ रहे हैं। यह बात ठीक ही है कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर कमजोर हो रही है। यह भी सम्भव है कि आने वाले दस वर्षों में भी स्थिति यही चलती रहे। अतः इस दिशा की कूटयोजनाओं को रोकना ही पड़ेगा। इस मामले में मैं अपने मित्र श्री दंडेकर द्वारा कही हुई कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। उनका कहना है कि इस प्रकार के विधान से बड़े बड़े लोग घबरा उठेंगे। मेरे विचार में तो उन्हें घबराना ही चाहिए। हमनें देख लिया है कि यही वे लोग हैं जिनके हाथ में सब प्रकार से शक्ति केन्द्रित हो रही है। देश की सारी दौलत उनके हाथों में आ रही है। अतः अवैध बातों को रोका जाना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा को नष्ट होने से बचाया जाय।

यह एक ऐसा विधेयक है जिसे कि सदन के सभी वर्ग अपना समर्थन प्रदान कर रहे है, अतः मेरा निवेदन यह है कि सदस्यों को कुछ समय दिया जाय ताकि वे विधेयक का अध्ययन कर सकें ताकि सरकार के समक्ष लाभदायक सुझाव रखे जा सके। मैं यह सुझाव नहीं देता कि इसे प्रवर समिति के सपुर्द किया जाय। फिर भी मेरा कहना है कि इस तरह के विधेयक पर समिति में विचार होना चाहिए। चाहे यह समिति वित्त मंत्री की परामर्श दाना समिति ही क्यों न हो, यद्यपि परामर्शदान समितियों में कुछ विशेष रूप से हो नहीं पाता।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं निर्देश पदों द्वारा बंधा हुआ नहीं हूं। यदि माननीय सदस्य ऐसी जानकारी चाहते है जो प्रशासन के ब्योरे से संबंधित नहीं है तो मैं उन्हें वह जानकारी देने के लिए तैयार हूं और वे वहां पर चर्चा कर सकते है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार द्वारा सभा में बार बार कहा गया है कि आगामी वर्षों में ऋणों के भुगतान का भार बढता जायेगा और उस भार को कम करने के लिये विदेशी निजी पूंजी को प्रोत्साहन देना जरूरी है। परन्तु मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारे उद्योगों में अधिकाधिक मात्रा में विदेशी विनियोजन से कारखानों के चालू हो जाने के पश्चात् लाभांश के भुगतान के रूप में हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों पर और भी अधिक भार पड़ेगा और वह आगामी वर्षों में बढ़ता ही जायेगा। हाल में विदेशी

निजी पूंजी विनियोजन ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया है। इस लिये सरकार को अपनी इस नीति के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे विदेशी मुद्रा के साधन बढ़े तो हमें विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति में अवश्य ही कुछ परिवर्तन करना चाहिए। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से भुगतान संतुलन स्थिति को देखते हुए देश के लिए आगामी 10—20 वर्षों में उस भार को सहन करना संभव नहीं होगा। अधिकतर विदेशी सहयोग करारों में यह शर्त होती है कि बनाए जाने वाले सामान का निर्यात नहीं किया जा सकता। इस लिये यह आशा करना कि विदेशी पूंजी से विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी वास्तविकता नहीं है।

हमारे देश में सरकारी विचारधारा ऐसी बन गई है कि किसी भारतीय फर्म के लिये विदेशी सहयोग की योजना पेश किये बिना कोई उद्योग शुरू करना अथवा किसी उद्योग का विस्तार करना अब प्रायः असंभव हो गया है। विदेशी सहयोग प्राप्त करने से सरकार की दृष्टि में भारतीय फर्मों की प्रतिष्ठा अधिक हो जाती है। यहां तक कि भारत में अच्छी तरह जमे हुए उद्योगों को भी यह आवश्यकता पूरी करनी होती है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमें विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती है। परन्तु वित्त मंत्रालय को एक नीति के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि महत्वपूर्ण आर्थिक प्रक्रिकाओं द्वारा इस बारे में गम्भीर टिप्पणियां की गई हैं।

इन सहयोग करारों में विदेशियों का अपना स्वार्थ निहित है। वे भारतीयों को देखना तक नहीं चाहते। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्वकी स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब उन्हें स्थानीय सहायक उद्योगों के महत्व का पता लग गया है। विदेशी फर्में बाद में भुगतान की शर्तों पर मशीनें आदि बहुत अधिक मूल्य पर देती है जिसका हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति पर बाद में जा कर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बम्बई से निकलने वाले जुलाई 1964 के "इकानमिक वीकली" में एक विदेशी द्वारा लिखे गये एक लम्बे लेख में ऐसे बहुत से उदाहरण दिये हुए हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी फर्में इन सहयोग करारो द्वारा बहुत अधिक राशि भारत से समेट कर ले जा रही हैं। तकनीकी जानकारी, उपकरणों, पेटेंटों आदि के रूप में बहुत अधिक राशि वसूल की जाती है। भारत के रक्षित बैंक द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण में भी यह कहा गया है कि भारत में पंजीयित कुछ कम्पनियां विदेशों से धन की बजाय उपकरण आदि आयात करती हैं और उसके बदले विदेशियों को कम्पनी में हिस्से दे देती हैं जिससे विदेशियों को बहुत अधिक लाभ होता है। पेटेंटों का अधिकार भी प्रायः विदेशियों के हाथों में ही होता है और वे कुछ बहुत बड़ी कम्पनियों तक ही सीमित हैं जिससे हमारे देश के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है और भारतीय लाइसेंसधारियों अथवा आयातकों से वे बहुत ही अधिक राशि वसूल करती हैं। जहां तक विदेशों में भारतीयों को प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है, इस बारे में कुछ देशों का रवैया कुछ और ही है। वहां पर भारतीयों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं की जाती है और इसकी बजाय उनका ध्यान मनोरंजन के साधनों की ओर आकृष्ट कर दिया जाता है। डिप्लोमा आदि प्राप्त करके जब वे भारत लौटते हैं तो उन्हें किसी परियोजना की कार्यान्वित के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है।

इस में कोई सन्देह नहीं कि सरकार ऐसे कई उपाय करती है जिस से भारत की अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार से हानि न पहुंचे परन्तु मैं उन का ध्यान एक विदेशी विद्यार्थी के लेख की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस लेख में वह विद्यार्थी लिखता है कि निस्सन्देह सरकार अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों के प्रति जागरूक है तथा उन को दूर करने के लिये पहले भी प्रयत्न करती रही है और अब भी करती है परन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि वह इस में बहुत सहनशीलता दिखाती है। इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार सहनशीलता दिखाने से तथा इस प्रकार की ढील बरतने से हम विश्व की अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से अंशदान देकर लाभ नहीं उठा सकेंगे।

अब मैं वित्त मंत्री का ध्यान विदेशी समवायों द्वारा अर्जित किये गये लाभों को देश से बाहर भेजने की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि इस पर रोक लगाई जाये क्योंकि ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा परन्तु सरकार को विदेशी सहयोग के समझोतों का भली प्रकार निरीक्षण करना चाहिये। विनियोग लेखे (इन्वेस्टमेंट अकाउन्ट्स) में कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहियें। ऐसी त्रुटियां लन्दन

[श्री० ही० ना० मुकर्जी]

मार्केट में निर्यात की हुंडियों को भुनाने में होती हैं। मेरा कहना यह है कि भारत के रक्षित बैंक को इस ओर ध्यान देना चाहिये विशेषकर जब कि यह अर्थव्यवस्था का विषय है।

इस के अतिरिक्त और भी कई कारण है जिस से हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है जैसे सोने, स्विस घड़ियों तथा अमरीकी सिग्रेटों का तस्कर व्यापार तथा निर्यात के बिलों का बीजक में कम तथा आयात के बिलों का बीजक में अधिक दिखाया जाना इत्यादि।

इस्पात तथा उर्वरक इत्यादि के उत्पादन लक्ष्य पूरे न होने के कारण उन की मांग की पूर्ति के लिये हमें 1000 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करने पड़ सकते हैं। इस के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी अतः उसे पूरा करने के लिये हमें अपने निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी करनी चाहिये तथा और भी विदेशी मुद्रा के साधनों को बढ़ाना चाहिये।

मैं वित्त मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि योजना के आरम्भ में ही पूरी होने वाली विद्युत परियोजनायें निर्धारित लक्ष्य तक पूरी क्यों नहीं हो पाई हैं। मेरे विचार से इस प्रयोजन के लिये दी गई विदेशी मुद्रा का उपयोग नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा का अभाव विद्युत् परियोजनाओं की अपूर्ति का कारण बताना गलत बात है क्योंकि उन पर पहले दी गई विदेशी मुद्रा का भी उपयोग नहीं हो पाया है। इस लिये और विदेशी मुद्रा को भोगने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि पहले दी गई राशि का ठीक उपयोग हो गया है तथा विद्युत् परियोजनाओं को स्थगितावस्था में नहीं रखा गया है।

एक और बात मैं विदेशी समवायों के व्यक्तियों के बारे में बाताना चाहता हूं। यदि उन से किसी नियम या विनियम का उल्लंघन हो जाये तो वे उस से डरते नहीं परन्तु प्रशासन पर प्रभाव डलवा कर उस मामले को समाप्त करवाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की बातों का समचारपत्रों से पता चलता है और क्योंकि ऐसे समाचारों का खण्डन नहीं किया गया है इस लिये वे सचे ही प्रतीत होते हैं। अब मैं कलकत्ते के एक ब्रिटिश समवाय के बारे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यावाही के बारे में बताना चाहता हूं। इस मामले पर दिल्ली के विशेष संवाददाता ने समाचार पत्र में एक प्रतिवेदन दिया था। उस में वह लिखता है कि जब समवाय को निर्णय के बारे में कुछ पता लगा तो उनका एक प्रतिनिधि दिल्ली में आया ताकि वह वित्त मंत्री को मिल सके परन्तु वित्त मंत्री ने उसे मिलने से इस लिये इन्कार कर दिया क्योंकि उनके पास पुर्नविचार के लिए मामला आना ही था। जब वह वित्त मंत्री को मिलने में असफल रहा तो उस ने अपने उच्चायुक्त को कहा कि वह प्रधान मंत्री को इस बारे में मिलें, परन्तु वित्त मंत्री ने पहले ही प्रधान मंत्री को सूचित कर दिया था कि उहें इस विषय पर समवाय के प्रतिनिधि को नहीं मिलना चाहिये और इस मामले को समाप्त भी नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि एक तो इस में बहुत धन अन्तर्ग्रस्त है और दूसरे इस के बारे में बहुत प्रचार पहले ही हो चुका है। इस के अतिरिक्त विरोधी दल के सदस्य इस विषय को संसद् में उठायेंगे।

अन्त में वह प्रतिनिधि वित्त सचिव को मिलने में सफल हो गया। परन्तु उन्होंने भी उस को यही कहा कि क्योंकि उन्होंने कार्यवाही के लिये पहले ही आदेश दे दिये हुए हैं इस लिये वह इस में अब कुछ नहीं कर सकते। उस संवाददाता के प्रतिवेदन का उद्धरण देने से मेरा तात्पर्य यह है कि विदेशी समवायों के प्रतिनिधि किस प्रकार से प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। इस मामले में प्रभाव शायद इस लिये भी नहीं पड़ सका क्योंकि इस का बहुत प्रचार हो चुका था तथा विरोधी सदस्यों द्वारा इस मामले को संसद में ले जाये जाने का भय था।

श्री० ति० त० कृष्णमाचारी : क्या इस बारे में मैं कुछ कह सकता हूं ? मुझे पता है कि विरोधी सदस्य सतर्क रहते हैं परन्तु क्योंकि हमने ऐसा करना ही था इसलिये किया न कि किसी भय के कारण।

श्री० ही० ना० मुकर्जी : मुझे हर्ष है यदि वित्त मंत्रालय इस प्रकार जागरूक हो कर कार्य करता है। हमें किसी के साथ कोई व्यैक्तिक शत्रुता तो नहीं है परन्तु देश की अर्थ-व्यवस्था संकट में होने के कारण हमें इस प्रकार के मामले सामने लाने पड़ते हैं। मेरे कहनेका तापर्य यह है कि श्री दांडेकर ने जो इन व्यक्तियों के प्रति अपने विचार प्रकट किये थे कि समवायों के प्रतिनिधि निर्दोष हैं तथा कानूनों से बहुत डरते हैं वह उनकी विचारधारा भ्रामक है। परन्तु मेरे विचार से यदि उनको कोई भय है तो वह वित्त

मंत्रालय या संसद् की सतर्कता का है। और मुझे तो संसद् की सतर्कता पर वित्त मंत्रालय की तुलना में अधिक विश्वास है।

जब इस प्रकार की चीजें देश में हो रही हों तो संसद् को भी उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैंने इस वाद-विवाद में इसीलिये भाग लिया ताकि मैं वित्त मंत्रालय को इस प्रकार के मामलों से अवगत करा कर कुछ सहायता कर सकूं तथा विदेशी मुद्रा के मामले में जो गड़बड़ है वह समाप्त हो सके। मेरे पास ऐसे और भी बहुत से मामलों की जानकारी है तथा मैं सब के नाम भी बतला सकता हूं। परंतु मुझे नाम बतलाने वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसी लिये मैंने इस ब्रिटिश समवाय का भी नाम नहीं लिया हालांकि बहुत से माननीय सदस्यों को इस बारे में पता होगा। अब मैं फिर वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसी ही सतर्कता अन्य मामलों में भी दिखाते रहें। निर्णयों का भी वैसे ही पालन करते रहें तथा विनियमों को भी कड़ा बनायें जिस से विदेशी मुद्रा के साधन ठीक तरह प्रयोग में लाये जायें।

श्री सचीन्द्र चौधरी (घाटल): श्रीमन्, मैंने श्री दांडेकर तथा श्री मुकर्जी के भाषणों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि श्री मुकर्जी की तुलना में श्री दांडेकर के तर्क मुझे अधिक अच्छे लगे हैं। इस का कारण यह है कि श्री दांडेकर ने किसी धारा या किसी उपबन्ध की आलोचना नहीं की है। वास्तव में उन्होंने इस विधेयक का समर्थन ही किया है, वह केवल धारा 18क का स्पष्टीकरण ही चाहते थे। दूसरी ओर श्री मुकर्जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उसमें उन्होंने केवल अपने विश्वास की बातें ही बताई हैं। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि हमारे देश में विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है इसलिये जो भी हो सके हमें इसके लिये करना चाहिये।

अब मैं धारा 18क के स्पष्टीकरण पर आता हूं। जहां तक किसी समवाय की गतिविधियों का संबंध हो उसके लिये भारत के रक्षित बैंक को सूचित कर दिया जा सकता है तथा बैंक उस समवाय को अपनी सम्मति देने के बारे में विचार कर सकता है। यह एक ऐसा विषय है जिसका कानून से इतना सम्बन्ध नहीं जितना कि कानून के लागू करने से है।

मुझे आशा है कि श्री दांडेकर जो कि स्वयं भी प्रशासक रह चुके हैं, मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह एक प्रशासनीय विषय है। इसमें कई प्रशासनीय कठिनाइयां हो सकती है परन्तु मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय धीरे धीरे इन नियमों को ठीक प्रकार लागू करने का प्रयत्न करेंगे।

कई बार अधिकारियों को कानून का प्रबन्ध करने में भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसा भय तब उत्पन्न होता है जब उसको स्वयं ही किसी विषय पर निर्णय लेना होता है भले ही उसमें कोई बड़ी त्रुटि रह जाये और इस प्रकार से लिया गया निर्णय कानून की दृष्टि से विपरीत भी हो सकता है। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह या तो इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध बनाये या नया कानून बनायें जिससे उच्चतम न्यायालय का इन पर एक प्रकार से नियंत्रण या वह इसका अधीक्षण कर सकें तथा वह इन्हें कोई मार्गदर्शन दें या कोई ऐसी प्रक्रिया बना कर दें जिस से इनका यह भय दूर हो जाये। उनका यह भय ठीक है तथा उसको दूर किया जाना चाहिये।

इस विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है। उच्चतम न्यायालय को बीच का रास्ता अपनाना चाहिये क्योंकि अधिक कठोरता या अधिक नरमी बरतने से कार्य ठीक नहीं हो सकता। अधिक कठोरता से भय उत्पन्न हो जाता है तथा अधिक नरमी से अपराध अधिक होते हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी विदेशी सहयोग के प्रति बहुत कठोर रहे हैं। जब कोई विदेशी अपनी पूंजी दूसरे देश में लगाता है, वह उससे लाभ तो उठायेगा ही। उसको कितना लाभ दिया जाये यह समझौते पर निर्भर करता है। वह समझौता इस आधार पर किया जाना चाहिये ताकि जो पूंजी हम लगाते हैं उस से हमें उचित लाभ मिल सके। जो श्री मुकर्जी ने 1.5 करोड़ तथा 1.10 करोड़ रुपये के आंकड़े दिये हैं वे मेरी समझ में नहीं आये हैं। यदि दो या तीन करोड़ रुपये व्यय करने से हमें पांच करोड़ रुपये मिल जायें तो मेरे विचार से यह घाटे का सौदा नहीं है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे

[श्री सचीन्द्र चौधरी]

पूर्ण विश्वास है कि सम्बद्ध मंत्रालय ऐसे किसी भी सहयोग को स्वीकार नहीं करेगा जिस से इस देश को कोई लाभ न हो और जिससे विदेशी मुद्रा की हानि हो, और वह विदेशी सहयोगियों के हाथ में जाये।

इस अधिनियम का अभिप्राय विदेशी सहयोग समाप्त करना नहीं है परन्तु विदेशी मुद्रा के बारे में ठीक ठीक प्रबन्ध करना है। जब हमें इस देश में प्रयोग के लिये किसी मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है तो उसके भुगतान के लिये बहुत से तरीके हो सकते हैं। यह मशीनरी विदेशी कम्पनियों द्वारा इस देश में हमारी परियोजनाओं के लिये अंशदान के रूप में भी हो सकती है। हमें इस मशीनरी के बदले में उन्हें कुछ देना है चाहे वह ब्याज के रूप में हो अथवा इक्विटी डिविडन्ड के रूप में। जिन सार्थों ने यह मशीनरी ली होगी उन्हें कुछ लाभ अवश्य होगा जिससे कि इस राशि के भुगतान का औचित्य सिद्ध हो सकता है। यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये कि जब इस देश से इक्विटी डिविडेन्ड बाहर भेजा जाता है तो उस पर कर लगता है और केवल वही राशि बाहर भेजी जाती है जो कर देनेके बाद शेष रह जाती है। जब कोई व्यक्ति व्यापार आरम्भ करना चाहता है तो वह यह अवश्य सोचता है कि लिये गये ऋण का ब्याज देने के बाद उसे कुछ लाभ होगा या नहीं। इसी प्रकार जब किसी देश को कोई व्यापार करना होता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह व्यापार देश के विकास के लिये लाभदायक है या नहीं।

श्री मुकर्जी ने एक ब्रिटिश कम्पनी के बारे में कहा कि उसके प्रतिनिधि ने इस देश के नियमों की अवहेलना की और अपने देश के उच्चायुक्त से मिले। वित्त मंत्री किसी अन्य देश के नागरिक को उस देश के उच्चायुक्त से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? परन्तु श्री मुकर्जी ने स्वयं ही माना है कि वित्त मंत्री ने उस प्रतिनिधि को कोई महत्व नहीं दिया। यदि ऐसा है तो वित्त मंत्री हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहूंगा कि वह केवल विदेशी कम्पनियों के दिलों में उत्पन्न हुए भय को ही दूर न करें बल्कि उन्हें आश्वासन भी दें ताकि उनमें विश्वास उत्पन्न हो। वह यह भी सुनिश्चित करें कि कानून का भली प्रकार पालन हो और जो निदेशक और उपनिदेशक नियुक्त किये जायें, उनके प्रशासन कार्य में उच्चतम न्यायालय सहायता दे।

श्री मुरारका (झंझनू): मैं विधेयक के उपबन्धों के बारे में अपने विचार रखूंगा और मंत्री महोदय से कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। साथ ही साथ मैं उनका ध्यान विधेयक में रह गई त्रुटियों की ओर दिलाऊंगा।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रक्षित बैंक और केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को ठीक प्रकार लागू करने के लिये अधिक शक्ति देना है। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि यह शक्ति या अधिकतर इस प्रकार का है कि इससे मनमानी हो सकती है। परन्तु देश में आज विदेशी मुद्रा की गम्भीर स्थिति को देखते हुए ये उपाय आवश्यक हैं। और रक्षित बैंक को, जो कि निष्पक्षता के लिये प्रसिद्ध है, ऐसी शक्ति दिये जाने पर कोई भी आपत्ति नही उठाएगा।

मैं विधेयक के खंड दो 2 की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस खण्ड में किये गये उपबन्ध के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम केवल विदेशों में भारतीय नागरिकों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि विदेशों में भारतीय कम्पनियों की एजेन्सियों पर भी। यह उपबन्ध विदेशों में केवल ऐसे ही भारतीय कम्पनियों की शाखाओं और एजेंसियों पर क्यों लागू होगा जो कि भारत में निगमित हैं? यदि किसी ग़ैर सरकारी सार्थ अथवा किसी व्यक्ति ने विदेश में एजेंसी स्थापित किया है तो क्या इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर भी लागू होंगे? यदि यह अभिप्राय है कि ये उपबन्ध ऐसे एजेन्सियों पर भी लागू होंगे तो इस खण्ड को संशोधित करना पड़ेगा।

योजना मंत्री (श्री० ब० रा० भगत) : यह विदेशों में भारतीय समवायों के अभिकरणों पर लागू होगा।

श्री मुरारका : जी हां। परन्तु किसी व्यक्ति के विदेश में एजेन्सी के बारे में क्या किया जायेगा।

दूसरे, यदि भारतीय समवायों के विदेशों में इन अभिकरणों में सभी विदेशी ही नियोजित हों तो यह उपबन्ध उन पर कैसे लागू हो सकता है? इसलिये खण्ड 2 में किय जाने वाले इस संशोधन की ओर माननीय वित्त मंत्री विशष ध्यान दें।

श्री बडे (खारगोन) : मैंने यह सुझाव दिया था कि इस संशोधन में "विदेशी अभिकर्ता" ये शब्द जोड़ दिय जायें।

श्री० मुरारका : माननीय सदस्य के संशोधन से और भी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। आप एक विदेशी पर इस अधिनियम को कैस लागू कर सकते है जो कभी इस देश में नहीं आता और विदेश में ही रह रहा है?

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि यह संशोधन व्यर्थ सिद्ध होगा?

श्री मुरारका : मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह संशोधन सीमित होगा तथा इसके अन्तर्गत सभी मामले नहीं आ सकते।

मेरी मुख्य आपत्ति खंड 13 के बारे में है जिसके द्वारा नई धारा 18-क लायी जा रही है। धारा 18-क में कहा गया है कि धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई ऐसी कम्पनी जो कि भारत में निगमित न हुई ही अथवा जो परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हो, केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक को सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना, भारत के किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी आदि की ऐजेन्ट अथवा प्रविधिक या प्रबन्ध सलाहकार के रूप में नियुक्ति स्वीकार करती है तो वह अवैध होगी। परन्तु धारा 21 में ऐसा उपबन्ध है कि यह अवैध नहीं होगी। धारा 18-क में किये गये इस उपबन्ध का कि "धारा 21 के उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" का अर्थ यह होता है कि धारा 21 अब भी लागू रहेगी और इसके उपबन्ध धारा 18-क के उपबन्धों को अभिभूत करेंगे। इन दोनों उपबन्धों में से किसका अधिक महत्व रहेगा तथा किस धारा का उपबन्ध लागू रहेगा इसका स्पष्टीकरण किये जाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि धारा 18-क में जो यह कहा गया है कि "परोक्ष अथवा आपरोक्ष रूप में नियंत्रित कम्पनी" उसके 'नियंत्रित' शब्द की परिभाषा कहीं स्पष्ट नहीं है। इस नये शब्द का उपयोग करने के स्थान पर सरकार को अधिनियम की धारा 18 के टिप्पण 1 में दी गई 'कम्पनी' की परिभाषा को अपनाना चाहिये था। उस परिभाषा के अपनाने से समस्त कठिनाइयां दूर हो जाती और न्यायालय आदि को यह समझने में सरलता रहती कि इन उपबन्धों के अधीन किस प्रकार की कम्पनियां आती हैं।

तीसरी बात यह है कि इस धारा में किया जाने वाला यह उपबन्ध सीमित है कि 'भारत में' व्यापार अथवा वाणिज्यिक व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति, कम्पनी अथवा फर्म के एजेन्ट अथवा प्रविधिक या प्रबन्ध सलाहकार के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकती'। औद्योगिक अथवा निर्माण सम्बन्धी कार्य के विषय में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। अतः यदि कोई भारतीय कम्पनी किसी विदेशी कम्पनी को कमीशन पर निर्माण अथवा औद्योगिक कार्य के लिये एजेन्ट नियुक्त कर देती है तो मेरा विचार है कि यह मामला इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन नहीं आयेगा। इस लिये सरकार यदि यह चाहती है कि कोई विदेशी फार्म भारत में रुपया कमा कर उसे बाहर न भेजे तो उसे यह उपबन्ध करना चाहिये था कि सरकार अथवा रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना 'किसी भी प्रयोजन के लिये एजेन्ट के रूप में' विदेशी फर्म की नियुक्ति अवैध होगी। इस सामान्य उपबन्ध के किये जाने पर प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक यह देखता कि इससे विदेशी मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फिर वह जैसा उचित समझता नियुक्ति के लिये अनुमति देता या न देता। इस कमी को दूर करना चाहिये जिससे कि फिर शीघ्र ही कमी संशोधन करने की आवश्यकता न हो।

इस धारा में एक ही पंक्ति में 'व्यक्ति, फर्म और समवाय' शब्दों का जो प्रयोग किया गया हो वह ठीक नहीं है। इससे न्यायालयों आदि को कठिनाई रहेगी और वे समझेंगे कि इन शब्दों को पृथक पृथक

[श्री मुरारका]

प्रयोग करने का कदाचित् कोई विशेष अर्थ है। विधि सम्बन्धी शब्दावली में 'व्यक्ति' शब्द के अन्तर्गत हो ये सब आ जाते हैं, उसका अर्थ केवल 'व्यक्ति विशेष' से नहीं होता। अतः इस उद्देश्य से कि इस संदर्भ में 'व्यक्ति' का अर्थ सीमित न लगाया जाये और किसी प्रकार की भ्रान्ति न हो यह उचित होगा यदि यहां पर केवल 'व्यक्ति' शब्द का ही उपयोग किया जाये।

श्री दाण्डेकर का यह प्रश्न भी सुसंगत था कि क्या यह उपबन्ध भविष्य में ही लागू होगा। यदि इसके उपबन्धों को उचित रूप से क्रियान्वित करना है तो सरकार को चाहिये कि वह शीघ्र ही विद्यमान एजेन्सियों आदि के करारों का भी पुनर्विलोकन करे क्योंकि बहुत सी कम्पनियां इस सम्बन्ध में समझौते कर चुकी हैं। और यदि उनका पुनर्विलोकन न किया गया तो विदेशी मुद्रा का बाहर जाना नहीं रोका जा सकता।

यद्यपि यह उचित है कि सरकार को किन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिये और उपबन्धों को और कड़ा करने के लिये सब प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये, परन्तु धन-प्रेषण को रोकने का सरकार का उद्देश्य तब अधिक अच्छी तरह पूरा हो सकता है यदि कुछ फर्मों और समवायों को अभिकर्ता आदि के रूप में नियुक्त करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के बजाय धन-प्रेषण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। एजेन्ट आदि की भारत सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्ति की अनुमति दिये जाने के लिये कोई कसौटी निर्धारित नहीं की गई है। अनुमति देना अथवा न देना उनके विवेक पर निर्भर करेगा। यदि कोई फर्म सरकार को इस बारे में संतुष्ट कर देती है कि एजेन्ट नियुक्त करना देश के हित में है तो उसे अनुमति मिल जायेगी परन्तु एक दूसरी फर्म जो कि ऐसा नहीं पाती उसे इसकी अनुमति नहीं मिलेगा चाहे उसका एजेन्ट धन-प्रेषण करना चाहता हो अथवा नहीं भी। अतः देश का हित इसमें है कि एजेन्टों आदि की नियुक्त के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के स्थान पर धन-प्रेषण पर ही प्रतिबन्ध लगाया जाये।

इसी खण्ड की प्रस्तावित धारा 18-ख में यह उपबन्ध किया गया है कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना यात्रा एजेन्सियों अथवा एयरलाइन्स आदि पूर्णतः अथवा आंशिक विदेश यात्रा के लिय टिकटें नहीं दे सकतीं। विद्यमान 'पी' फार्म प्रणाली के अन्तर्गत भी यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी के बाहर जाने के लिये टिकिट लेना चाहे अथवा अपने किसी विदेश को बाहर से आमंत्रित कर रहा हो और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना हो इसके लिये पहले रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है, 'पी' फार्म लेना होता है तथा विदेशी मुद्रा परमिट की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह होता है कि रिजर्व बक इस मामले की जांच कर चुका है। यह व्यवस्था पर्याप्त है और इस धारा 18-ख के उपबन्धों के द्वारा और अधिक प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे केवल कार्यवाही दुहरी होती है और कठिनाई बढ़ती है। उच्च न्यायालयों आदि की भी यह राय है कि विधियों को अधिक जटिल नहीं बनाया जाना चाहिये जिससे कि वे सुचारू रूप से लागू हो सकें।

डा० मा० श्री० अणे : क्या इस प्रस्तावित धारा 18-ख के अन्तर्गत श्री वालकाट जैसे मामले भी आ जायेंगे?

श्री मुरारका : मेरे विचार में इसके अन्तर्गत विदेशियों से सम्बन्धित वे मामले नहीं आयेंगे जिनमें विदेशी व्यक्ति भारत से बाहर की मुद्रा से टिकिट खरीदते हैं। उसके लिये 'पी' फार्म की तभी आवश्यकता होगी जब कि वे कुछ समय भारत में ठहरे। परन्तु भारतीय नागरिकों के लिये इस उपबन्ध से अवश्य कठिनाई पैदा होगी। हो सकता है कि बाद में इसके अन्तर्गत वॉल्कट जैसे मामले भी आ जायें।

अब मैं खण्ड 15 के सम्बन्ध में कुछ कहता हूं जिसके द्वारा नई धाराएं 19-क, 19-ख, 19-ग और 19-घ आदि लागू की जा रही हैं। इस खण्ड में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किसी सन्देहास्पद व्यक्ति की तलाशी लेने की आवश्यकता होती है, तो वह व्यक्ति दण्डाधीश अथवा अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास ले जाये जाने का आग्रह कर सकता है परन्तु यदि वह गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह इस प्रकार का आग्रह नहीं कर सकता। तलाशी से गिरफ्तारी

अधिक गम्भीर बात है। फिर यह बात समझ में नहीं आती कि किसी व्यक्ति की तलासी में उसको जो सुविधा प्राप्त है वही सुविधा उसे उसकी गिरफ्तारी के मामले में क्यों नहीं दी जा रही।

Shri Bade : Such a provision has been made in Land, Sea and Air Customs Act also.

श्री मुरारका : यदि किसी एक अधिनियम में कोई गलती रह जाये तो इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य सभी अधिनियमों में भी वही गलती रहनी चाहिये। दूसरे में इस उपबन्ध का विरोध नही कर रहा अपितु यह कह रहा हूं कि, समानता तथा न्याय के आधार पर गिरफ्तारी के मामले में भी किसी व्यक्ति को वही सुविधा दी जानी चाहिये जो कि उसे तलाशी के सम्बन्ध में प्राप्त है।

डा० मा० श्री० अणे : क्या इससे अधिनियम का उद्देश्य पूर्ण होने में बाधा नहीं पड़ेगी ?

श्री मुरारका : यह कागजातों पर कार्यवाही करने का मामला नहीं है अपितु इसमें किसी व्यक्ति के बारे में कार्यवाही की जाती है। किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने दबाव से ही वह मामले से मुक्त नहीं हो जायेगा; केवल इतना होगा कि कोई अधिक बुद्धिमान पुरुष उसके मामले पर विचार करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी तलाशी के मामले में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सुनवाई का आग्रह कर सकता है तो उसे अपने जहाज अथवा गाड़ी आदि की तलाशी के मामले मे भी यह अधिकार मिलना चाहिये। धारा 19–क के उपबन्ध कुछ अक्षर हैं और 19-ख, 19-ग, और 19-घ के उपबवध कुछ कड़े हैं। गिरफ्तारी का मामला तलाशी से अधिक गम्भीर है अतः गिरफ्तारी के मामले में भी इस प्रकार का अधिकार दिया जाना चाहिये।

इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि इन खण्डों के उपबंधों की वित्त मंत्री महोदय आदि द्वारा अधिक भली प्रकार जांच की जाये जिससे कि विधेयक को अधिक तर्क संगत बनाया जा सके तथा लोगों को अधिक न्याय मिल सके।

श्री हेडा (निजामाबाद) **:** इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वर्त-विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम में सुधार किया जाये।

आज लन्दन में ऐसे अनेक बैंक और गैर सरकारी बैंक हैं जो रुपये को 20 से 22 रुपया प्रति पौंड की दर से लेते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि वह इन रुपयों का क्या करते हैं। बहुत सी त्रुटियां हैं जिनके द्वारा वे उन रुपयों को पौंडों में परिवर्तित कर लेते हैं या स्वयं भारत में उसको प्रयोग में लाते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। इससे हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है क्योंकि किसी भी देश की प्रतिष्ठा सामान्यतः उसकी विदेशी नीति तथा उसके चलार्थ के मूल्य से आंकी जाती है। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता कि हमारी नीतियों के निष्पादन में कोई बड़ी त्रुटि है।

यदि आप एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कार्य को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके व्यापार में अब वह वृद्धि नहीं हो रही है जो पहले थी। अब अनेक भारतीय एयर इंडिया द्वारा नहीं आ रहे हैं, अपितु अन्य देशों की कम्पनियों के विमानों में आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि दूसरे देशों के हवाई जहाजों में किराया कम है। मान लीजिये कि एयर इंडिया की दर लन्दन से दिल्ली के लिये 130 पौंड है; अन्य कम्पनियां 100 पौंड लेने के लिये तैयार हैं। वे कम्पनियां उन 100 पौंड के साथ 20 या 22 रु० प्रति पौंड की दर से रुपया खरीद सकते हैं और उसी रुपये को भारत में काम में लाया जा सकता है और इस प्रकार उनको 135 पौंड या इससे भी अधिक का मूल्य मिल जाता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। रिजर्व बैंक के हाथ में विदेशी मुद्रा नियन्त्रण जो है वह बहुत अमाननीय है। हाल ही में मैं मास्को में अपनी पत्नी की बहन के घर रुकना चाहता था तो मुझे बताया गया कि उसके साथ मेरा रक्त सम्बन्ध नहीं है। परन्तु अनेक अधिनियम हैं जिनमें इस सम्बन्ध को रक्त सम्बन्ध माना गया है। एक ओर तो इस प्रकार की कठिनाइयां हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में मिल सकती हैं, परन्तु थोड़ी सी महंगी दरों पर। जैसा कि मैंने बताया 20 या 22 रु० प्रति पौंड की दर से भारतीय रुपये का खुले रूप से बिकना अच्छी बात नहीं है।

[श्री हेडा]

श्री दांडेकर ने कहा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा किये गये कुछ उपाय अच्छे नहीं हैं। उन्होंने विशष रूप से निर्यात प्रोत्साहन का उल्लेख किया। इन निर्यात प्रोत्साहन से हमारे देश को दो फायदे पहुंचे हैं। एक तो यह कि एक भारतीय निर्यातक के लिये घाटे पर भी भारतीय वस्तुएं निर्यात करना संभव हो गया है। लगभग एक मास पूर्व भारत में प्रचलित विदेशी मुद्रा मुल्य 50 और 60 प्रतिशत के बीच था। अतः यदि कोई व्यक्ति निर्यात द्वारा 1 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है तो वह 25,000 से 50,000 रु० तक का घाटा सहन कर सकता है।

दूसरा लाभ यह है कि हमारे कुछ उद्योग जो विदेशी मुद्रा चाहते हैं, इन प्रोत्साहन द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा से खरीद सकते हैं और इस प्रकार काफी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। विदेशी साझे के मामले में हमारे वित्त मंत्री समन्वय भागिता की अनुमति देते ह और इसको अधिमान देते हैं, परन्तु वह विदेशी ऋणों की अनुमति नहीं देते। इससे यह होता है कि अनेक कम्पनियां जो विदेशी सहयोग से चलती हैं अच्छा उत्पादन करती हैं और लाभ भी अच्छा अर्जित करती हैं और उनको सफलता मिलती है। अतः बात यह है कि समन्याय भागिता में जो लाभांश देना पड़ता है वह ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज से कहीं अधिक होता है। अतः सरकार को इस मामले पर बड़े गौर से विचार करना चाहिये और यदि किसी विदेशी ऋण की पेशकश आती है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इससे सरकार का लाभांश देने का बोझ हल्का हो जायेगा।

इस विधेयक में सरकार को कई अधिकार दिये गये हैं। एक अधिकारी तलाशी ले सकता है, गिर-फ्तार कर सकता है और अनेक अन्य बातें कर सकता है। परन्तु पिछला अनुभव यह बताता है कि इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पहलु पर विचार करेंगे और उन शक्तियों को प्रयोग में लायेंगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समय हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति अच्छी नहीं है। चौथी योजना में हमें 1100 करोड़ रु० का विदेशी ऋण देना है जिसमें 600 करोड़ रु० ब्याज के हैं और 500 करोड़ रु० ऋण की अदायगी के हैं। इसके अतिरिक्त हमें शीघ्र ही 50 करोड़ रु० अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी देना है। इसलिये मैं विधेयक का स्वागत करती हूं। मेरे विचार में यह विधेयक समस्या का पूरा समाधान नहीं कर सकता। हां इससे कुछ त्रुटियां दूर हो जायेंगी, परन्तु कोई सार्थक लाभ नहीं पहुंचेगा।

एक समस्या तो पर्यटक यातायात के संबंध में है। यद्यपि पिछले वर्षों में हमारे देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है, उन से अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है, वह उतनी की उतनी है। इस देश में आने वाले पर्यटकों से हमें कोई विदेशी मुद्रा नहीं मिलती है। यदि हम दूसरे देशों से इसका मुकाबिला करें तो उसके मुकाबिले में यह राशि कुछ भी नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि इन पर्यटकों ने हमारे देश में रुपया प्राप्त करने के कुछ छोटे रास्ते बना रखे हैं। मेरा विश्वास है कि कुछ उपबन्धों को कड़ा करने से इसको रोका जा सकता है।

दूसरी समस्या विदेशों से भारत में पैसा चुकाने की है। यह राशि दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इसमें लगभग 60 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। विदेशी मुद्रा अति-क्रमण के लिये एक बहुत बड़ी त्रुटि है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा प्रबन्ध किया होता है कि पैसा यहां नहीं पहुंच पाता और विदेशियों और भारतीयों में आपस में अदला बदली कर ली जाती है। विदेशों से भारतीय यहां पैसा नहीं भेजते वह उस पैसे को यहां पर आने वाले पर्यटकों को देने का प्रबन्ध कर लेते हैं।

हमारी समस्या दो तरह से बड़ी गम्भीर है ; एक ओर तो हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है और दूसरी ओर हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है उसका उचित उपयोग नहीं किया जाता है। उचित तक-नीकी सहयोग की कमी, परियोजना प्रतिवेदनों के समय पर तैयार न होने आदि से हमें काफी हानि होती है क्योंकि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा जमा होती है उसको समय पर उचित ढंग से काम में नहीं लाया जा सकता। इसलिये दो तरीके से समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

हमें विदेशी मुद्रा विनियमों के वर्तमान उल्लंघनों को रोकना है, विदेशी मुद्रा को छिपाने की प्रवृत्ति को रोकना है और हमें जो विदेशी सहायता मिलती है उसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करना है।

एक बात यह है कि वाणिज्यिक सूचना के महा निदेशालय द्वारा जो आंकड़े तैयार किये जाते हैं उनमें और रजित बैंक द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों में बड़ा अन्तर होता है। सरकार को विदेशी मुद्रा के आंकड़े ठीक और उचित ढंग से रखने चाहिये जिससे कि विदेशी मुद्रा को अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा जा सके।

इंगलैंड ने अपने आयात पर 15 प्रतिशत अधिभार लगा दिया है, इससे हमें बड़ा नुकसान होगा। अनुमान लगाया जाता है कि इसे हमारा 30 प्रतिशत निर्यात कम हो जायेगा। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इसलिये हमें अपने परियोजना प्रतिवेदन आदि तैयार रखने चाहियें जिससे कि उन पर तुरन्त कार्य आरम्भ किया जा सके। पहले प्रायः यह देखा गया है कि हम विदेशी मुद्रा तो प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद काफी समय तक हमारे परियोजना प्रतिवेदन तक भी तैयार नहीं हो पाते। हमें पहले से अपने कार्यक्रम की योजना तैयार करनी चाहिये जिससे विदेशी सहायता को समय पर काम में लाया जा सके।

हमारे कुछ उद्योगपतियों को औद्योगिक विस्तार के लिये जब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है तो वे विदेश जाते हैं और वे अस्थगित भुगतान द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। परन्तु हमारे देश में उनके लिये ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें जो विदेशी मुद्रा मिलती है उसका भी उचित उपयोग नहीं किया जा सकता है जिससे हमारी आयोजित अर्थ व्यवस्था की हानि होती है। विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय तथा ऋण अभिकरणों को आस्थगित भुगतान (डेफर्ड-पेमेंट) की पद्धति चालू करनी चाहिये। कभी कभी परियोजनाओं को सुविधाओं की कमी के कारण आरम्भ नहीं किया जा सकता है। एक मामले में विदेशी मुद्रा देने का वायदा किया गया था; संयंत्रों के लिये पश्चिम जर्मनी को क्रियादेश दिये गये थे, परन्तु कुछ तकनीकी सहयोग पूर्व जर्मनी से मांगा गया था। परन्तु कुछ राजनैतिक अड़चनों के कारण पश्चिम जर्मनी की सरकार ने जर्मनी की बैंकों को विदेशी ऋण देने की अनुमति न देने का फैसला किया और इस प्रकार सारा कार्यक्रम 2½ साल तक के लिये ठप हो गया। इसलिये ऐसे मामलों में जिन में सरकार ने अनुमति दी होती है कुछ राशि आवंटित की जानी चाहिये।

मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं। एक बड़ी परियोजना जिसकी लागत लगभग 40 या 50 करोड़ रु० है परन्तु उसमें 5 या 10 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है और पार्टी के पास काफी रुपया संसाधन हैं। परन्तु फिर भी उस पार्टी को उस छोटी सी विदेशी मुद्रा के लिये विदेशी सहयोग तलाश करने के लिये कहा जाता है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना में काफी देर लग जाती है। इससे देश को बड़ी हानि होती है। ऐसे मामलों में थोड़ी सी विदेशी मुद्रा सरकार को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा संसाधनों से बराबर का रुपया लेकर दे देनी चाहिये।

रिजर्व बैंक ने विदेशी सहयोग के लिये कुछ मानक विनियम बनाने की शक्तियां ग्रहण कर ली हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी सहयोग का बड़ा महत्व है। तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में बड़ी बुराइयां हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि तकनीकी सहयोग के मामले में हमें मानकीकरण करना चाहिये। कोई ऐसा मानक सूत्र होना चाहिये जिसमें सहयोग के करार आ जाये।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि सरकार को अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान दीर्घ-कालीन आधार पर लगाना चाहिये न कि 6 मास की अवधि के लिये जैसा कि इस समय किया जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा के आवंटन में अनिश्चितता आ जायेगी और अनेक समस्याएं पैदा हो जायेंगी।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : I am in support of the Bill. It would rather go to the extent to say that the measures provided in the Bill should further be tightened. I am of the opinion that the Right of appeal provided in the Bill should not be given.

[Shri Onkar Lal Berwa]

The hon. Finance Minister evaded my question as to the amount of foreign exchange seized during 1963-64 by saying that legal proceedings are going on against the persons. One of my friends had asked as to what happended to Shri Birla. The answer was that Shri Birla is the owner of so many Companies. I say why enquiries have not been held against him.

Our Government is only after making amendments and takes little care to see them observed. Recently some filmstars were arrested but the enquiries so far held have yielded no result.

It is because of the difficulty of foreign exchange that our countrymen are starving to day. We are exporting sugar even at a loss to earn foreign exchange. The poor Cultivators and petty shop keepers have no place in this world of dollar and foreign exchange. The milliowners and donors are the person who dominate in this type of world. They are caught and yet they go scot free. Nobody can do any harm to them.

The laws are made and they are relaxed after sometime. This should not be so. Different punishments should be given to the defaulters. The bill should be made to have retrospective effect so that the persons should not be allowed to evade it.

To accumulate foreign exchange our countrymen went to foreign countries, like Burma and Ceylon and established industries there. The result is that they cry for help when they are pushed out.

The first thing is that the foreign exchange should be utilised properly. Today it is misused. The innocent people in our villages do not understand what foreign exchange is. They have been given licenses for establishing small industries but they cannot get machines to work their factories for want of foreign exchange. I have received a letter today from U.P. stating it is more than three years when he was issued a licence but he has not been able to get the machine so far with the result the Capital of Rs. 4,00,050 thousand Rupees is blocked.

We should encourage establishment of small scale industries in the villages for the benefit of the farmers and give them foreign exchange in large quantities. A big part of the foreign exchange goes down the drain in importing liquor. This is undesirable and should be stopped.

In most of the cases the proprietors of big companies transact business in foreign countries through their agents thereby avoiding the flow of foreign exchange into the country. Another reason for fall in our foreign exchange is under-invoicing of goods by the exporters in India which results in stealing of foreign exchange. The Government should lay hand on the agents of these companies and award deterrent punishment to those found guilty of violating foreign exchange regulations. Recently Bird & Co. was fined Rs. 67,000 which is not suitable. These persons should not be given a right to appeal as in many cases it results in acquittal by bribing.

In the end I will appeal that small scale industries should be encouraged and granted foreign exchange liberally.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इसके पारित हो जाने पर रिजर्व बैंक तथा प्रवर्तन निदेशालय को अधिक अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । जिस प्रकार प्रवर्तन निदेशक ने अनेक मामलों में व अपीलों पर निष्पक्ष रूप से निर्णय दिया है उसकी

सराहना करता हूं। हमारे सम्मुख दो समस्याएं हैं, एक विदेशी मुद्रा की बचत की तथा दूसरी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की। इस विधेयक के उपबन्धों को कठोरता से लागू करने से विदेशी मुद्रा के अपव्यय में कमी होगी।

(डा० सरोजिनि महिषी पीठासीन हुई।)
[**Dr. Sarojini Mahishi** in the Chair]

स्वाभाविक है कि इससे विदेशी मुद्रा में कुछ बचत होगी। इस विधेयक के कुछ पहलुओं की व्याख्या करने के लिये मैं कुछ उदाहरण दूंगा। आज ही प्रातः मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1 जनवरी, 1964 से 30 नवम्बर या 31 अक्टूबर 1964 तक की अवधि में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लगभग 2000 मामले हुए। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपराधी व्यक्तियों को उचित दंड देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

माननीय मित्र श्री ओंकार लाल बेरवा ने बर्ड कम्पनी पर 67,000 रु० जुर्माने का उल्लेख किया। मेरी धारणा है कि जिन व्यक्तियों की पहुंच होती है, जो दबाव डाल सकते हैं और जो राजनैतिक प्रभाव रखते हैं वे मामूली जुर्माना देकर बच जाते हैं। इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि वित्त मंत्री का उनके विभाग हेतु ऐसा होता है। चाहे जैन, बिड़ला या बर्ड कम्पनी का या किसी अन्य का मामला हो निदेशालय के कार्य में किसी भी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। हमें तथा मंत्रियों को निदेशालय में पूरा विश्वास व आस्था रखनी चाहिये कि यह मामलों पर शीघ्रता से निष्पक्ष निर्णय करेगा और अपराधियों को उचित दंड देगा। जैसा कि मैंने सुबह प्रश्नों के समय भी पूछा था मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि बिड़ला उद्योगों के इंगलैंड व अमरीका में कार्यालय हैं जिनके द्वारा वे पटसन की बनी बांधने की चटाइयों के निर्यात में भेजे गये माल से कम बीजक बनाकर करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत कर रहे हैं। अन्य पटसन व्यापारी भी ऐसा कर रहे हैं। सदन में यह घोषणा की गई थी कि जो उद्योगपति एक निश्चित अवधि में विदेशों में अपनी आस्तियों को स्पष्ट कर देंगे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। मैं यह जानना चाहुंगा कि बड़े औद्योगिक समुदायों ने कुल कितनी राशि की आस्तियों की घोषणा की। मैं एक निश्चित उत्तर चाहता हूं कि यदि बड़े 2 औद्योगिक समुदायों के विदेशों में हैं तो उनके पास रक्षित विदेशी मुद्रा की राशि व उसके प्रयोग जानने का क्या तरीका है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि तेल समवायों की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विदेशों में कितनी आस्तियां थी व कितना भुगतान था और अब वे कितना भुगतान कर रहे हैं। अंग्रेज तो अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते थे। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को वे कंगाल कर गये थे। अब इसका प्रबन्ध भारतीयों के हाथ में आ गया है और मैं आशा करता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायता से इसको सुचारु रुप से चलाया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में हमें चाय उद्योग व विदेशियों के अधिकार में अन्य बड़े उद्योगों की ओर ध्यान देना है। यदि मंत्री महोदय विदेशी मुद्रा की चोरी रोक कर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो इस विषय में कठोरता दिखानी होगी। कलकत्ता, बम्बई, व कानपुर आदि स्थानों में बड़े उद्योगों पर छापे मारने से बहुत मामूली राशि प्राप्त हुई।

भारत तस्कर व्यापारियों के लिये स्वर्ग सिद्ध हो रहा है। वालकॉट जैसे हजारों लोग यहां आये और बिना दंड पाये निकल भागे। यह आश्चर्यजनक है कि यहां से विदेश जाते हुए लोगों को विदेशी मुद्रा ले जाने की सीमा घटा कर केवल 40 रुपये कर दी गई है लेकिन फिर भी भारत वापिस आने पर वे अनेक प्रकार को मूल्यवान सामान लेकर लौटते हैं। इसका कारण है कि तस्कर व्यापारियों और विदेशी मुद्रा के चोरों के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह हैं।

कलकत्ते की बंगाल एनेमल्स कम्पनी के विरुद्ध विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामलों का क्या हुआ। इनकी 24 परगना में पालटा में स्थित कारखाने की तलाशी भी ली गई थी। उनका दिल्ली में मंत्रियों पर तथा राजनैतिक क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। इस राजनैतिक दबाव के कारण बेचारे प्रवर्तन

7—2 Lok Sabha/65

[श्री स० मो० बानर्जी]

निदेशक को कार्य करना कठिन हो जाता है और कभी कभी उसके पास त्यागपत्र देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता। एक व्यापारी श्री हाशिम प्रेमजी की, जो जमाखोरों का सिरमौर समझा जाता है, भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत पकड़ा गया था लेकिन उसे सब आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। इसके विपरीत जब इस सदन के 1957 में रहे सदस्य को पकड़ा गया तो बहुत शोर मचाया गया। इसी प्रकार इस सदन के एक सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि राजनैतिक हस्तक्षेप चलता रहा तो इस निदेशालय के लिये कार्य करना असम्भव हो जायेगा।

आगे मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशी कम्पनियों की जांच-पड़ताल के लिये क्या प्रणाली है।

यदि विदेशी मुद्रा में बचत न की गई तो हमारी अर्थ-व्यवस्था व औद्योगीकरण की योजना सब ठप्प हो जायेगी। केवल कानून बनाने से हमारा उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता, इस पर कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने, जिन्हे वित्त मंत्रालय का कटु अनुभव है, जो विचार रखे हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं उन पर 40 रु० की विदेशी मुद्रा ले जाने की सीमा लागू नहीं होती। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति अपने लडके को भेजे तो उत्तर दिया जाता है भारत में शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय यह ध्यान देंगे कि नियम सबके लिये एक से होंगे और विदेशी मुद्रा की बचत की दिशा में निश्चित कदम उठाया जायगा।

मैं इस कदम का पूर्ण समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही सफल होगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैंने इस सदन में अनेक प्रकार के भाषण सुने, पश्चिम के पक्ष में व पूर्व के पक्ष में तथा तस्कर व्यापार में लाभ बताने वाले। लेकिन यह समझना कि विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन समाप्त हो जायेगा, वास्तविकता से दूर भागना है।

म एक भारतीय कम्पनी का मामला जानता हूं जिस पर भारी जुर्माना किया गया था। यह बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन करती रही है लेकिन जुर्माना अन्त में घटकर नाम-मात्र को रह गया।

यह कार्य दो प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक वे जो यदा-कदा ही ऐसा करते हैं। वे लोग तो इस विधेयक के डर से ऐसा करना बन्द कर देंगे। लेकिन दूसरे लोग वे हैं जो इसके आदी हो गये हैं और यह उनका व्यवसाय बन गया है।

समस्या तो यह कि पारस्परिक रूप से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि उपबन्ध (ङ) के अतिरिक्त कोई उपबन्ध नहीं है जिससे इस प्रकार के उल्लंघन को रोका जा सके। विदेशी कम्पनियों पर या भारतीय कम्पनियों के विदेशी प्रतिनिधियों की जांच-पड़ताल करने से समस्या हल नहीं होगी।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

[**Mr. Speaker** in the Chair]

मैं यह नहीं चाहता कि सारे विकास कार्य रोक दिये जायें केवल इसलिये कि कुछ विशेषज्ञों को इनकी सलाह के लिय फीस देनी पड़ती है या कम्पनियों में लगी पूंजी का लाभांश देना पड़ता है। हमने देश की उन्नति के लिये इस सब की आवश्यकता है। लेकिन वित्त मंत्रालय को इन नियमों का उल्लंघन करने वालों से नम्र-व्यवहार नहीं करना चाहिये। उल्लंघन करने वाले को बन्दी बनाया जा सकता है लेकिन उसकी तलाशी नहीं ली जा सकती। यह विभेद नहीं होना चाहिए।

यदि वित्त मंत्री इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि जमाखोरों तथा काला बाजारी करने वालों की तरह उन पर भी संक्षिप्त मुकदमा चलाकर दण्ड दें।

श्री वैल्स की उक्ति की तरह हाथी को एक खेलने की बन्दूक से मारना चाहते हैं। यह बुराई बहुत बढ़ गई है और शक्ति व भार आदि में हाथी के समान बन गई है। इसका सामना इन छोटे तरीकों से नहीं किया जा सकता है।

इसलिये मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अपराधियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाये। पहली बार अपराध करने वाले के साथ, चाहे वह कोई व्यक्ति हो अथवा कोई संस्था, नरमी बरती जाये जैसा कि इस विधयक में उपबन्ध किया जा रहा है। परन्तु दूसरी बार अपराध करने पर संक्षेपत: परिक्षण होना चाहिये।

इस विधेयक में विदेशी मुद्रा विनियम के अतिक्रमण सम्बन्धी मामलों का पता लगाने के लिये किसी व्यवस्था का उपबन्ध नहीं किया जा रहा है। इसलिये मेरे विचार में इस विधेयक से प्रत्याशित लाभ नहीं होगा। अत: यह जानने के लिये कि एसे अतिक्रमण कहां होते ह, एक प्रकार का सतर्कता आयोग अथवा सतर्कता निकाय अथवा जांच कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

मंत्री जी ने अभी कहा कि इन अपराधियों पर जो विदेशी मुद्रा विनियमों का अतिक्रमण करते हैं, एक प्रकार का सामाजिक लांछन लग जाता है। परन्तु खेद इस बात का है कि हमारा समाज अभी इतना उन्नत नहीं है, जनमत इतना प्रबल नहीं है जिस के फलस्वरूप ऐसे सामाजिक लांछनों का विभिन्न अपराधियों पर कोई प्रभाव पड़ सके। अत: जब तक हम लोकमत को शिक्षित नहीं कर लेते इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेरे विचार में इन समस्याओं का निराकरण करने के लिये कानून की ही शरण लेनी पड़गी।

खण्ड 2, 13 और 15 को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा है। उन से उद्देश्य स्पष्ट रूप में लक्षित है। परन्तु यह किसी ने नहीं बताया कि इस बुराई को दूर कैसे करना है। सरकार उन व्यक्तियों के बारे में क्या करने जा रही जो 40 रुपये में विदेशों में घूम भी आते हैं और अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों के लिये उपहार भी ले आते हैं। इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

मैं मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस समस्या पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। परन्तु इस विधेयक को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिये यदि पहली बार नहीं तो दूसरी बार अपराध करने पर, संक्षेपत: परीक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सदन में उपस्थिति बहुत कम है।

श्री स० मो० बनर्जी : जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हों, कम से कम, उस समय तो गणपूर्ति होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जाये।

घंटी बजने के पश्चात भी सदन में गणपूर्ति नहीं है अत: घंटी पुन: बजाई जाये।

अब सदन में गणपूर्ति है और माननीय मंत्री जी अब अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि माननीय सदस्य श्री दांडेकर ने बताया मैं मानता हूं कि विधान बनाने में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, और हम इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करते ही रहते हैं। मैं उनकी इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि निर्यात संवर्धन गतिविधियों के सम्बन्ध में कभी कभी हमें धोखा दिया जाता है। मैंने इस बारे में पहले बताया कि विधान की त्रुटियों को न केवल सरकार ही देख पाती है और उनको दूर करती है परन्तु जिन लोगों के लिये यह विधान बनाया जाता है, वे भी कुछ दोषों को निकाल लेते हैं और उनकी आड़ में स्वच्छा से काम करते हैं।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

निर्यात संवर्धन गतिविधियों और निर्यात उत्प्रेरण यह सब इसलिये है कि लोक निर्यात कर सकें। किन्तु कई बार ऐसा होता है कि यदि लोग निर्यात करते हैं तो उन को यहां पर प्रचलित मूल्यों की वजह से इतना लाभ नहीं होता। इस में कोई सन्देह नहीं है कि कुछ हद तक इन विनियमों का दुरुपयोग किया जाता है। वे लोग जिनको यह उत्प्रेरणा दी जाती है, उनको अन्य तरीकों से निर्यात करने पर अधिक धनराशि प्राप्त होती है।

यह एक ज्ञात तथ्य है कि कुछ अभिकर्ता लंदन, कुवेत और अन्य स्थानों पर, जहां भारतीयों का संकुलन होता है, जाते हैं और उनसे पौण्डों और डालरों के बदले में भारत में रुपये का भुगतान कराने के लिये कहते हैं और इस के लिये वह काफी आकर्षक प्रस्ताव करते हैं। वास्तव में मुझे फारस की खाड़ी तथा अदन में रहने वाले भारतीयों से ऐसे कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कहने वाला था। हाल ही में मैं जब लंदन में था यह मुझे भी बताया गया था।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: तथ्य यह है कि हाल ही में जब मैं लंदन गया था तो वहां के रहने वाले भारतीय मेरे पास आये और कहने लगे कि यहां से भारत को हर सप्ताह लगभग 100,000 पौण्ड का भुगतान होता है और यदि हम उनको कुछ अधिक दे तो वे यह विप्रेषण हमारे द्वारा करेंगे। परन्तु खेद इस बात का है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि संहिता के आबद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या पाकिस्तान आबद्ध नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : पाकिस्तान ऐसा कर तो रहा है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि इससे इस बारे में स्पष्टीकरण मांग रही है, क्योंकि इससे रुपये का मूल्य बढ़ जाता है और उसने इस मूल्य को कम करने के लिए कहा है। यद्यपि हम इस प्रकार 5—7 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमा तो सकते हैं पर ऐसा करने पर हमारे पर भी वही आरोप लगाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है कि पाकिस्तान उन विप्रेषणों (रेमिटेंसेज) को 50 प्रतिशत के हिसाब से पूरा कर रहा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अब तक 40 प्रतिशत के हिसाब से। मुझे कुवेत तथा अदन से कुछ पत्र मिले हैं जिनसे पता चला है कि पाकिस्तान एक पौण्ड के बदले में 20 रुपये देता है।

अध्यक्ष महोदय : इस से कम।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : कभी कभी 18 रुपये। इस से यह कोई 40—50 प्रतिशत के बीच में आता है। चूंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के वरिष्ठ तथा स्थाई सदस्यों में से एक हैं, इसलिये हम ऐसा ढंग नहीं अपना सकते। हमें निर्यात उत्प्रेरण के सम्बन्ध में भी बड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि यदि उत्प्रेरणा ऐसे हों जिस से वस्तुओं का राशिपातन हो जायेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि यह कहेगी कि हमारे रुपये का अतिमूल्यन हो गया है। हम अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिये बाध्य हैं और हम इसलिये ऐसा नहीं करते, किन्तु हम जानते हैं कि ऐसा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय क्या इन व्यापारियो अथवा उन अभिकर्णों को, जो कि उनको भारत में भुगतान करते हैं, पकड़ा नहीं जा सकता ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐसा करना सम्भव नहीं है। जैसा कि आप को विदित है, पंजाब के गांव में एसे कई लोग हैं जिन को धन भेजा जाता है। यदि हम उन को पकड़ भी लें तो यह सिद्ध करना

बड़ा कठिन है। और इसमें उत्पीड़न का भी तत्व है क्योंकि कुछ ऐसे निर्धन व्यक्ति भी हैं जिनको उन के पुत्र, और अन्य सम्बन्धी वहां से पैसा भेजते हैं। इस हालत में मैं नहीं चाहता कि थोड़ी राशि के बारे में लोगों को कानून की ज़द में लाकर परेशान किया जाय। मैंने ऐसे निर्देश जारी किये हैं कि 50 से 100 रुपये तक के मामलों में कोई कायवाही न की जाये, जब अन्तर्ग्रस्त राशि 500 रुपये के लगभग हो तो उनको चेतावनी देनी चाहिये और यदि अन्तर्ग्रत राशि 500 रुपये से भी अधिक है तो कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं यह भी बता दूं कि यह बहुत कठिन है कि जब कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो वह कानून की बारीकियों का उल्लंघन न करे। हम उसे कुछ राशि देते हैं और कहते हैं कि इससे कोई वस्तु नहीं खरीदनी। परन्तु होता यह है कि कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे दांतों का मंजन अथवा सूइयों का पता, खरीदना ही पड़ता है और बची हुई वस्तुओं को वापस लाना पड़ता है। पारिभाषिक दृष्टि से तो यह कानून का उल्लंघन है परन्तु इनको ऐसा करने से रोका भी तो नहीं जा सकता। इसलिये हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे कि लोग वस्तुओं के खरीदने पर दी गई राशि का केवल 25 प्रतिशत ही व्यय कर सकें। उनको राशि इसलिये दी जाती है कि वह आपात काल में काम आ सके। यदि कोई वहां पर रोगग्रस्त हो जाता है तो उस को एक औषध उपचार के लिये कोई 5 पौण्ड देने पड़ते हैं। अतः हमें इस विनियम को कुछ हद तक सरल बनाना पड़ेगा।

दूसरी बात जिसका उल्लेख श्री डांडेकर ने किया है वह राज्य व्यापार के सम्बन्ध में है। आरम्भ में राज्य व्यापार का अभिप्राय, यह था कि हम उन देशों से जो राज्य व्यापार करते हैं सीधा व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ सकें। वास्तव में अब इसका विस्तार करना है। गत 30 वर्ष के अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि भारत जैसे देश में राज्य व्यापार का होना अनिवार्य है। अन्यथा निर्धनों की सहायता करने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इस पर व्यय भी बढ़ेगा परन्तु इन सभी बातों के बावजूद राज्य व्यापार से पर्याप्त लाभ हुआ है। अतः इसको समाप्त करने की बजाय हमें इसकी त्रुटियों पर विचार करना चाहिये और उनको दूर करना चाहिये।

श्री डांडेकर ने धारा 18 क के बारे में जो आपत्ति की है, इसके सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि व्यापार तथा उद्योग में लगे कुछ विदेशियों तथा उन के अभिकर्त्ताओं पर कुछ नियंत्रण रखा जाये। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस धारा का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। और जहां तक अनुमति देने का प्रश्न है दे दी जायगी। परन्तु उस के लिये एक रजिस्टर में इन का हिसाब रखा जायगा।

इस समय हम विदेशियों को केवल उनकी सेवाओं के लिये प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि दे रहे हैं। इस प्रकार के आंकड़े रखना जरूरी है। यह कहा गया है कि आम प्रयोग में आने वाली सामान्य वस्तुओं पर जिन पर विदेशी छाप होती है हम स्वामिस्व के रूप में बहुत अधिक राशि का भुगतान कर रहे हैं। विदेशी छाप के प्रयोग किये जाने में कोई आपत्ति की बात नहीं है क्योंकि उस स्थिति में विज्ञापन आदि पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके माल की अच्छी ख्याति होती है। फिर भी हमें बहुत अधिक राशि स्वामित्व के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। तब अपने यहां ही विज्ञापन पर व्यय करना बेहतर होगा। स्वामिस्व की राशि पर कर लगा कर सरकार काफी बड़ी मात्रा वसूल कर लेती है। फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूं कि पैसे के देश से बाहर जाने का यह एक रास्ता हो सकता है।

श्री मुकर्जी ने दूसरी आपत्ति विदेशी फर्मों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लाभ के बारे में उठाई है। इसमें कुछ त्रुटि है और भविष्य में किये जाने वाले विनियोजनों के सम्बन्ध में इसे दूर कर दिया जायेगा। अब हम अंश पूंजी तथा ऋण पूंजी के बीच एक विशेष अनुपात की शर्त रखेंगे यह चीज पहले नहीं थी। उन्होंने एक विशेष समवाय फायरस्टोन का उल्लेख किया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकांश अमरीकी कम्पनियों की मूल पूंजी कम होती है और ऋण पूंजी अधिक होती है जिस पर वे ब्याज अदा करती हैं। इसीलिये मूल पूंजी पर लाभांश बहुत अधिक बैठता है। संभवतया अब हमारा लाभांश

[श्री० ति० त० कृष्णमाचारी]

कर इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा। फायरस्टोन कम्पनी ने अब उस त्रुटि को दूर कर दिया है और उनकी पूंजी अब अच्छी खासी है। और पूंजी की तुलना में अब उनका लाभ पहले की तरह अनोखा नहीं लगता है।

श्री मुकर्जी द्वारा कही गई बहुत सी बातें इस विधेयक से संबंधित नहीं हैं, अपितु वे विदेशी पूंजी के प्रति सरकार की सामान्य नीति से संबंध रखती हैं। यदि हम किसी विदेशी सरकार से ऋण प्राप्त करते हैं तो वह किसी विशेष अवधि के लिये होता है और वह अवधि समाप्त होने पर हमें उनसे अवधि बढ़ाने के लिये कहना पड़ता है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा दिये जाने वाले ऋण लम्बी अवधि के लिये होते हैं। ऐसे ऋण ठीक हैं। परन्तु अन्य ऋण 8 अथवा 10 वर्ष के लिये होते हैं। कुछ मामलों में गैर-सरकारी पूंजी की अपेक्षा सरकारी ऋणों के पीछे राजनीतिक प्रभाव अधिक होता है। निजी पूंजी हमारे लिये अधिक लाभदायक है क्योंकि पूंजी लगाने वाले को पूंजी पर ब्याज मिलता है और इसलिये वह हमारे मामले का समर्थन करता है। इस बारे में भिन्न राय हो सकती है। परन्तु मेरी राय में निजी पूंजी अधिक लाभदायक है क्योंकि वित्त मंत्री को पैसा जुटाना होता है और वह विदेशी सार्थों को प्रलोभन देने में अधिक सफल हो सकता है। उनमें से बहुत से अपनी पूंजी को पुनः भारत में ही लगा देते हैं क्योंकि वे उसे यहां पर अधिक सुरक्षित समझते हैं।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चौथी योजना में ही नहीं अपितु पांचवी योजना में भी हमें अपने विकास कार्यों के लिये विदेशी पूंजी की आवश्यकता होगी।

मेरे माननीय मित्र श्री मुरारका ने विधेयक की शब्दावली के बारे में कुछ सन्देह व्यक्त किया है। उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में निर्देश के न होने का प्रश्न उठाया है परन्तु अधिनियम की धारा 1 में "भारत से बाहर भारत के नागरिक" शब्दों का उल्लेख है। उन्होंने यह भी कहा है कि 18क और 18 में परस्पर विरोध है। परन्तु ये दोनों पूर्णतया भिन्न हैं। हालांकि 18क 18 के बाद आता है परन्तु उनमें कोई सीधा संबंध नहीं है। 18 क का आशय केवल यह है कि लोग अपना पंजीयन करायें तथा रिजर्व बैंक आदि को सूचना दें। मेरी राय में शब्दावली में कोई त्रुटि नहीं है फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो इस बारे में जांच की जायेगी।

हम विदेशों को भेजी जाने वाली राशि पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। हां, हम ऐसी राशियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। श्री मुरारका ने धारा 19क तथा 19ख के अन्तर की ओर भी निर्देश किया है। उन्होंने कहा है कि तलाशी के बारे में कुछ संरक्षण मौजूद हैं परन्तु गिरफ्तारी के मामले में किसी संरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। गिरफ्तारियां वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन आती हैं इसलिये किसी संरक्षण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय फर्मों के विदेशों में कार्यालयों के बारे में रिज़र्व बैंक के पास जानकारी होती है। सरकार पूर्ण प्रमाण के अभाव में किसी फर्म के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर सकती। परन्तु किसी फर्म के बारे में सन्देह होन पर रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमें बहुधा गैर-सरकारी व्यक्तियों को विदेशों में कार्यालय खोलने के लिये कहना पड़ता है। हमने विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय खोलने की भी कोशिश की है परन्तु ऐसा करना लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि बहुत से देशों में राज्य व्यापार निगम कर से मुक्त नहीं हैं। हां, हम उन गैर-सरकारी व्यक्तियों पर पूरी निगरानी रखते हैं जिससे वे विदेशी मुद्रा की चोरी न कर सकें।

श्री कामत ने पूछा है कि क्या किन्हीं भारतीयों के भी स्विटजरलैंड के बैंकों में लेखे हैं। हां, कुछ ही लोगों के वहां पर लेखे हैं परन्तु वे बैंक उन्हें पूरी तरह से गप्त रखते हैं। हमें इस बारे में कुछ जानकारी है परन्तु हम किसी व्यक्ति पर तब तक हाथ नहीं डाल सकते जब तक हमें पूरी जानकारी न हो। बहुत से व्यक्तियों के विदेशों में लेखे हैं और उन्हें अन्य बहुत से कारणों से भी धन प्राप्त होता है। हमें इसकी जानकारी है परन्तु हम मजबूर हैं क्योंकि यह सब कुछ विदेशों में किया जाता है।

श्री मुकर्जी ने यह भी कहा है कि विद्युत संयंत्रों के लिये विदेशों द्वारा किये गये आवंटनों को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। तीसरी योजना में विद्युत संयंत्रों के लिये आवंटन 381 करोड़ रुपये के हैं जिनमें से 334 करोड़ रुपये की राशि के लिये वचन दे दिये गये हैं और 39 करोड़ के लिये शीघ्र ही वचन दिये जाने हैं। अतः स्थिति इतनी खराब नहीं है और इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

मैं श्री दी० चं० शर्मा तथा हेडा का इस विधेयक के समर्थन में भाषण देने के लिये आभारी हूं। मैं किसी मामले में लाईसेंस आदि के दिये जाने में देरी किये जाने के बारे में इस समय उत्तर नहीं दे सकता।

सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों के कल्याण के लिये कार्य करे। जहां तक सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का प्रश्न है, संसद् उसे ऐसा करने से रोक सकती है। मेरी राय में धीरे धीरे अर्ध न्यायिक मामलों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि इन न्यायाधिकरणों के कार्य का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति द्वारा पुर्नविलोकन किया जाना चाहिये तथा नियुक्तियां भी उस समिति द्वारा की जानी चाहियें। आशा है हम धीरे धीरे यह कदम उठा सकेंगे। इन्सान से कभी कभी गलती हो जाती है। इसीलिये हम न्यायपालिका को यह काम सौंपना चाहते हैं ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। किसी प्रकार की न्यायिक जांच होनी ही चाहिये। केवल यही नहीं कि कोई व्यक्ति अपील करे तथा कई वर्ष उसके फैसले में लग जायें। अपितु प्रशासनिक निर्णयों का बिना विलम्ब संक्षिप्त सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि श्री सचीन्द्र चौधरी तथा अन्य वकील सदस्य इस सम्बन्ध में एक प्रशासनिक विधि बनाने में सरकार की सहायता करेंगे। मैं केवल अपने निजी विचार व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने सहयोगियों से इस बारे में विचार विमर्श नहीं किया है। इस प्रकार के विधान की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि अपराधियों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2

श्री बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं। यदि भारत में निगमित किसी कम्पनी में विदेशी अभिकर्ता कार्य कर रहे हैं तो वे इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे। ऐसे बहुत से मामले हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है। वे हमारी ओर से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके उसे हमारे खाते में नहीं लिख सकते।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे कानूनी सलाहकारों के अनुसार यह अभिप्राय नहीं है। हम विदेशी अभिकर्ताओं पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
Amendment No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 तथा 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

खण्ड 5

श्री बडे : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं। मैंने इस खण्ड पर कुछ संशोधन दिये थे परन्तु वे गृहीत नहीं किये गये हैं। इस खण्ड में दिये गये "ऑर अदरवाइज् एक्वायर" तथा "ऑर अदरवाइज ट्रांसफर" शब्दों का बहुत व्यापक अर्थ निकल सकता है। मुझे लगता है कि सरकार को कोई उचित शब्द नहीं मिले और इसीलिये इनका आश्रय लिया गया है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अनुभव से हमें पता चला है कि धारा 4(1) में दी गई शब्दावलि के अन्तर्गत वे सारे तरीके नहीं आते जिनके द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति उपहार अथवा दान के रूप में विदशी मुद्रा प्राप्त करता है तो ऐसे मामले को अन्य किसी तरीके से इसके अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। इसीलिये इस नई शब्दावलि की आवश्यकता महसूस हुई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6 से 24, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 6 to 24, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक

INDIAN TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय मज़दूर संघ अधिनियम, 1926 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत किसी कार्मिक संघ के कोई भी सात अथवा उससे अधिक व्यक्ति अपना एक संघ बना सकते हैं तथा अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध होने की मांग कर सकते हैं।

परन्तु अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार के हैं कि दण्डित व्यक्ति भी, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनको नैतिक पतन संबंधी अपराधों पर दंड मिला है, संघ के सदस्य बन सकते हैं।

इस बात की ओर एक राज्य सरकार ने ध्यान दिलाया था और इस बात पर रोष प्रगट किया था कि वे व्यक्ति भी, जिन्हें नैतिक पतन सम्बन्धी अपराधों पर दंड मिला है, विभिन्न न्यायालयों तथा प्राधिकारों के समक्ष अनेक कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह संशोधन स्थायी श्रम समिति के 21 वें सत्र में, जो कि 27 दिसम्बर, 1963 को दिल्ली में हुआ था, पेश किया गया। समिति इस बात पर सहमत हुई कि ऐसे व्यक्तियों के सदस्य बनने पर रोक लगाने के लिये भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। परन्तु सरकार ने बाद में यह निश्चय किया कि ऐसे व्यक्तियों के मज़दूर संघों के साधारण सदस्य बनने पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं होगा। केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि उन्हें कार्मिक संघ का पदाधिकारी अथवा उसकी कार्यकारी समिति का सदस्य न बनने दिया जाय। इसीलिये, तदनुसार यह संशोधन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त तीन और छोटे से संशोधन किये जा रहे हैं। "कार्मिक संघ का पदाधिकारी" के स्थान पर "पदाधिकारी" रखा जा रहा है। दूसरा संशोधन यह है कि मज़दूर संघों की विवरणियां वित्तीय वर्ष के अन्त में दिये जाने के स्थान पर पत्री वर्ष की समाप्ति पर दी जाय। तीसरा संशोधन यह है कि अधिनियम के नाम में से "भारतीय" शब्द हटाया जा रहा है क्योंकि संसद द्वारा पारित प्रत्येक अधिनियम ही भारत के बारे में होता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझे इसकी प्रसन्नता है कि यह विधेयक सभा में लाया गया है। इस समय सारे देश में अनेक प्रकार के कार्मिक संघ काम कर रहे हैं जोकि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह चीज मजदूरों के हित में नहीं है। इन संघों में दिन रात आपस में झगड़े होते रहते हैं जिसके कारण कारखानों के कार्यकरण में बाधा उत्पन्न होती है तथा राष्ट्र का औद्योगिक विकास रुक जाता है। केवल इस प्रकार की व्यवस्था करने से ही काम नहीं चलेगा कि कोई भी सात व्यक्ति अपना एक संघ बना सकते हैं। मजदूर इस देश में तथा अन्य देशों में भी बहुत समय से यह मांग कर रहे हैं कि जब एक संघ बन जाय और उसका पंजीयन हो जाय तथा वह संघ बराबर ठीक प्रकार से काम करता रहे, तो उसे मान्यता मिल जानी चाहिये। इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां अवश्य हो सकती हैं। परन्तु तरीका यही ठीक है। किसी कारखाने में न्यूनतम सदस्यता अर्थात् 10 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत निश्चित कर दी जानी चाहिये और जो भी संघ इस उपबन्ध के अनुसार बने उसे मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। यदि एक से अधिक संघ भी बन जाये, तो भी कोई हानि नहीं है। इस बात का कोई आधार नहीं है कि किसी विशिष्ट संघ को तथाकथित बहुमत के आधार पर मान्यता दी जाय। यदि किसी संघ को केवल बहुमत के आधार पर ही मान्यता दी जाती है, तो प्रशासन चुनावों तथा मतगणना में गड़बड़ कर सकता है। और वह किसी भी संघ को यह कह सकता है कि उसको बहुमत प्राप्त नहीं है।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(2) असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की वतन हड़ताल

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं **असैनिक उड्डयन** मंत्री का ध्यान असैनिक उड्डयन विभाग के लगभग 6,000 कर्मचारियों की 1 दिसम्बर, 1964 को हुई वेतन हड़ताल की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : इस वर्ष नवम्बर के पहले सप्ताह में, मुझे यह सूचित किया गया कि असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी युनियन की विभिन्न शाखाओं ने 30 अक्टूबर, 1964 को अपना बारहवां वार्षिक "मांग दिवस" के रूप में मनाया, जिसमें उन्होंने निम्न मांगों के विषय में तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया :—

1—वर्कशाप्स समिति/स्टोर्स समिति और यूनीफार्म समिति की रिपोर्टों को अमल में लाना,

2—एम० टी० ड्राइवरों और टेलीफोन आपरेटरों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण,

3—चौकीदारों की ड्यूटी के घण्टों में कमी करना,

4—समयोपरि (ओवर-टाइम) भत्ते की दरों का पुनरीक्षण, और
आपरेशनल स्टाफ के लिए 9 निश्चित छुट्टियों को स्वीकृत करना,

5—मात्र प्रवरता के आधार पर अराजपत्रित पर्यवेक्षकीय पदों के 50 प्रतिशत पर पदोन्नति, और

6—इनकम टैक्स और पी० एण्ड टी०, इत्यादि जैसे विभागों में प्रचलित "यार्ड स्टिक्स" के आधार पर सीनियर क्लर्कों, हैड क्लर्कों और सुपरिण्टेंडेंटों के पदों का बनाना (क्रियेशन)।

इन मांगों पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए कदम उठाये गये। एम० टी० ड्राइवरों और टेलीफोन आपरेटरों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी दूसरी मांग के सम्बन्ध में, जिस पर बहुत वर्षों से निर्णय नहीं हो पाया था, अब निर्णय हो चुका है और इन पदों के वेतन-मान सम्बन्धी औपचारिक आदेश अब जारी कर दिये गये हैं।

इसलिये मुझे 30 नवम्बर, 1964 को असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी युनियन के सरकारी प्रकाशन "एयरो स्पार्क" के अक्टूबर अंक से यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अधिकारियों की लगातार रुखाई के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन करने और अपनी मांगों को प्रदर्शित करने के लिए असैनिक उड्डयन विभाग के सभी कर्मचारी 1 दिसम्बर, 1964 को वेतन लेने से इनकार करेंगे।

मैं उपर्युक्त मांगों के बारे में स्थिति को संक्षेप में बताने वाला एक विवरण रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3527/64]**। यह भी ज्ञात होगा कि दूसरी मांग के अलावा, जिस पर कि निर्णय हो चुका है, अन्य मांगों पर भी जो कि उसके मुकाबले नयी हैं, शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। लेकिन चूंकि इन में वेतन के विद्यमान ढांचे और भत्तों में बड़ी तबदीलियां करना, और विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधी नीति भी आ जाती हैं, इसलिए अन्य मंत्रालयों आदि के साथ परामर्श करके इनका विस्तृत परीक्षण करना आवश्यक है। इन मांगों पर नीति संबंधी निर्णय शीघ्र लेने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मांग नं० 2 को छोड़कर शेष पांच मांगों के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा तथा क्या मंत्री जी का विचार असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी युनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इन मांगों के बारे में विचार-विमर्श करने का है?

श्री कानूनगो : मुझे खेद है कि मैं कोई समय सीमा नहीं बता सकता। यदि आवश्यक हुआ तो युनियन के साथ भी बातचीत की जायेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) **:** May I know the steps Government propose to take with regard to these demands as also the statistics relating to loss of production as a result of the policy followed by Govt. ?

Shri Kanungo : There is no question of statistics relating to loss of production. The employees were not satisfied with the recommendations of the Pay Commission. The Director General of Civil Aviation Deptt. was also not satisfied with them. He recommended for some thing more than that recommended by the Pay Commission which led to all this.

श्री बड़े (खारगोन) : क्या यह सच है कि महंगाई भत्ते में कमी की गई ? आपने कहा है कि अन्य मंत्रालयों के परामर्श की आवश्यकता है परन्तु मांग संख्या 3 और 4 तो विशेष रूप से आपके विभाग से ही सम्बन्धित है।

श्री कानूनगो : अन्य मंत्रालयों में भी चौकीदार काम करते हैं। उनका भी ख्याल रखना आवश्यक है।

(3) पश्चिम बंगाल के पटसन श्रमिकों द्वारा विरोध के रूप में हड़ताल

अध्यक्ष महोदय : श्री दीनेन भट्टाचार्य ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं तो इसको कल ही प्रस्तुत कर चुका हूं। मंत्री महोदय अब इसके बारे में वक्तव्य दें।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : बोनस के प्रश्न पर त्रिदलीय बोनस आयोग द्वारा विचार किया गया है और उसने सिफारिश की है कि उसके द्वारा बनाये गये बोनस सूत्र को पटसन उद्योग पर तब तक लागू किया जाना चाहिये जब तक कि मालिकों की संस्थायें तथा मजदूर संघ किसी अन्य व्यवस्था के लिये तैयार न हों। भारतीय पटसन मिल संस्था ने यह अभ्यावेदन किया है कि बोनस आयोग का बोनस सूत्र मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान अर्थात् 31 दिसम्बर, 1967 तक लागू नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, कर्मचारियों ने यह मांग की है कि उन्हें बोनस आयोग के सूत्र के अनुसार ही बोनस दिया जाना चाहिये क्योंकि यह सूत्र उनके लिये अधिक लाभदायक है।

23 नवम्बर, 1964 को पश्चिम बंगाल की सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ कि बोनस के प्रश्न पर उद्योगों तथा श्रमिकों में मतभेद होने के कारण पटसन कर्मचारियों के संघों ने 1 दिसम्बर, 1964 को हड़ताल करने का नोटिस दिया है। राज्य सरकार के एक सुझाव के अनुसार इस विषय पर विचार करने के लिये 19 दिसम्बर, 1964 को त्रिदलीय पटसन औद्योगिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई है। मैंने 26-11-64 को कर्मचारियों के संबंधित केन्द्रीय संगठनों को भी व्यक्तिगत रूपमें पत्र भेजे हैं जिनके द्वारा उन्हें प्रस्तावित बैठक की सूचना दी गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे प्रदर्शन अथवा हड़ताल आदि करके मामलों को और अधिक न बिगाड़ें।

बोनस आयोग की सिफारिशों को, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, क्रियान्वित करने के लिये एक अस्थायी प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है। इसको 9 दिसम्बर, 1964 को होने वाली स्थायी श्रम समिति की बैठक में पेश किया जायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : महंगाई भत्ते के बारे में मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है। मूल्य सूचकांक गलत तरीके से बनाने के कारण कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 60 नये पैसे प्रति मास के हिसाब से कमी हुई है। इस चीज को ठीक करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्री संजीवैया : मैंने महंगाई भत्ते के बारे में इसलिये उल्लेख नहीं किया क्योंकि पटसन मजूरी बोर्ड ने वर्तमान महंगाई भत्ते को निर्वाह व्यय देशनांक के साथ जोड़ने का निर्णय किया था अर्थात् एक अंक बढ़ जाने पर 20 पैसे दिये जाने हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात में देशनांक तैयार करने में जो त्रुटियां हुई थीं उनको दूर करने के लिये विशेष रूप से विशेषज्ञ समितियां बनाई गई थीं तथा त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। अन्य राज्यों में भी विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की गई हैं। हम इस दिशा में पूरी कोशिश करेंगे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित करने के अतिरिक्त सरकार इस बात के लिय क्या कुछ कर रही है कि पटसन मिल संस्था को इस बात के लिये बाधित किया जाय कि वह मजदूरों को बोनस आयोग को सूत्र के अनुसार ही बोनस दे ?

श्री संजीवैया : सरकार ने बोनस आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति की सूचना विभिन्न नियोजकों को दे दी हैं और उनको कार्यान्वित करना उनका काम है। यदि वे उनको कार्यान्वित नहीं करते हैं, तो इसको एक श्रमिक विवाद के रूप में औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्देशित करना पड़ेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या सिफारिशों की स्वीकृति की सूचना देने वाला पत्र इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन को भी भेजा गया था और क्या राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार पर अपना राजनतिक प्रभाव होने के कारण उसने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया? विधान बनाने के अलावा सरकार और क्या कदम उठाने जा रही है ताकि यह संस्था इन सिफारिशों को स्वीकार कर ले?

श्री संजीवैया : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस प्रकार के प्रभाव में आने वाला नहीं हूं। वस्तुत: मैंने तो स्वयं कहा था कि कर्मचारियों को अधिक दर से बोनस दिया जाना चाहिए। चाहे वह वर्तमान सूत्र के आधार पर दिया जाये अथवा नये सूत्र के आधार पर। वर्तमान सूत्र के अनुसार कर्मचारियों को अधिक से अधिक 22 रुपये मिलते हैं जब कि नये सूत्र के अनुसार उन्ह कम से कम 40 रुपये मिलेंगे। अत: उनकी मांग उचित है। इसीलिये हमने 19 दिसम्बर को पटसन संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक बुलाई है। इस बठक में हम नियोजकों को नया सूत्र लागू करने के लिये कहेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : May I know whether the jute workers had informed the Government that they would be forced to resort to strike if any settlement is not made by the Jute Mills Association ; if so, why the Government did not take any positive steps in this matter ?

श्री संजीवैया : वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार हम उद्योगों को केवल सिफारिश लागू करने के लिये राजी कर सकते हैं क्योंकि संबंधित पार्टियां स्वेच्छिक ढंग से सिफारिशें लागू करती हैं। यदि कोई सिफारिश लागू नहीं करते तो मामला न्यायाधिकरण को सौंपना पड़ता है। किन्तु इस संबंध में कानून बन जाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से सिफारिशों को लागू करना पड़ेगा।

Shri Bade (Khargone) : May I know whether Government propose to take any action against the Jute Mills Association for not implementing the instructions issued by the Government ?

श्री संजीवैया : मैं समझता हूं कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। जूट मिल्स एसोसियेशन ने अपनी कठिनाइयां बताई हैं। किन्तु हमारे निर्णय के अनुसार उन्हें नया सूत्र लागू करना पड़ेगा।

डा० सारादीश राय (कटवा) : क्या सरकार बोनस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये चालू सत्र में कोई विधेयक सभा के सामने ला रही है?

श्री संजीवैया : आशा है इस सत्र में पुर:स्थापित किया जायेगा।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1964/13 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 4, 1964/Agrahayana 13, 1886 (Saka).

भा०स०मु०ना०-वि० 2-2 लोक सभा/65- 7-7-65-600.